सितंबर, 2021
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक (प्रभारी)

श्री कमला कान्त

संपादक

श्री कमला कान्त
श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान

सहायक संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह

ISSN-2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2021 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

सितम्बर, 2021 अंक - 9

प्रधान संपादक (प्रभारी)

श्री कमला कान्त

सहायक संपादक

पुंडरीक शर्मा

विधि साहित्य प्रकाशन

(2021) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on

Website → **https://bharatkosh.gov.in/product/product**

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.

दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

क्या प्रत्यक्षदर्शी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रभाव के स्पष्ट अभिसाक्ष्य कि अभियुक्त ने झगड़े के दौरान मृतक की छाती और उदर पर वार किया जिसके कारण अस्पताल ले जाते समय मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई, के बावजूद अभियुक्त की दोषसिद्धि और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश को उपांतरित किया जा सकता है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने **हेमंत टांटी** बनाम **असम राज्य** (2021) 2 दा. नि. प. 384 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य सामने आया है कि मृतक और अभियुक्त के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और मृतक स्वयं अभियुक्त के घर गया था और वहां वह उसके घर के बाहर उससे गाली-गलौज कर रहा था और इस प्रकार अभियुक्त द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन मृतक पर क्षणिक आवेश में हमला किया गया, अतः, अभियुक्त की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए उसे दंड संहिता की धारा 304 के भाग 1 के अधीन सिद्धदोष ठहराना न्याय के प्रयोजन को उचित रूप से सिद्ध करता है ।

क्या चिकित्सीय साक्ष्य की अनदेखी करते हुए केवल किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए विश्वसनीय और अकाट्य अभिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने **अनन नायक** उर्फ **पप्पू नायक** बनाम **असम राज्य** (2021) 2 दा. नि. प. 358 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि चिकित्सीय साक्ष्य में डाक्टर द्वारा व्यक्त की गई इस प्रभाव की राय कि मृतक की मृत्यु उसके सिर पर किसी भारी और धारदार हथियार द्वारा कारित की गई क्षतियों के कारण हुई है और वह मानव वध प्रकृति की है किन्तु उक्त क्षतियां किसी बेलचे द्वारा कारित नहीं की जा सकती, के बावजूद प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के इस प्रभाव के समुचित रूप से समर्थित अभिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को हत्या हेतु दोषी ठहराया जाना सर्वथा उचित है ।

क्या किसी महिला द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न तथा बलात्संग का आरोप लगाए जाने और उक्त प्रभाव का अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाजवूद अभियुक्त को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जा सकता है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने **सौमिक रॉय** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** (2021) 2 दा. नि. प. 339 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि पीड़ित द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न तथा बलात्संग का आरोप लगाया गया है और उसने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसकी कमर के एक्स-रे के दौरान अभियुक्त, जो कि नैदानिक केन्द्र में तकनीशियन के रूप में तैनात था, ने अभिकथित रूप से लैंगिक रूप से उस पर हमला किया और अपनी उंगली को उसके गुदाद्वार और योनि में प्रविष्ट किया । दूसरी ओर, अभियुक्त ने अपनी अभिकथित घटना के समय नैदानिक केन्द्र के एक्स-रे कक्ष में उपस्थित दो अन्य कर्मचारियों को प्रतिरक्षा साक्षियों के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और उक्त प्रतिरक्षा साक्षियों द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया कि वे दोनों घटना के समय एक्स-रे कक्ष में उपस्थित थे और अभिकथित घटना जैसी कोई घटना वहां घटित नहीं हुई थी । मामले की उपरोक्त परिस्थितियों तथा सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे अभियुक्त के विरुद्ध दोष साबित करने में असफल रहा है और अभियुक्त दोषमुक्ति के लिए हकदार है ।

इस अंक में, निर्णयों के हिन्दी पाठ और शीर्ष टिप्पण पाठकों के ज्ञान के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं । यह अंक विद्यार्थियों, विधि-वेत्ताओं, न्यायाधीशों और आम-जनता के लिए बहुत उपयोगी है । इस अंक में केन्द्रीय अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

पुंडरीक शर्मा
सहायक संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

सितम्बर, 2021

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनन नायक **उर्फ** पप्पू नायक **बनाम** असम राज्य	358
जम्मू-कश्मीर राज्य **बनाम** रोमेश कुमार	401
राहुल **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	297
शेख मगन **उर्फ** मो. एस. के. मगन **बनाम** बिहार राज्य	422
सोमेन **उर्फ** निमाई पात्रा **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	325
सौमिक रॉय **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	339
हेमंत टांटी **बनाम** असम राज्य	384

संसद् के अधिनियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 1 – 43

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 – अभियुक्त पर हत्या का आरोप लगाया जाना – वर्तमान मामले में तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अभियुक्त द्वारा हत्या का अपराध कारित करने के संबंध में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – यद्यपि, उनमें से एक साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा इस प्रभाव का अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि अभियुक्त ने अभिकथित रूप से अपने घर के सामने मृतक से हुए झगड़े के दौरान छुरे से मृतक की छाती और उदर पर वार किया और उसके पश्चात् वह घटनास्थल से फरार हो गया – उक्त घोर उपहतियों के कारण मृतक की अस्पताल ले जाते समय मार्ग में ही मृत्यु हो जाना – शव-परीक्षा रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आना कि मृतक की मृत्यु किसी धारदार हथियार से उसे कारित की गई क्षतियों के कारण हुई है – वर्तमान मामले में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य भलीभांति स्थापित होना कि अभियुक्त ने ही मृतक पर किसी धारदार हथियार से हमला करके उसे क्षतियां कारित की जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई – तथापि, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य भी सामने आया है कि मृतक और अभियुक्त के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और मृतक स्वयं अभियुक्त के घर गया था और वहां वह उसके घर के बाहर उससे गाली-गलौज कर रहा था – इस प्रकार अभियुक्त द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन मृतक पर क्षणिक आवेश में

पृष्ठ संख्या

हमला किया गया, अत:, अभियुक्त की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए उसे दंड संहिता की धारा 304 के भाग 1 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया और उसके दंडादेश को आजीवन कठोर कारावास से घटाकर सात वर्ष की अवधि का कठोर कारावास किया गया ।

हेमंत टांटी बनाम **असम राज्य** 384

– धारा 302 और धारा 341 – हत्या – अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अभिकथित रूप से एक बेलचे से मृतक के सिर पर वार करके उसकी हत्या किया जाना – मृतक के अप्राप्तवय पुत्र द्वारा इस पूरी घटना को देखा जाना – मृतक के पुत्र द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में अभियुक्तों के विरुद्ध अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – चिकित्सीय साक्ष्य में डाक्टर द्वारा इस प्रभाव की राय व्यक्त किया जाना कि मृतक की मृत्यु उसके सिर पर किसी भारी और धारदार हथियार द्वारा कारित की गई क्षतियों के कारण हुई है और वह मानव वध प्रकृति की है – डाक्टर द्वारा यह राय व्यक्त किया जाना कि उक्त क्षतियां किसी बेलचे द्वारा कारित नहीं की जा सकती – उक्त प्रतिकूल राय के बावजूद चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के इस प्रभाव के अभिसाक्ष्य का समर्थन किया जाना कि मृतक के सिर पर प्रहार करके क्षतियां कारित की गई थी – वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों को विचार में लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परिसाक्ष्य चिकित्सीय राय पर

पृष्ठ संख्या

अभिभावी है और इस आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि सर्वथा उचित है ।

अनन नायक उर्फ **पप्पू नायक** बनाम **असम राज्य** 358

– धारा 304ख, 498क, 316 और 107 (स्पष्टीकरण 1) [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4] – मृतका की विवाह के सात वर्ष की अवधि के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु होना – मृतका के भाई द्वारा इस प्रभाव की रिपोर्ट दर्ज किया जाना कि अभियुक्त व्यक्ति दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे और उन्होंने मिलकर उसकी बहन की हत्या की है – चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शव पर गर्दन पर पट्टिका चिह्न के अलावा किसी अन्य क्षति या संघर्ष के किसी चिह्न का न पाया जाना – शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण दम घुटना है – इस प्रकार मृतका की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षतियों के कारण न होकर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न अन्य परिस्थितियों के अधीन होना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कहीं अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् करना किन्तु उक्त अभिवाक् की विश्वसनीय रूप से पुष्टि न हो पाना – अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए केवल एक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि मृत्यु से ठीक पूर्व पीड़िता के साथ दहेज की मांग को लेकर उसके पति और उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता बरती गई थी तथा उसका उत्पीड़न किया गया था – विचारण के दौरान यह तथ्य सामने आना कि अपीलार्थी पति ने विवाह से पूर्व मृतका और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के

पृष्ठ संख्या

समक्ष यह मिथ्या कथन/दुर्व्यपदेशन किया था कि वह एक अध्यापक के रूप में कार्यरत है जबकि वह केवल एक चपरासी के पद पर कार्यरत था – इसके अतिरिक्त, मृतका का मृत्यु के समय गर्भवती होना जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 316 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया किन्तु सुस्थापित विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उसे पृथक् रूप से दंड संहिता की धारा 316 या दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दोषी नहीं ठहराया जा सकता, अत:, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थियों की दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 और दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है जबकि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है और दंडादेश में कतिपय उपांतरण किए जाते हैं ।

राहुल बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 297

– धारा 354क और धारा 376 – पीड़ित महिला द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न तथा बलात्संग का आरोप लगाया जाना – अभिकथित रूप से पीड़ित महिला/वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा टेलीफोन के माध्यम से पुलिस को यह जानकारी दिया जाना कि उसकी कमर के एक्स-रे के दौरान अभियुक्त, जो कि नैदानिक केन्द्र में तकनीशियन के रूप में तैनात था, ने अभिकथित रूप से लैंगिक रूप से उस पर हमला किया और अपनी उंगली को उसके गुदाद्वार और योनि में

पृष्ठ संख्या

प्रविष्ट किया – अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में यह कथन किया जाना कि अभिकथित घटना के समय नैदानिक केन्द्र के दो अन्य कर्मचारी एक्स-रे कक्ष में उपस्थित थे – अभियुक्त द्वारा उक्त दोनों कर्मचारियों को प्रतिरक्षा साक्षियों के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना – उक्त प्रतिरक्षा साक्षियों द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया जाना कि वे दोनों घटना के समय एक्स-रे कक्ष में उपस्थित थे और अभिकथित घटना जैसी कोई घटना वहां घटित नहीं हुई थी – अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त प्रतिरक्षा साक्षियों की प्रतिपरीक्षा न किया जाना – अभियोक्त्री द्वारा घटना के समय कोई चीख-पुकार न मचाया जाना, इसके बजाय उसके द्वारा चुपचाप घटना को घटित होने दिया जाना – उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध नैदानिक केन्द्र के प्रबंधमंडल के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत न किया जाना – इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष द्वारा पुलिस थाने में बनाई रखी गई साधारण डायरी पुस्तिका को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहना – मामले की उपरोक्त परिस्थितियों तथा सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे अभियुक्त के विरुद्ध दोष साबित करने में असफल रहा है और अभियुक्त दोषमुक्ति के लिए हकदार है ।

सौमिक रॉय बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 339

– धारा 366क और धारा 376 – एक अप्राप्तवय लड़की का व्यपहरण और उससे बलात्संग किया जाना – पीड़िता के पिता/इत्तिलाकर्ता द्वारा इस प्रभाव की प्रथम

पृष्ठ संख्या

इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना कि दो अभियुक्तों ने उसके सह-ग्रामीणों की उपस्थिति में उसकी पुत्री का उसके घर से व्यपहरण किया है – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में 9 दिन का विलंब होना, जिसके संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया जाना कि इत्तिलाकर्ता स्वयं अपने स्तर पर अपनी पुत्री की तलाश कर रहा था – वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय द्वारा मुख्यत: अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को सिद्धदोष ठहराया जाना – अभियोक्त्री के कथन में अनेक विसंगतियों और विरोधाभासों का विद्यमान होना – इत्तिलाकर्ता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया जाना कि उसकी पुत्री का व्यपहरण उसके घर से हुआ है जबकि अभियोक्त्री द्वारा अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया जाना कि उसका व्यपहरण उस समय हुआ था जब वह अपने विद्यालय जा रही थी – अभियोक्त्री के अप्राप्तवय होने के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाना – अभियोक्त्री द्वारा उस समय कोई विरोध दर्शित न किया जाना या कोई चीख-पुकार न मचाया जाना जब अभिकथित रूप से अभियुक्त उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा था और न ही अभियोक्त्री द्वारा उन घरों के सह-निवासियों से कोई शिकायत किया जाना, जिनमें अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से उसे रखा गया था – इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के संबंध में कोई अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध न होना, यहां तक कि चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा भी उसके परिसाक्ष्य का समर्थन न किया जाना – इस प्रकार किसी निर्णायक और अकाट्य

पृष्ठ संख्या

साक्ष्य की अनुपस्थिति में अभियुक्तों की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

शेख मगन उर्फ **मो. एस. के. मगन** बनाम **बिहार राज्य** 422

– धारा 376, धारा 511 और धारा 354 – अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि उसने एक मूक और बधिर लड़की के माता-पिता की घर में अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्संग करने का प्रयास किया – अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अभियुक्त की शनाख्त और घटनास्थल के अवस्थान के संबंध में अनेक प्रकार के विरोधाभासों का पाया जाना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त की शनाख्त स्थापित करने के लिए शनाख्त परेड कराए जाने में असफल रहना – अभियोजन पक्ष द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़ित लड़की के कथन को विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाना – किन्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उक्त कथन का स्वीकार्य साक्ष्य न होना – चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट में इन तथ्यों को दर्शित किया जाना कि पीड़ित लड़की के शरीर पर नाखूनों की खरोंचों से हुई सतही क्षतियां विद्यमान हैं किन्तु लैंगिक मैथुन का कोई संकेत या चिह्न नहीं पाया गया – मामले की परिस्थितियों और तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपीलार्थी

पृष्ठ संख्या

की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है, अत: उसे दोषमुक्त किया जाता है ।

सोमेन उर्फ **निमाई पात्रा** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 325

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 8 और धारा 20 – अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि अभियुक्त की जांच और तलाशी के दौरान अभिकथित रूप से ज्वार के पत्तों में लपेटकर रखी गई लगभग 3.5 किलोग्राम वजन की चरस की बरामदगी और अभिग्रहण किया गया – अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों में सारवान् विसंगतियों का विद्यमान होना – अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियुक्त को पकड़े जाने के स्थल और उससे विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के स्थल के संबंध में विरोधाभासी कथन किया जाना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा एनडीपीएस अधिनियम में अंतर्विष्ट तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया के सारवान् नियमों का उल्लंघन किया जाना – सड़क पर भारी मात्रा में यातायात की मौजूदगी और आस-पास अनेक दुकानों के अवस्थित होने के बावजूद अन्वेषण अधिकारी द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को अन्वेषण में सहबद्ध किए जाने का प्रयास न किया जाना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा रासायनिक विश्लेषण हेतु तैयार किए गए नमूने और रासायनिक विश्लेषक द्वारा प्राप्त किए गए नमूने के वर्णन से यह संदेह उत्पन्न होना कि दोनों नमूने एक

पृष्ठ संख्या

समान नहीं थे – मामले के इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय उचित प्रतीत होता है और उसमें किसी भी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम **रोमेश कुमार** 401

(2021) 2 दा. नि. प. 297 इलाहाबाद

राहुल

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2018 की दांडिक अपील सं. 4955)

तारीख 2 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख, 498क, 316 और 107 (स्पष्टीकरण 1) [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4] – मृतका की विवाह के सात वर्ष की अवधि के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु होना – मृतका के भाई द्वारा इस प्रभाव की रिपोर्ट दर्ज किया जाना कि अभियुक्त व्यक्ति दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे और उन्होंने मिलकर उसकी बहन की हत्या की है – चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शव पर गर्दन पर पट्टिका चिह्न के अलावा किसी अन्य क्षति या संघर्ष के किसी चिह्न का न पाया जाना – शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण दम घुटना है – इस प्रकार मृतका की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षतियों के कारण न होकर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न अन्य परिस्थितियों के अधीन होना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कहीं अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् करना किन्तु उक्त अभिवाक् की विश्वसनीय रूप से पुष्टि न हो पाना – अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए केवल एक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि मृत्यु से ठीक पूर्व पीड़िता के साथ दहेज की मांग को लेकर उसके पति और उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता बरती गई थी तथा उसका उत्पीड़न किया गया था – विचारण के दौरान यह तथ्य सामने

आना कि अपीलार्थी पति ने विवाह से पूर्व मृतका और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के समक्ष यह मिथ्या कथन/दुर्व्यपदेशन किया था कि वह एक अध्यापक के रूप में कार्यरत है जबकि वह केवल एक चपरासी के पद पर कार्यरत था – इसके अतिरिक्त, मृतका का मृत्यु के समय गर्भवती होना जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 316 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया किन्तु सुस्थापित विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उसे पृथक् रूप से दंड संहिता की धारा 316 या दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दोषी नहीं ठहराया जा सकता, अत:, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थियों की दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 और दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है जबकि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है और दंडादेश में कतिपय उपांतरण किए जाते हैं ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि इत्तिलाकर्ता, अनिल सिंह तोमर ने तारीख 3 अगस्त, 2011 को यह आरोप लगाते हुए एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की कि उसकी बहन अलका **उर्फ** पूजा का विवाह निहाल सिंह के पुत्र राहुल से अनुष्ठापित हुआ था और विवाह के तुरंत पश्चात् उसकी बहन की पति राहुल, सास श्रीमती मुन्नी देवी, जेठ चेतन, जेठानी रश्मि, ननद दीपू और पूजा तथा ननदोई प्रमोद कुमार ने दहेज में दो लाख रुपए की रकम और एक वैगन आर कार को दिए जाने के संबंध में उसका उत्पीड़न करना आरंभ कर दिया और यह कि उसकी बहन उसके वैवाहिक घर के कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में उसे सूचित करती थी और यह कि उसके नातेदारों ने बार-बार उसकी बहन के वैवाहिक घर के कुटुम्ब सदस्यों से बातचीत की किन्तु वे अपनी मांग पर अड़े रहे और तारीख 3 अगस्त, 2011 को प्रात: 5.30 बजे उसे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और उसके पश्चात् वह घटनास्थल पर पहुंचा तथा उसने यह पाया कि उसकी बहन का मृत शरीर बिस्तर

पर पड़ा था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 3 अगस्त, 2011 को प्रात: 8.40 बजे अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई । मृतका के शव की शव-परीक्षा की गई । अन्वेषण अधिकारी ने स्थल नक्शा तैयार किया और उसके पश्चात् उसने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की तथा उपलब्ध साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध करने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने केवल अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया । निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क, 304ख और 316 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन आरोप विरचित किए गए । अभियुक्त व्यक्तियों ने उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया तथा विचारण का दावा किया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराते हुए उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी । उच्च न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में महिला की मृत्यु जलने के कारण या शारीरिक क्षतियों के कारण नहीं हुई है किन्तु उसकी मृत्यु "अन्यथा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों के अधीन हुई है" । क्या वर्तमान मामले में महिला के प्रति उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता बरती गई थी या उसका उत्पीड़न किया गया था, इस प्रश्न का अवधारण किया जाना अपेक्षित है । अभियोजन पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को तारीख 7 अप्रैल, 2011 को रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए एक पत्र का अवलंब लिया है किन्तु उक्त पत्र के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कथनों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । पूर्वोक्त शिकायत और रजिस्ट्रीकृत डाक की पावती को न तो साबित किया गया और न ही विचारण न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रदर्शित किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा केवल एक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो यह साबित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है कि मृतका की मृत्यु से तुरंत पूर्व उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता बरती गई थी या उसका उत्पीड़न किया

गया था । इस संबंध में अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक परिसाक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान है जो संगत और स्पष्ट हैं । चिकित्सा साक्ष्य से यह सुझाव प्राप्त नहीं होता है कि मृतका की हत्या गला घोंटकर की गई थी । उसकी मृत्यु, मृत्युपूर्व फांसी लगाए जाने के परिणामस्वरूप दम घुटने के कारण हुई है । मनोज **उर्फ** धर्मेन्द्र तोमर की पत्नी रश्मि, जो मृतका की भाभी है, ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसे यह ज्ञात था कि अभियुक्त राहुल, मृतका का पति, अध्यापक के रूप में कार्य करता था किन्तु उसके पश्चात् उसकी जानकारी में यह तथ्य आया कि वह केवल एक चपरासी था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए अपने कथन में अपीलार्थी राहुल ने यह कहा है कि मृतका एक जिद्दी प्रकृति की महिला थी । वह सदैव अपने माता-पिता के घर जाने के लिए अनुरोध करती थी जो उसे स्वीकार्य नहीं था । वह अक्सर उसे यह ताना भी देती थी कि उसका विवाह एक चपरासी से कर दिया गया है और उसका जीवन नरक बन गया है । यह प्रतीत होता है कि मृतका के कुटुम्ब सदस्यों ने दबाव डालकर मृतका का विवाह अपीलार्थी राहुल से यह समझकर कराया था कि उसके पिता, जो एक अध्यापक थे, की मृत्यु के पश्चात् उसे अनुग्रह आधार पर अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है । मृतका को विवाह के पश्चात् इस तथ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और उसकी भाभी रश्मि ने यह तथ्य स्वीकार किया कि मृतका की मृत्यु की तारीख तक उसे भी इस तथ्य की जानकारी नहीं थी । मृतका की मृत्यु के पश्चात् ही अभि. सा. 4 को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि अपीलार्थी राहुल चपरासी के रूप में कार्य कर रहा था तथापि, इत्तिलकार्ता ने यह कथन किया है कि उसे और उसके माता-पिता को मृतका के विवाह से पूर्व इस बात की जानकारी थी कि राहुल एक वर्ग-4 का कर्मचारी है और वह कोई अध्यापक नहीं है । यह तर्क कि अभि. सा. 8 नायब तहसीलदार, मनोज कुमार मृत्युसमीक्षा के समय उपस्थित नहीं था, न्यायालय के अभिलेख से सिद्ध नहीं होता है । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से तारीख 3 अगस्त, 2011 का उल्लेख किया गया है । तथापि, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट के अंतिम से पहले पृष्ठ पर नायब तहसीलदार के नाम और हस्ताक्षर के साथ तारीख 4 अगस्त, 2011 का उल्लेख किया

गया है और इस कारणवश यह प्रतीत होता है कि अभिलेख से कोई छेड़छाड़ की गई है । यह तर्क भी सही प्रतीत नहीं होता है कि मृतका ने अवांछित गर्भधारण के कारण आत्महत्या की क्योंकि उसका विवाह अपीलार्थी राहुल से तारीख 2 दिसम्बर, 2010 को अनुष्ठापित हुआ था और उसकी मृत्यु 3 अगस्त, 2011 को हुई है । इस प्रकार उनके वैवाहिक जीवन की कुल अवधि लगभग 8 मास है । तथापि, मृतका की शव-परीक्षा रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है कि उसके गर्भ में पल रहा बालक 34 सप्ताह का था जिसका अर्थ है कि वह 238 दिन या 8 मास का था, अत:, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क कि मृतका विवाह से पूर्व गर्भवती हो गई थी, विश्वास किए जाने योग्य नहीं है । यदि यह मान भी लिया जाए कि मृतका ने आत्महत्या की है फिर भी अपीलार्थियों द्वारा किए गए कार्य इस प्रकृति के हैं कि वे दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण की श्रेणी में आते हैं । अपीलार्थी राहुल का विवाह तथ्य के मिथ्या प्रकटन के आधार पर मृतका से अनुष्ठापित हुआ था कि वह एक अध्यापक के रूप में कार्यरत है और विवाह के पश्चात् मृतका को यह तथ्य ज्ञात हुआ कि उसका पति केवल एक चपरासी है और इसलिए दंड संहिता की धारा 107 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार यह माना जा सकता है कि अपीलार्थियों ने ऐसे सारवान् तथ्यों, जिन्हें वे मृतका और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के समक्ष प्रकट करने के लिए आबद्ध थे, का दुर्व्यपदेशन किया है और उन्हें जानबूझकर छिपाया है और इस प्रकार उन्होंने स्वैच्छिक रूप से मृतका को आत्महत्या करने हेतु उकसाया है । यह साबित करने का दायित्व प्रतिरक्षा पक्ष पर था कि मृतका के साथ उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व किसी प्रकार की कोई क्रूरता नहीं बरती गई थी और वे मृतका द्वारा आत्महत्या करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे । किन्तु अपीलार्थी यह साबित करने में असफल रहे हैं । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा रखे गए ये तर्क मान्य नहीं हैं कि दंड संहिता की धारा 316 के अधीन अपराध करने के लिए अपीलार्थी को दिया गया दंडादेश अवांछित है क्योंकि इस संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कोई आरोप नहीं लगाया गया था । शव-परीक्षा रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया कि मृतका गर्भवती थी और मृतका की मृत्यु के कारण उसके बालक की गर्भ में ही मृत्यु हो गई । शव-परीक्षा रिपोर्ट इस संबंध में अपीलार्थियों के

विरुद्ध विरचित आरोप सं. 3 का पूर्णतया समर्थन करती है । यह तर्क सही प्रतीत होता है कि दंड संहिता की धारा 498क, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 और दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दिए गए पृथक् दंडादेश वांछित नहीं है । यदि एक बार दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आरोप साबित हो जाते हैं तो दंड संहिता की धारा 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अभियुक्तों को दंडादिष्ट करना न्यायोचित नहीं है । यदि यह मान भी लिया जाए कि मृतका ने आत्महत्या की है तो उसकी आत्महत्या का कारण स्पष्ट रूप से अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके साथ किया जाना दुर्व्यवहार है । अभियुक्त व्यक्ति विवाह के एक वर्ष के भीतर मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारण को साबित करने में असफल रहे हैं । यह साबित करने का दायित्व अपीलार्थियों पर था कि वे वर्तमान मामले में निर्दोष हैं । वे इस संबंध में कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं कि मृतका ने आत्महत्या क्यों की । इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मृतका ने अपीलार्थी राहुल से उसके विवाह से पूर्व गर्भधारण किया था क्योंकि विवाह की अवधि और गर्भधारण की अवधि लगभग एक समान, अर्थात् लगभग 240 दिन है । इस बिन्दु पर डाक्टर की परीक्षा नहीं की गई है कि क्या गर्भ 34 सप्ताह से अधिक का हो सकता था । यह तर्क भी मिथ्या प्रतीत होता है कि मृतका के गर्भवती होने के संबंध में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि साक्षी मृतका के नियमित संपर्क में नहीं थे और इसलिए उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि क्या मृतका गर्भवती थी अथवा नहीं । अतः, दंड संहिता की धारा 316 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है और उनकी पुष्टि की जाती है । दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है क्योंकि अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध करने का दोषी पाया गया है । अतः, अपीलार्थी राहुल और श्रीमती मुन्नी देवी की दंड संहिता की धारा 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है । अतः, दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि की अभिपुष्टि की जाती है । अपीलार्थी राहुल तारीख 10 अगस्त, 2011 से कारागार में है

और अन्य अपीलार्थी, अर्थात् चेतन और श्रीमती मुन्नी देवी तारीख 10 अगस्त, 2018 से कारागार में हैं । दंड संहिता की धारा 304ख और धारा 316 के अधीन अपीलार्थी राहुल के दंडादेश की अवधि को घटाकर उतनी अवधि किया जाता है, जितनी अवधि उसने पहले ही कारावास में व्यतीत कर ली है, जो लगभग साढ़े नौ वर्ष है । जहां तक अपीलार्थी श्रीमती मुन्नी देवी का संबंध है, यह पाया गया है कि मुन्नी देवी की आयु लगभग 68 वर्ष है और इसलिए दंड संहिता की धारा 316 और 304ख के अधीन उसके दंडादेश की पुष्टि करते हुए उसके दंडादेश की अवधि को घटाकर सात वर्ष किया जाता है, जो दंड साथ-साथ चलेंगे । अपीलार्थी चेतन, अपीलार्थी राहुल का बड़ा भाई है । उसे इस मामले में इसलिए संलिप्त किया गया क्योंकि यह अभिकथन किया गया था कि वह अन्य अपीलार्थियों के साथ उसी घर में निवास कर रहा था । उसकी पत्नी रश्मि देवी को इस आधार पर दोषमुक्त किया गया है कि घटना के समय वह गर्भवती थी और वह अपने वैवाहिक घर में रहने के बजाय अपने माता-पिता के घर पर निवास कर रही थी । अपीलार्थियों ने अन्यत्र उपस्थिति होने का अभिवाक् किया है कि वह उस समय अपनी माता के साथ प्रति. सा. 1 के घर गया हुआ था जब उक्त घटना घटित हुई थी । प्रति. सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष इस तथ्य के संबंध में परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है किन्तु उसे विश्वसनीय नहीं पाया गया । इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि अपीलार्थी चेतन का अपना स्वयं का परिवार है और वर्तमान समय में दो विवाहित भाइयों के लिए एक ही घर में निवास करना कठिन है, विशेष रूप से उस समय जब वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं इसलिए अपीलार्थी चेतन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है । यदि वह लालची होता तो उसने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी का उत्पीड़न किया होता न कि अपने भाई की पत्नी का । ऊपर कथित की गई सीमा तक विचारण न्यायालय के निर्णय को उपांतरित किया जाता है । वर्ष 2018 की दांडिक अपील सं. 4955 में अपीलार्थी राहुल के संबंध में ये निदेश दिया जाता है कि उसे तुरंत निर्मुक्त किया जाए क्योंकि उसके दंडादेश की अवधि को घटाकर ऐसी अवधि कर दिया गया है, जितनी उसने कारागार में व्यतीत कर ली है । वर्ष 2018 की दांडिक अपील सं. 5108 की अपीलार्थी मुन्नी देवी, उसके द्वारा पहले से भोगे गए दंडादेश का समायोजन करने के पश्चात्

ऊपर दिए गए निदेश के अनुसार कम किए गए सात वर्ष के दंडादेश की शेष अवधि को पूरा करेगी । वर्ष 2018 की दांडिक अपील सं. 4942 के अपीलार्थी चेतन को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उसे तुरंत कारागार से निर्मुक्त किया जाए । ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार तीनों दांडिक अपीलों को आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है । निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन हेतु निचले न्यायालय को अग्रेषित की जाए । (पैरा 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) लॉ सूट (इलाहाबाद) 1225 : **दीपक कुमार** उर्फ **बाबू** उर्फ **बल्लू** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	37
[2018]	(2018) लॉ सूट (इलाहाबाद) 382 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2018 इलाहाबाद 4957 : **शिवेन्द्र रायजादा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	16
[2012]	(2012) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 989 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3205 : **पठान हुसैन बाशा** बनाम **राज्य** ;	30
[2006]	(2006) 12 एस. सी. सी. 667 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 107 : **कैलाश** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	20
[2005]	(2005) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 511 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 785 : **कामेश पंजियार** उर्फ **कमलेश पंजियार** बनाम **बिहार राज्य** ;	30
[1991]	ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1226 : **शांति देवी** बनाम **हरियाणा राज्य** ।	20, 37

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 4955.

वर्तमान अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश/त्वरित निपटान न्यायालय, न्यायालय सं. 2, हाथरस द्वारा 2013 के सेशन विचारण सं. 105 में तारीख 10 अगस्त, 2018 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री नूर मोहम्मद, आरफ खान, ईश्वर चंद त्यागी, लिहाजुर रहमान खान और निर्विकार गुप्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सरकारी अधिवक्ता, सर्वश्री धर्मवीर सिंह, पी. के. सिंह और सैयद सुहैल असगर

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ – अपीलार्थियों की ओर उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों श्री निर्विकार गुप्ता और श्री ईश्वर चंद त्यागी को सुना और साथ ही इत्तिलाकर्ता के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री धर्मवीर सिंह और श्री पी. के. सिंह को सुना तथा राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले श्री विकास गोस्वामी और श्रीमती अल्पना सिंह, विद्वान् एजीए को भी सुना ।

2. ऊपर उल्लिखित दांडिक अपीलों को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश/त्वरित निपटान न्यायालय, न्यायालय सं. 2, हाथरस द्वारा 2013 के सेशन विचारण सं. 105 (राज्य बनाम राहुल और अन्य), जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 304ख, 498क तथा धारा 316 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 3/4 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पुलिस थाना कोतवाली हाथरस, जिला हाथरस के अपराध मामला सं. 404/2011 से उद्भूत हुआ है, में तारीख 10 अगस्त, 2018 को पारित उस दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया तथा 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया, दंड संहिता की धारा

316 के अधीन अपराध करने के लिए सिद्धदोष ठहराते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और 20,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास के दंडादेश को भोगने का आदेश दिया गया, दंड संहिता की धारा 498क के अधीन सिद्धदोष ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और 5,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर 6 मास के अतिरिक्त कठोर कारावास के दंडादेश को भोगने का आदेश दिया गया और साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन सिद्धदोष ठहराते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और 5,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर 3 मास के अतिरिक्त कठोर कारावास के दंडादेश को भोगने का आदेश दिया गया । विचारण न्यायालय द्वारा यह निदेश दिया गया कि ये सभी दंडादेश एक साथ चलेंगे ।

3. संक्षेप में, अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि इत्तिलाकर्ता, अनिल सिंह तोमर ने तारीख 3 अगस्त, 2011 को यह आरोप लगाते हुए एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की कि उसकी बहन अलका **उर्फ** पूजा का विवाह निहाल सिंह के पुत्र राहुल से अनुष्ठापित हुआ था और विवाह के तुरंत पश्चात् उसकी बहन के पति राहुल, सास श्रीमती मुन्नी देवी, जेठ चेतन, जेठानी रश्मि, ननद दीपू और पूजा तथा ननदोई प्रमोद कुमार ने दहेज में दो लाख रुपए की रकम और एक वैगन आर कार को दिए जाने के संबंध में उसका उत्पीड़न करना आरंभ कर दिया और यह कि उसकी बहन उसके वैवाहिक घर के कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में उसे सूचित करती थी और यह कि उसके नातेदारों ने बार-बार उसकी बहन के वैवाहिक घर के कुटुम्ब सदस्यों से बातीचत की किन्तु वे अपनी मांग पर अड़े रहे और तारीख 3 अगस्त, 2011 को प्रात: 5.30 बजे उसे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और उसके पश्चात् वह घटनास्थल पर पहुंचा तथा उसने यह पाया कि उसकी बहन का मृत शरीर बिस्तर पर पड़ा था ।

4. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 3 अगस्त, 2011 को प्रात: 8.40 बजे अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् राहुल, प्रमोद कुमार, चेतन, मुन्नी देवी और श्रीमती रश्मि देवी के विरुद्ध दर्ज की गई । मृतका के शव की शव-परीक्षा की गई । अन्वेषण अधिकारी ने स्थल नक्शा तैयार किया और उसके पश्चात् उसने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की तथा उपलब्ध साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध करने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने केवल अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया । निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क, 304ख और 316 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन आरोप विरचित किए गए । अभियुक्त व्यक्तियों ने उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

5. अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1, अर्थात् प्रमोद सोलंकी की परीक्षा की, जिसने यह कथन किया कि वह इत्तिलाकर्ता का मित्र है और वह इत्तिलाकर्ता की बहन पूजा के विवाह समारोह में सम्मिलित हुआ था और जब वह विवाह के पश्चात् पहली होली के समारोह के दौरान पूजा के वैवाहिक घर गए तो पूजा ने उसे यह सूचित किया कि उसके वैवाहिक घर के कुटुम्ब के सदस्य दहेज में एक वैगन आर कार तथा दो लाख रुपए की रकम की मांग कर रहे हैं और वे उक्त मांग को लेकर उसका उत्पीड़न कर रहे हैं । तारीख 3 अगस्त, 2011 को प्रात: लगभग 5.30 बजे इत्तिलाकर्ता ने फोन के माध्यम से उसे यह सूचित किया कि अलका के वैवाहिक घर के कुटुम्ब के सदस्यों ने उसकी हत्या कर दी है । यह सूचना प्राप्त होने पर वह अलका के वैवाहिक घर गया और वहां उसने यह पाया कि उसका शव बिस्तर पर पड़ा था । उसके वैवाहिक घर का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था । उसने इत्तिलाकर्ता द्वारा बताए गए अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को लेखबद्ध किया । उसने मृतका की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर मौजूद अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त की और उसने यह भी कथन किया कि शव-परीक्षा के पश्चात् जब मृतका का अंतिम दाह-संस्कार किया गया तो उस समय भी उसके वैवाहिक घर का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था ।

6. अनिल सिंह तोमर (अभि. सा. 2), इत्तिलाकर्ता ने यह कथन किया है कि उसकी बहन अलका का विवाह तारीख 2 दिसम्बर, 2011 को अनुष्ठापित हुआ था । उसने विवाह के समय दहेज के रूप में अपनी बहन को पांच लाख रुपए नकद तथा अन्य घर-गृहस्थी का सामान दिया था, किन्तु अभियुक्त व्यक्ति इस प्रकार दिए गए दहेज से प्रसन्न नहीं थे और वे उक्त दहेज के अलावा दो लाख रुपए नकद तथा एक वैगन आर कार की मांग कर रहे थे । जब वह अपनी बहन के विवाह के पश्चात् उसके वैवाहिक घर गया था तो उसकी मृतक बहन ने उसे उसके वैवाहिक गृह के कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा किए जा रहे मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न के बारे में सूचना दी थी । उसने अपनी बहन के वैवाहिक घर के सदस्यों से यह अनुरोध किया था कि वे पूर्वोक्त मांग का त्याग कर दें किन्तु इसके बावजूद उसकी बहन का उत्पीड़न जारी रहा । उसने तारीख 7 अप्रैल, 2011 को पुलिस अधीक्षक, हाथरस को एक आवेदन प्रस्तुत किया और उसके पश्चात् वह अपनी बहन को वापस अपने घर ले गया । तारीख 17 जुलाई, 2011 को उसकी बहन का पति राहुल और उसका ननदोई प्रमोद कुमार, उसकी बहन को वापस उसके वैवाहिक घर ले जाने हेतु उनके घर आए और उस समय उसने उन्हें यह सूचित किया कि मुन्नी देवी, रश्मि, चेतन, राखी, दीपू और पूजा ने भी अतिरिक्त दहेज की मांग की थी और उस मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया । उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और यह आश्वासन दिया कि उसके पश्चात् उसकी बहन का किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा । तत्पश्चात् उसे यह सूचना प्राप्त हुई कि उसकी बहन के ससुराल पक्ष के लोग पुन: दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न कर रहे हैं और तब वह तारीख 11 जुलाई, 2011 को अपने मित्रों के साथ अपनी बहन के वैवाहिक घर गया । वहां उसकी बहन ने उसे यह सूचित किया कि उसके ससुराल पक्ष के लोग पुन: उससे दो लाख रुपए की नकद रकम तथा एक वैगन आर कार की मांग कर रहे हैं और यह सुनकर उसने उन्हें कुछ घरेलू सामान उपलब्ध कराया तथा यह सूचित किया कि उसके द्वारा प्रशीतन भांडागृह में भंडार किए गए आलू सड़ गए थे और इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी और जब भी उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो वह उनकी दहेज की मांग को पूरा करेगा, किन्तु तारीख 3 अगस्त, 2011

को प्रात: 5.30 बजे उसे यह सूचना प्राप्त हुई कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है । वह अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ अपनी बहन के वैवाहिक घर गया । प्रदीप सोलंकी (अभि. सा. 1) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को लेखबद्ध किया और उसने उस पर हस्ताक्षर किए और उसके पश्चात् उसे रजिस्टर किया ।

7. रश्मि (अभि. सा. 3), मनोज **उर्फ** धमेन्द्र तोमर की पत्नी और उसका पति मनोज **उर्फ** धमेन्द्र सिंह ने क्रमश: अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के रूप में अपने कथनों को लेखबद्ध कराया और उन्होंने अभि. सा. 2 द्वारा दिए गए कथनों की अंतर्वस्तु को दोहराया । अभि. सा. 4 ने अपने कथन में इस बात को जोड़ा कि मृतका के शव के समीप एक लगभग डेढ़ मीटर की चुनरी पड़ी थी जिसके द्वारा मृतका को उसकी हत्या के पश्चात् फांसी पर लटकाया गया था ।

8. अंचल अधिकारी, जगत राम जोगी (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि उसने पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार और राजेन्द्र पाल सिंह द्वारा प्रारंभिक अन्वेषण करने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध का अन्वेषण कार्य पूरा किया था । उसने आरोप पत्र तथा अन्वेषण के अन्य अभिलेखों को साबित किया ।

9. अनिल कुमार (अभि. सा. 6), पुलिस अपर अधीक्षक, ग्रामीण, गाजीपुर ने यह कथन किया कि उसने इस मामले का प्रारंभिक अन्वेषण किया और उसने उसके द्वारा किए गए अन्वेषण संबंधी कार्य के भाग को साबित किया ।

10. डा. राकेश कुमार सागर (अभि. सा. 7) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया कि उसने मृतका श्रीमती अलका, राहुल चौहान की पत्नी के शव की शव-परीक्षा की थी । उक्त परीक्षा से उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :–

> "गर्दन के चारों ओर 28 सें. मी. × 2 सें. मी. का पट्टिका का चिह्न विद्यमान है जो ठोढ़ी से 8 सें. मी. नीचे मौजूद है । अधोहनु के निचले सिरे के साथ-साथ तिरछे रूप में विद्यमान है । कर्णमूल प्रक्रिया के दाहिनी ओर पट्टिका का चिह्न मौजूद नहीं है । कट सेक्शन पर अधस्त्वचीय ऊतक में चरम पत्र जैसी वस्तु

विद्यमान है । पट्टिका चिह्न में खरोंचों के चिह्न भी दर्शित हो रहे हैं । पट्टिका के चिह्न थायरायड कार्टिलेज के ऊपर विद्यमान हैं ।"

11. मनोज वार्ष्णेय (अभि. सा. 8) ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि तारीख 3 अगस्त, 2011 को वह नायब तहसीलदार, हाथरस के रूप में तैनात था और उसने मृतका की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार कराई थी । उसने उक्त रिपोर्ट पर मौजूद अपने हस्ताक्षरों को साबित किया ।

12. योगेश शर्मा (अभि. सा. 9), पैरोकार, पुलिस थाना, कोतवाली, हाथरस ने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और उस पर मौजूद हस्ताक्षरों को साबित किया ।

13. कांस्टेबल अनिल कुमार (न्यायालय साक्षी-1) ने यह साबित किया कि वर्तमान मामले की मामला डायरी को तारीख 5 नवम्बर, 2011 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया था और उसने उसे साबित किया ।

14. प्रतिरक्षा पक्ष ने दशरथ सिंह (प्रति. सा. 1) की परीक्षा की, जिसने यह कथन किया कि घटना के समय अभियुक्त, मुन्नी देवी, रश्मि और उसका पति चेतन उसके फतेहगढ़ स्थित घर में मौजूद थे क्योंकि वे तारीख 31 जुलाई, 2011 को उसकी पुत्रवधू के दाह-संस्कार में सम्मिलित होने के लिए फतेहगढ़ आए थे और वे उसके घर में निवास कर रहे थे । साक्षी ने यह दावा किया कि सह-अभियुक्त मुन्नी देवी, मृतका की सास उसकी बहन थी ।

15. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 313 के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों के कथनों को लेखबद्ध किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया और यह कथन किया कि घटना के समय श्रीमती मुन्नी देवी अपने मायके वाले घर गई हुई थी और चेतन तथा उसकी पत्नी रश्मि मृतका के परिवार से अलग कहीं अन्यत्र निवास कर रहे थे । सह-अभियुक्त प्रमोद कुमार ने यह कथन किया कि वह गजरौली का निवासी नहीं है और अभियुक्त राहुल ने यह कथन किया कि मृतका हठी प्रकृति वाली महिला थी और वह अपने मायके जाने के लिए किस्म-किस्म की मांगे सामने रखती थी और वह

उसे इस प्रभाव के ताने देती थी कि उसका विवाह एक चपरासी से हुआ है और उसका जीवन बर्बाद हो गया है ।

16. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध का गठन करने हेतु अनिवार्य घटकों को वर्तमान मामले में समुचित रूप से सामने नहीं लाया गया है । सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध साधारण रूप से आरोप लगाए गए हैं और उक्त आरोपों के संबंध में किसी प्रकार की विशिष्टियां और इस प्रकार के कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं कि प्रत्येक अभियुक्त ने अभिकथित रूप से क्या अपराध किया था । अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट क्षति या क्रूरतापूर्ण कार्य करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किसी भी घटना के संबंध में पुलिस या पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कोई शिकायत भेजे जाने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । वर्तमान मामले में मृतका के वैवाहिक घर की विवाहित पुत्रियों, अर्थात् राखी और दीपू को भी उनके पतियों के साथ संलिप्त किया गया है । इस प्रभाव का कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि श्रीमती मुन्नी देवी उस घर में निवास कर रही थी और न ही इस प्रभाव का कोई अभिकथन किया गया है कि मृतका के जेठ और जेठानी भी उसी घर में निवास कर रहे थे । विद्वान् काउंसेल ने **शिवेन्द्र रायजादा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है और यह दलील प्रस्तुत की है कि अभिकथित अपराध के संबंध में कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोप होने चाहिए ।

17. सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध केवल यह अभिकथन किया गया है कि मृतका अपने कुटुम्ब के सदस्यों को उसके वैवाहिक घर के कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा किए जा रहे उसके उत्पीड़न के संबंध में बताया करती थी । अपीलार्थियों को उत्पीड़न और क्रूरता के किसी कार्य के किसी विनिर्दिष्ट आरोप के बिना दंड संहिता की धारा 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध करने के लिए त्रुटिपूर्ण रूप से सिद्धदोष ठहराया गया है ।

---

[1] (2018) लॉ सूट (इलाहाबाद) 382 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2018 इलाहाबाद 4957.

18. अपीलार्थी निर्धन व्यक्ति है और इत्तिलाकर्ता अनिल सिंह तोमर फिरोजाबाद का एक जाना-माना अधिवक्ता/राज्य काउंसेल है । प्रमोद सोलंकी, अनिल सिंह तोमर का मित्र है और साथ ही वह स्वयं भी एक अधिवक्ता है । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह वर्ष 1992 से अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा है और वह मृतका को दिए जा रहे उत्पीड़न या उस पर बरती गई किसी क्रूरता का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । इस प्रकार प्रमोद सोलंकी एक विश्वसनीय साक्षी नहीं है और उसने इत्तिलाकर्ता का मित्र और स्वयं एक अधिवक्ता होने के कारण न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन प्रस्तुत किया है ।

19. मृतका के वैवाहिक घर के सभी कुटुम्ब सदस्यों के विरुद्ध साधारण रूप से आरोप लगाए गए हैं । तारीख 7 अप्रैल, 2011 के रजिस्ट्रीकृत पत्र के बारे में न तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कोई उल्लेख किया गया है और न ही अन्वेषण के दौरान उसकी कोई प्रति अन्वेषण अधिकारी को उपलब्ध कराई गई थी जिससे कि उसकी सत्यता को अन्वेषण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सके । यदि उसे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय भेजा गया था तो उसके आधार पर क्या कार्रवाई की गई थी, इस संबंध में कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया गया है । जब तक कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध दहेज की मांग के संबंध में कोई अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध न हो तब तक केवल संदेह के आधार पर तथा किसी महिला के विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर उसकी अप्राकृतिक मृत्यु के कारण अभियुक्तों की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शांति देवी** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] और **कैलाश** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] तथा अन्य मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के साथ दंड संहिता की धारा 304ख के

---

[1] ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1226.

[2] (2006) 12 एस. सी. सी. 667 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 107.

अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है । इसलिए विचारण न्यायालय ने त्रुटिपूर्वक रूप से अपीलार्थियों को पृथक् रूप से दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 तथा दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन सिद्धदोष ठहराया है ।

21. हत्या का अपराध कारित किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज किया गया था किन्तु विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आरोप विरचित किए थे । जब मृतका ने आत्महत्या की थी तो उस समय घर में कोई भी अभियुक्त मौजूद नहीं था । विचारण न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह इस प्रभाव का कोई निश्चित निष्कर्ष निकालता कि मृतका की हत्या की गई थी अथवा उसने स्वयं आत्महत्या की थी । विचारण न्यायालय ने केवल अभियोजन के पक्षकथन तथा साक्ष्य को दोहराया है और उसके पश्चात् अकास्मात् यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक दहेज मृत्यु का मामला है । उसी साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने सह-अभियुक्त प्रमोद कुमार और श्रीमती रश्मि को दोषमुक्त कर दिया जबकि विचारण न्यायालय ने अन्य तीन अभियुक्तों को, उनके विरुद्ध किसी विनिर्दिष्ट साक्ष्य के बिना ही मृतका और उसक गर्भ में पलने वाले बालक की हत्या के लिए सिद्धदोष ठहराया और अपीलार्थियों को इस प्रकार दंड संहिता की धारा 316 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है ।

22. यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामला एक आत्महत्या का मामला है क्योंकि मतृका के शरीर के किसी भी भाग पर संघर्ष या क्षति का कोई चिह्न नहीं पाया गया है और न ही उसके शरीर पर खरोंचों के कोई निशान पाए गए हैं और न ही उसके बालों को नोचा गया है और न ही उसके वस्त्र आदि को फटा हुआ पाया गया है । उसके शरीर पर केवल एक पट्टिका का चिह्न पाया गया है जो कि पूर्ण रूप से गोलाई में नहीं है और वह चिह्न कर्णमूल के दाहिनी ओर मौजूद नहीं है । थॉयरायड अस्थि का अस्थिभंग नहीं हुआ है और पट्टिका का चिह्न पूर्ण नहीं है । चिकित्सा न्यायशास्त्र के अनुसार यह स्पष्ट रूप से आत्महत्या का मामला है ।

23. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस प्रभाव का कोई अभिकथन नहीं किया गया था कि मृतका गर्भवती थी या यह कि अभियुक्त ने एक अजन्मे बालक की हत्या की है । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में भी इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । केवल शव-परीक्षा रिपोर्ट से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि मृतका गर्भवती थी ।

24. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने इस तथ्य पर बल दिया है कि अभियुक्त राहुल के साथ मृतका का विवाह तारीख 2 दिसम्बर, 2010 को अनुष्ठापित हुआ था और उसकी मृत्यु तारीख 3 अगस्त, 2011 को हुई थी और उस समय गर्भ में पल रहे बालक की आयु को साढ़े आठ मास से अधिक के रूप में निर्धारित किया गया, अत: मृतका का गर्भ राहुल से मृतका के विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से पहले का है । डाक्टर ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका की मृत्यु एक आत्महत्या थी और इसलिए वर्तमान मामला विवाह से पूर्व किए गए अवांछित/अप्रकटित गर्भधारण के कारण की जाने वाली आत्महत्या का मामला है और अपीलार्थियों को त्रुटिपूर्वक दंड संहिता की धारा 316 के अधीन अपराध करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ।

25. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में पीड़िता के गर्भवती होने के संबंध में कोई अभिकथन न होने के कारण तथा शव-परीक्षा रिपोर्ट में गर्भ के संबंध में उल्लेख के आधार पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सं. 3 विरचित किया, जिसमें यह अभिकथन किया गया कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने मिलकर तारीख 3 अगस्त, 2011 को मृतका की पिटाई की थी जिसके परिणामस्वरूप गर्भ में ही उसके बालक की मृत्यु हो गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, अन्वेषण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए साक्षियों के कथनों में इस प्रभाव का कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था, इसलिए उक्त आरोप को मिथ्या आधार पर विरचित किया गया है । यदि कोई गर्भवती महिला स्वयं आत्महत्या कर लेती है तो उसके वैवाहिक घर के कुटुम्ब सदस्यों को दंड संहिता की धारा 316 के अधीन दंडित नहीं किया जा सकता ।

26. मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट के साक्षियों ने यह कथन किया है कि राहुल और अन्य अभियुक्तों ने मिलकर अलका की हत्या की है । मृतका के शरीर पर गर्दन के अलावा अन्यत्र कहीं कोई क्षति नहीं पाई गई ।

अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि हत्या के पश्चात् मृतका का शव बिस्तर पर पड़ा था जबकि साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतका को फांसी पर लटकाया गया था या उसने स्वयं फांसी लगा ली थी ।

27. संपूर्ण अभिसाक्ष्य अनुश्रुत प्रकृति का है । यह अभिकथन किया गया है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट 3 अगस्त, 2011 को तैयार की गई थी किन्तु नायब तहसीलदार मनोज वार्ष्णेय ने उस पर तारीख 4 अगस्त, 2011 को हस्ताक्षर किए हैं । अतः, मनोज वार्ष्णेय (अभि. सा. 8) द्वारा प्रस्तुत किया गया परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । पूर्वोक्त साक्षी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि शव के समीप बरामद की गई चुनरी मृतका की थी । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में मृतका के गर्भवती होने के तथ्य को जानबूझकर छिपाया गया और अभि. सा. 1 तथा अभि. सा. 2, जो अधिवक्ता हैं, के प्रभाव के कारण उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया । अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना के समय अभियुक्त-अपीलार्थी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे । रश्मि (अभि. सा. 3) के कथन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि विवाह के समय राहुल को एक अध्यापक बताया गया था किन्तु उसके पश्चात् यह तथ्य प्रकट हुआ कि उसे उसके पिता के स्थान पर डाइंग एंड हार्नेस नियम के अधीन चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था । मृतका इस बात से अपीलार्थी राहुल से प्रसन्न नहीं थी और यह तथ्य भी एक ऐसा कारण था जिसके आधार पर इत्तिलाकर्ता के संबंध अपनी बहन के वैवाहिक घर के कुटुम्ब सदस्यों के साथ मैत्रीपूर्ण नहीं थे ।

28. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अंत में यह दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी राहुल तारीख 10 अगस्त, 2011 से कारागार में है और वह उसे दिए गए दंडादेश की अधिकतम 10 वर्ष की अवधि को लगभग पूरा करने वाला है । अन्य अपीलार्थियों, श्रीमती मुन्नी देवी और चेतन को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है और वे तुरंत दोषमुक्त किए जाने के लिए हकदार हैं ।

29. विद्वान् एजीए ने अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध किया है और यह दलील प्रस्तुत की है कि चूंकि मृतका

की मृत्यु अपीलार्थी राहुल से उसके विवाह से सात वर्ष की अवधि के भीतर हुई है इसलिए इस तथ्य को साबित करने का दायित्व अपीलार्थियों के है कि वे वर्तमान मामले में दोषी नहीं हैं । अभिलेख पर इस प्रभाव का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मृतका का उसके पति और अन्य नातेदारों द्वारा उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व उत्पीड़न किया गया । प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य की उपस्थिति में अन्यथा भी अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जा सकता है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 113ख के अधीन यदि यह दर्शित किया जाता है कि ऐसी महिला की मृत्यु से तुरंत पूर्व अभियुक्तों द्वारा उसके साथ दहेज की किसी मांग को लेकर या उसके संबंध में क्रूरता बरती गई थी तो न्यायालय यह उपधारणा बनाएगा कि ऐसे व्यक्तियों ने दहेज मृत्यु का अपराध किया है । विद्वान् एजीए ने यह दलील प्रस्तुत की है कि मृतका की मृत्यु से पूर्व पुलिस अधीक्षक को इत्तिलाकर्ता द्वारा उसके तारीख 7 अप्रैल, 2011 के रजिस्ट्रीकृत पत्र के माध्यम से यह सूचना दी गई थी कि उसकी बहन का अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा है । अतः, मृतका की मृत्यु से पूर्व मृतका के उत्पीड़न संबंधी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है और इसलिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और उनके विरुद्ध पारित दंडदोश न्यायोचित है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

30. इत्तिलाकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री धरमवीर सिंह ने यह दलील प्रस्तुत की है कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से दहेज मृत्यु से संबंधित मामला है और अभिलेख से इस तथ्य को साबित किया गया है कि मृतका की मृत्यु से तुरंत पूर्व दो लाख रुपए नकद तथा वैगन आर कार की दहेज के रूप में मांग को पूरा न किए जाने के कारण उसके विरुद्ध क्रूरता बरती गई और उसका उत्पीड़न किया गया था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि वर्तमान मामले में अपने निर्दोषिता को साबित करने का दायित्व अभियुक्त व्यक्तियों पर है और वे वर्तमान मामले में अपनी निर्दोषिता को साबित करने में असफल हुए है । साक्षी यह बात साबित करने में समर्थ नहीं रहे हैं कि उनके द्वारा दहेज की मांग नहीं की गई थी । इस प्रकार,

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथन सत्य हैं । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त व्यक्ति मृतका के मृत्यु के कारण को भी स्पष्ट करने में असफल रहे हैं और वे इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं करा सके हैं कि मृतका की मृत्यु किस प्रकार हुई । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत तर्कों के उत्तर में उन्होंने यह दलील प्रस्तुत की है कि मृतका के वैवाहिक घर के सभी सदस्यों के विरुद्ध साधारण अभिकथन किए गए हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मृतका के भाई द्वारा दर्ज की गई है और उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि उसे उन विभिन्न घटनाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी, जिसके दौरान मृतका के प्रति अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा क्रूरता बरती गई और उसका उत्पीड़न किया गया । उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह संपूर्ण मामले को भलीभांति समग्र रूप से स्पष्ट करे । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत इस दलील के संबंध में कि मृतका के शव पर किसी प्रकार की क्षतियों का कोई चिह्न नहीं पाया गया था, उन्होंने यह दलील प्रस्तुत की है कि ऐसा कहना सत्य नहीं है क्योंकि क्रूरता मानसिक और शारीरिक तथा दोनों प्रकार की हो सकती है । मानसिक क्रूरता भी दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध का गठन करती है । इत्तिलाकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा **कामेश पंजियार** उर्फ **कमलेश पंजियार** बनाम **बिहार राज्य**[1] द्वारा दिए गए निर्णय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा **पठान हुसैन बाशा** बनाम **राज्य**[2] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है । उक्त निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन प्रयुक्त "उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व" पद को स्पष्ट किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि विधानमंडल द्वारा उक्त पद का संकीर्ण निर्वचन किया जाना आशयित नहीं था । तथापि, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि साथ ही, शास्तिक

---

[1] (2005) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 511 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 785.

[2] (2012) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 989 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3205.

उपबंध होने के कारण उक्त पद का कड़ाई से निर्वचन किए जाने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना अपेक्षित है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क अर्थहीन है कि मृतका ने आत्महत्या की थी और उक्त तथ्य को किसी भी प्रकार के साक्ष्य, जैसे कि आत्महत्या संबंधी टिप्पण के माध्यम से साबित नहीं किया गया है । इस बात में भी संदेह प्रतीत होता है कि घटना के समय अभियुक्त व्यक्ति उपस्थित नहीं थे अत:, उनका इस प्रभाव का अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् भी आधारहीन है । अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतका को मजबूर किया और उसने दहेज की मांग के कारण आत्महत्या की । इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह साबित करने का प्रयास करके कि मृतका अपीलार्थी राहुल से उसके विवाह से पूर्व गर्भवती थी, उसका चरित्र-हनन करने का प्रयास किया गया है । डाक्टर की इस बिन्दु पर कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई और न ही किसी अन्य साक्षी की इस विवाद्यक के संबंध में परीक्षा की गई । इस प्रकार यह तर्क आधारहीन है और उसे विचार में नहीं लिया जा सकता ।

31. विरोधी दलीलों पर विचार करने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दंड संहिता की धारा 304ख के चार अनिवार्य घटक इस प्रकार हैं :–

1. महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षतियों के कारण हुई है या अन्यथा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों के अधीन हुई है ।

2. महिला की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है ।

3. महिला के प्रति उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता बरती गई थी या उसका उत्पीड़न किया गया था ।

4. इस प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की किसी मांग को लेकर थी या उससे संबंध थी ।

32. वर्तमान मामले में महिला की मृत्यु जलने के कारण या शारीरिक क्षतियों के कारण नहीं हुई है किन्तु उसकी मृत्यु “अन्यथा

सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों के अधीन हुई है" । क्या वर्तमान मामले में महिला के प्रति उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता बरती गई थी या उसका उत्पीड़न किया गया था, इस प्रश्न का अवधारण किया जाना अपेक्षित है । अभियोजन पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को तारीख 7 अप्रैल, 2011 को रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए एक पत्र का अवलंब लिया है किन्तु उक्त पत्र के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कथनों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । पूर्वोक्त शिकायत और रजिस्ट्रीकृत डाक की पावती को न तो साबित किया गया और न ही विचारण न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रदर्शित किया गया ।

33. अभियोजन पक्ष द्वारा केवल एक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो यह साबित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है कि मृतका की मृत्यु से तुरंत पूर्व उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता बरती गई थी या उसका उत्पीड़न किया गया था । इस संबंध में अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक परिसाक्ष्य अभिलेख पर विद्वान् है जो संगत और स्पष्ट हैं ।

34. चिकित्सा साक्ष्य से यह सुझाव प्राप्त नहीं होता है कि मृतका की हत्या गला घोंटकर की गई थी । उसकी मृत्यु, मृत्युपूर्व फांसी लगाए जाने के परिणामस्वरूप दम घुटने के कारण हुई है । मनोज उर्फ धर्मेन्द्र तोमर की पत्नी रश्मि (अभि. सा. 3), जो मृतका की भाभी है, ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसे यह ज्ञात था कि अभियुक्त राहुल, मृतका का पति, अध्यापक के रूप में कार्य करता था किन्तु उसके पश्चात् उसकी जानकारी में यह तथ्य आया कि वह केवल एक चपरासी था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए अपने कथन में अपीलार्थी राहुल ने यह कहा है कि मृतका एक जिद्दी प्रकृति की महिला थी । वह सदैव अपने माता-पिता के घर जाने के लिए अनुरोध करती थी जो उसे स्वीकार्य नहीं था । वह अक्सर उसे यह ताना भी देती थी कि उसका विवाह एक चपरासी से कर दिया गया है

और उसका जीवन नरक बन गया है । यह प्रतीत होता है कि मृतका के कुटुम्ब सदस्यों ने दबाव डालकर मृतका का विवाह अपीलार्थी राहुल से यह समझकर कराया था कि उसके पिता, जो एक अध्यापक थे, की मृत्यु के पश्चात् उसे अनुग्रह आधार पर अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है । मृतका को विवाह के पश्चात् इस तथ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और उसकी भाभी रश्मि (अभि. सा. 4) ने यह तथ्य स्वीकार किया कि मृतका की मृत्यु की तारीख तक उसे भी इस तथ्य की जानकारी नहीं थी । मृतका की मृत्यु के पश्चात् ही अभि. सा. 4 को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि अपीलार्थी राहुल चपरासी के रूप में कार्य कर रहा था तथापि, इत्तिलकार्ता (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि उसे और उसके माता-पिता को मृतका के विवाह से पूर्व इस बात की जानकारी थी कि राहुल एक वर्ग-4 का कर्मचारी है और वह कोई अध्यापक नहीं है ।

35. यह तर्क कि अभि. सा. 8 नायब तहसीलदार, मनोज कुमार मृत्युसमीक्षा के समय उपस्थित नहीं था, न्यायलाय के अभिलेख से सिद्ध नहीं होता है । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से तारीख 3 अगस्त, 2011 का उल्लेख किया गया है । तथापि, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट के अंतिम से पहले पृष्ठ पर नायब तहसीलदार के नाम और हस्ताक्षर के साथ तारीख 4 अगस्त, 2011 का उल्लेख किया गया है और इस कारणवश यह प्रतीत होता है कि अभिलेख से कोई छेड़छाड़ की गई है ।

यह तर्क भी सही प्रतीत नहीं होता है कि मृतका ने अवांछित गर्भधारण के कारण आत्महत्या की क्योंकि उसका विवाह अपीलार्थी राहुल से तारीख 2 दिसम्बर, 2010 को अनुष्ठापित हुआ था और उसकी मृत्यु तारीख 3 अगस्त, 2011 को हुई है । इस प्रकार उनके वैवाहिक जीवन की कुल अवधि लगभग 8 मास है । तथापि, मृतका की शव-परीक्षा रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है कि उसके गर्भ में पल रहा बालक 34 सप्ताह का था जिसका अर्थ है कि वह 238 दिन या 8 मास का था, अत:, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क

कि मृतका विवाह से पूर्व गर्भवती हो गई थी, विश्वास किए जाने योग्य नहीं है । यदि यह मान भी लिया जाए कि मृतका ने आत्महत्या की है फिर भी अपीलार्थियों द्वारा किए गए कार्य इस प्रकृति के हैं कि वे दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण की श्रेणी में आते हैं । अपीलार्थी राहुल का विवाह तथ्य के मिथ्या प्रकटन के आधार पर मृतका से अनुष्ठापित हुआ था कि वह एक अध्यापक के रूप में कार्यरत है और विवाह के पश्चात् मृतका को यह तथ्य ज्ञात हुआ कि उसका पति केवल एक चपरासी है और इसलिए दंड संहिता की धारा 107 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार यह माना जा सकता है कि अपीलार्थियों ने ऐसे सारवान् तथ्यों, जिन्हें वे मृतका और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के समक्ष प्रकट करने के लिए आबद्ध थे, का दुर्व्यपदेशन किया है और उन्हें जानबूझकर छिपाया है और इस प्रकार उन्होंने स्वैच्छिक रूप से मृतका को आत्महत्या करने हेतु उकसाया है । यह साबित करने का दायित्व प्रतिरक्षा पक्ष पर था कि मृतका के साथ उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व किसी प्रकार की कोई क्रूरता नहीं बरती गई थी और वे मृतका द्वारा आत्महत्या करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे । किन्तु अपीलार्थी यह साबित करने में असफल रहे हैं ।

36. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा रखे गए ये तर्क मान्य नहीं है कि दंड संहिता की धारा 316 के अधीन अपराध करने के लिए अपीलार्थी को दिया गया दंडादेश अवांछित है क्योंकि इस संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कोई आरोप नहीं लगाया गया था । शव-परीक्षा रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया कि मृतका गर्भवती थी और मृतका की मृत्यु के कारण उसके बालक की गर्भ में ही मृत्यु हो गई । शव-परीक्षा रिपोर्ट इस संबंध में अपीलार्थियों के विरुद्ध विरचित आरोप सं. 3 का पूर्णतया समर्थन करती है ।

37. यह तर्क सही प्रतीत होता है कि दंड संहिता की धारा 498क, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 और दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दिए गए पृथक् दंडादेश वांछित नहीं है । यदि एक बार दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आरोप साबित हो जाते हैं तो दंड

संहिता की धारा 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अभियुक्तों को दंडादिष्ट करना न्यायोचित नहीं है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **दीपक कुमार** उर्फ **बाबू** उर्फ **बल्लू** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा **शांति** बनाम **हरियाणा राज्य** (पूर्वोक्त) वाले मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है ।

38. यदि यह मान भी लिया जाए कि मृतका ने आत्महत्या की है तो उसकी आत्महत्या का कारण स्पष्ट रूप से अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके साथ किया जाना दुर्व्यवहार है । अभियुक्त व्यक्ति विवाह के एक वर्ष के भीतर मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारण को साबित असफल रहे हैं । यह साबित करने का दायित्व अपीलार्थियों पर था कि वे वर्तमान मामले में निर्दोष हैं । वे इस संबंध में कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं कि मृतका ने आत्महत्या क्यों की । इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मृतका ने अपीलार्थी राहुल से उसके विवाह से पूर्व गर्भधारण किया था क्योंकि विवाह की अवधि और गर्भधारण की अवधि लगभग एक समान, अर्थात् लगभग 240 दिन है । इस बिन्दु पर डाक्टर की परीक्षा नहीं की गई है कि क्या गर्भ 34 सप्ताह से अधिक का हो सकता था । यह तर्क भी मिथ्या प्रतीत होता है कि मृतका के गर्भवती होने के संबंध में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि साक्षी मृतका के नियमित संपर्क में नहीं थे और इसलिए उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि क्या मृतका गर्भवती थी अथवा नहीं । अतः, दंड संहिता की धारा 316 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है और उनकी पुष्टि की जाती है ।

39. दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है क्योंकि अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध करने का दोषी पाया गया है । अतः, अपीलार्थी राहुल और श्रीमती मुन्नी देवी की दंड संहिता की

---

[1] (2019) लॉ सूट (इलाहाबाद) 1225.

धारा 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है ।

अतः, दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि की अभिपुष्टि की जाती है । अपीलार्थी राहुल तारीख 10 अगस्त, 2011 से कारागार में है और अन्य अपीलार्थी, अर्थात् चेतन और श्रीमती मुन्नी देवी तारीख 10 अगस्त, 2018 से कारागार में हैं ।

40. दंड संहिता की धारा 304ख और धारा 316 के अधीन अपीलार्थी राहुल के दंडादेश की अवधि को घटाकर ऐसी अवधि किया जाता है, जितनी अवधि उसने पहले ही कारावास में व्यतीत की है, जो लगभग साढ़े नौ वर्ष है ।

41. जहां तक अपीलार्थी श्रीमती मुन्नी देवी का संबंध है, यह पाया गया है कि मुन्नी देवी की आयु लगभग 68 वर्ष है और इसलिए दंड संहिता की धारा 316 और 304ख के अधीन उसके दंडादेश की पुष्टि करते हुए उसके दंडादेश की अवधि को घटाकर सात वर्ष किया जाता है, जो दंड साथ-साथ चलेंगे ।

42. अपीलार्थी चेतन, अपीलार्थी राहुल का बड़ा भाई है । उसे इस मामले में इसलिए संलिप्त किया गया क्योंकि यह अभिकथन किया गया था कि वह अन्य अपीलार्थियों के साथ उसी घर में निवास कर रहा था । उसकी पत्नी रश्मि देवी को इस आधार पर दोषमुक्त किया गया है कि घटना के समय वह गर्भवती थी और वह अपने वैवाहिक घर में रहने के बजाय अपने माता-पिता के घर पर निवास कर रही थी । अपीलार्थियों ने अन्यत्र उपस्थिति होने का अभिवाक् किया है कि वह उस समय अपनी माता के साथ प्रति. सा. 1 के घर गया हुआ था जब उक्त घटना घटित हुई थी । प्रति. सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष इस तथ्य के संबंध में परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है किन्तु उसे विश्वसनीय नहीं पाया गया ।

43. इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि अपीलार्थी चेतन का अपना स्वयं का परिवार है और वर्तमान समय में दो विवाहित भाइयों के लिए एक ही घर में निवास करना कठिन है, विशेष रूप से उस समय

जब वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं इसलिए अपीलार्थी चेतन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है । यदि वह लालची होता तो उसने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी का उत्पीड़न किया होता न कि अपने भाई की पत्नी का ।

44. ऊपर कथित की गई सीमा तक विचारण न्यायालय के निर्णय को उपांतरित किया जाता है ।

45. वर्ष 2018 की दांडिक अपील सं. 4955 में अपीलार्थी के राहुल के संबंध में ये निदेश दिया जाता है कि उसे तुरंत निर्मुक्त किया जाए क्योंकि उसके दंडादेश की अवधि को घटाकर ऐसी अवधि कर दिया गया है, जितनी उसने कारागार में व्यतीत कर ली है ।

46. वर्ष 2018 की दांडिक अपील सं. 5108 की अपीलार्थी मुन्नी देवी, उसके द्वारा पहले से भोगे गए दंडादेश का समायोजन करने के पश्चात् ऊपर दिए गए निदेश के अनुसार कम किए गए सात वर्ष के दंडादेश की शेष अवधि को पूरा करेगी ।

47. वर्ष 2018 की दांडिक अपील सं. 4942 के अपीलार्थी के चेतन को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उसे तुरंत कारागार से निर्मुक्त किया जाए ।

48. ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार तीनों दांडिक अपीलों को आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है ।

49. निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन हेतु निचले न्यायालय को अग्रेषित की जाए ।

अपील आंशिक रूप से मंजूर की गई ।

पु.

सोमेन उर्फ **निमाई पात्रा**

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

(2015 की दांडिक पुनरीक्षण अपील सं. 782)

तारीख 5 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376, धारा 511 और धारा 354 – अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि उसने एक मूक और बधिर लड़की के माता-पिता की घर में अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्संग करने का प्रयास किया – अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अभियुक्त की शनाख्त और घटनास्थल के अवस्थान के संबंध में अनेक प्रकार के विरोधाभासों का पाया जाना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त की शनाख्त स्थापित करने के लिए शनाख्त परेड कराए जाने में असफल रहना – अभियोजन पक्ष द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़ित लड़की के कथन को विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाना – किन्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उक्त कथन का स्वीकार्य साक्ष्य न होना – चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट में इन तथ्यों को दर्शित किया जाना कि पीड़ित लड़की के शरीर पर नाखूनों की खरोंचों से हुई सतही क्षतियां विद्यमान हैं किन्तु लैंगिक मैथुन का कोई संकेत या चिह्न नहीं पाया गया – मामले की परिस्थितियों और तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है, अत: उसे दोषमुक्त किया जाता है ।

मामले का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 376/511 के अधीन

पताशपुर पुलिस थाना मामला सं. 90/2009, तारीख 5 सितम्बर, 2009 को मनोरंजन दलुई नामक एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया, जिसमें उक्त शिकायतकर्ता ने, अन्य बातों के साथ, यह अभिकथन किया कि तारीख 4 सितम्बर, 2009 को सायं लगभग 6.00 बजे शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी के घर में उपस्थित न होने के अवसर का लाभ उठाते हुए अपीलार्थी ने उसकी मूक और बधिर पुत्री द्वारा धारण किए हुए वस्त्रों को फाड़कर उसके साथ बलात्संग करने का प्रयास किया । पुलिस ने मामले का अन्वेषण आरंभ किया तथा अन्वेषण पूरा होने के उपरांत पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) के उपबंधों के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया । उक्त मामला सर्वप्रथम विद्वान् सेशन न्यायालय को सौंपा गया जिसे उसके पश्चात् विचारण हेतु कोन्टाई स्थित विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के त्वरित निपटान तीसरे न्यायालय को अंतरित किया गया । निचले न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से यह पाया गया कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने तारीख 27 अगस्त, 2012 को अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन आरोप विरचित किए थे । पुन: तारीख 28 फरवरी, 2014 को अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में परिवर्तन किया गया और अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376 के अधीन वैकल्पिक आरोप विरचित किया गया । चूंकि अपीलार्थी ने अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया इसलिए उसके विरुद्ध मामले का विचारण आरंभ किया गया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल करके उसे चुनौती दी । उच्च न्यायालय ने अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् मैं प्रारंभ में यह उल्लेख करना चाहूंगा कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने पीड़ित लड़की के कथन को उसके द्वारा प्रस्तुत मुख्य अभिसाक्ष्य के रूप में स्वीकार करके गंभीर त्रुटि की है ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किसी साक्षी द्वारा लेखबद्ध कराया गया कथन साक्ष्य स्वरूप स्वीकार्य नहीं है किन्तु इसका उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 157 और धारा 145 के अधीन यथाउपबंधित रीति में न्यायालय में साक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी कथन की पुष्टि या उसका खंडन करने के लिए सीमित रूप से किया जा सकता है । इस धारा के अधीन दिए गए कथन का उपयोग साक्ष्य की एक सारवान् सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता । किन्तु इसका उपयोग न्यायालय में दिए गए किसी कथन की पुष्टि या उसके खंडन के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा के लिए भी किया जा सकता है ताकि यह दर्शित किया जा सके कि साक्षी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा अभिसाक्ष्य मिथ्या है किन्तु इससे यह स्थापित नहीं होता कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपने कथन में न्यायालय से बाहर जो कहा था वह सत्य है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किसी साक्षी द्वारा किए गए किसी कथन का उपयोग, उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिसाक्ष्य की अभिपुष्टि या उसे नकारने के लिए या उसकी प्रतिपरीक्षा के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है । वर्तमान मामले में, विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़ित लड़की के कथन को एक प्रमुख सारवान् साक्ष्य के रूप में विचार में लिया है । यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दिए गए किसी कथन के साक्ष्य संबंधी मूल्य के विस्तार क्षेत्र का नितांत उल्लंघन है और साथ ही यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन न्यायालय के समक्ष किसी साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुन: परीक्षा के स्थापित सिद्धांतों के भी विरुद्ध है । केवल इसी आधार पर उच्च न्यायालय से यह अभिनिर्धारित करना अपेक्षित है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा विरचित आरोपों के समर्थन में पीड़ित लड़की का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है । यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय और साथ ही विभिन्न उच्च

न्यायालयों द्वारा दिए गए असंख्य निर्णयों को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत स्पष्ट है कि योनि में लिंग का तनिक प्रवेश मात्र ही अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 375 के अधीन अपराध हेतु दोषी ठहराने तथा दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है । सुस्थापित विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा की जाए तो अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि किसी भी रीति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है । प्रवेशन की तो बात दूर है, किसी भी डिग्री के किंचित प्रवेशन का कोई प्रयास नहीं किया गया । चिकित्सा रिपोर्ट से यह तथ्य अभिनिश्चित हो जाता है कि पीड़ित लड़की के शरीर पर कुछ सतही क्षतियां पाई गई हैं जो किसी के नाखूनों के चिह्न हैं । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया है । चिकित्सा संबंधी साक्ष्य भी ऐसे किसी प्रयास की ओर संकेत नहीं करता है । पीड़ित लड़की को पकड़ना और उसके हाथ, छाती और स्तन पर क्षति कारित करने के कार्य को बलात्संग करने का प्रयास नहीं माना जा सकता । उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर गहन विचार किया है कि क्या पीड़ित लड़की के विरुद्ध कारित किया गया ऐसा कृत्य पीड़ित लड़की पर हमले या पीड़ित लड़की के शील को भंग करने हेतु बल के प्रयोग की श्रेणी में आता है । तथापि, अन्वेषण के दौरान भिन्न-भिन्न समय बिन्दुओं पर अभियुक्त के नाम के संबंध में भिन्न-भिन्न प्रकार का वर्णन, अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की शनाख्त परेड कराने में असफल रहना और घटनास्थल के बार-बार अंतरित होने को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषी के रूप में अभिनिर्धारित नहीं कर सकता । यहां ऊपर कथित कारणों से उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पर पहुंचा कि दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है । अपील पर वाद-विवाद सुनने के पश्चात् उसे मंजूर किया जाता है, तथापि, बिना किसी लागत के । तद्नुसार, विद्वान् अपर सेशन

न्यायाधीश, पुरबा मेदिनीपुर स्थित दूसरा न्यायालय, कोन्टाई द्वारा 2012 के सेशन विचारण मामला सं. 6(8) में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है । अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । उसे निर्मुक्त किया जाता है और साथ ही उसके जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है । (पैरा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2004] (2004) क्रिमिनल लॉ जर्नल 1904 :
फूल चंद बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** । 16,17

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक पुनरीक्षण अपील सं. 782.

वर्तमान अपील विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, दूसरा न्यायालय, पुरबा मेदिनीपुर द्वारा 2012 के सेशन विचारण सं. 6(8) में तारीख 26 नवम्बर, 2015 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 27 नवम्बर, 2015 को पारित दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री प्रोन्नति गोस्वामी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री रणबीर रॉय चौधरी और श्री मैनाक गुप्रा

न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी – वर्तमान अपील सिद्धदोष व्यक्ति/अपीलार्थी द्वारा अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, पुरबा मेदिनीपुर में कोन्टाई स्थित दूसरा न्यायालय, द्वारा वर्ष 2012 के सेशन विचारण सं. 6(8), जो 2012 के सेशन मामला सं. 223(8) से उद्भूत हुआ है, में तारीख 26 नवम्बर, 2015 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय तथा तारीख 27 नवम्बर, 2015 को पारित उस दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट

किया गया था और उस पर 4,000/- रुपया का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उसे छह मास की अतिरिक्त अवधि का साधारण कारावास भोगने का निदेश दिया गया था ।

2. भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 376/511 के अधीन पताशपुर पुलिस थाना मामला सं. 90/2009, तारीख 5 सितम्बर, 2009 को मनोरंजन दलुई नामक एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया, जिसमें उक्त शिकायतकर्ता ने, अन्य बातों के साथ, यह अभिकथन किया कि तारीख 4 सितम्बर, 2009 को सायं लगभग 6.00 बजे शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी के घर में उपस्थित न होने के अवसर का लाभ उठाते हुए अपीलार्थी ने उसकी मूक और बधिर पुत्री द्वारा धारण किए हुए वस्त्रों को फाड़कर उसके साथ बलात्संग करने का प्रयास किया ।

3. पुलिस ने मामले का अन्वेषण आरंभ किया तथा अन्वेषण पूरा होने के उपरांत पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) के उपबंधों के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया ।

4. उक्त मामला सर्वप्रथम विद्वान् सेशन न्यायालय को सौंपा गया जिसे उसके पश्चात् विचारण हेतु कोन्टाई स्थित विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के त्वरित निपटान तीसरे न्यायालय को अंतरित किया गया । निचले न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से यह पाया गया कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने तारीख 27 अगस्त, 2012 को अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन आरोप विरचित किए थे । पुन: तारीख 28 फरवरी, 2014 को अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में परिवर्तन किया गया और अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376 के अधीन वैकल्पिक आरोप विरचित किया गया । चूंकि अपीलार्थी ने अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया इसलिए उसके विरुद्ध मामले का विचारण आरंभ किया गया ।

5. अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोपों को स्थापित करने के लिए

अभियोजन पक्ष ने नौ साक्षियों की परीक्षा की । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजों की एक श्रृंखला को भी प्रस्तुत किया जिन्हें प्रदर्शों के रूप में चिन्हित किया गया जिनके संबंध में मैं इस निर्णय में किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम पर प्रतिनिर्देश करुंगा ।

6. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए दोषी है और तद्नुसार उसे सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया ।

7. अपीलार्थी के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने प्रारंभ में मनोरंजन दलुई (अभि. सा. 1) द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने अपराधी के नाम का उल्लेख सोनाई पात्रा के रूप में किया है । तथापि, अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि अभियुक्त का नाम निमाई पात्रा है और उसने त्रुटिवश अभियुक्त को सोनाई के रूप में उल्लिखित किया था । अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभिकथित घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु लगभग 16 वर्ष थी । वह लड़की मूक और बधिर है । जब अभिकथित घटना घटित हुई, उस समय अभि. सा. 1 और उसकी पत्नी अपने घर में मौजूद नहीं थे । जब वे घर वापस आए तो उन्होंने यह पाया कि पीड़ित लड़की अपने कक्ष में बैठकर रो रही थी । उनके द्वारा पूछे जाने पर उसने कतिपय संकेतों के माध्यम से यह तथ्य अभिव्यक्त किया कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्संग किया गया है । अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने विनिर्दिष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया कि घटना के पश्चात् अभि. सा. 1 अपीलार्थी के घर गया और उसने इस पूरी घटना की सूचना अभियुक्त के कुटुम्ब के सदस्यों को दी । अभियुक्त के कुटुम्ब के सदस्यों ने इत्तिलाकर्ता से यह आग्रह किया कि वह बैठकर विवाद का समझौता कर ले । किन्तु अभियुक्त के पिता ने उनके साथ गाली-गलौच किया और उसने उनके साथ कोई भी बातचीत करने से इनकार कर दिया । इसलिए, अगले दिन उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता

के अनुसार यदि अभि. सा. 1 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य को सत्य मानते हुए उसे स्वीकार कर लिया जाए तो भी इस मुद्दे के संबंध में एक युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है कि पीड़ित लड़की का पिता प्रारंभ में ही मैत्रीपूर्वक रूप से विवाद का समाधान क्यों करना चाहता था । यदि अभियुक्त द्वारा उसकी पुत्री के साथ बलात्संग किया गया था तो वह निश्चित रूप से बिना किसी अनावश्यक विलंब के अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस के समक्ष शिकायत फाइल करेगा । तथापि, वर्तमान मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना घटित होने के 24 घंटे से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् दर्ज की गई । अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने अपनी लिखित शिकायत में यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसने उसकी मूक और बधिर पुत्री के साथ बलात्संग किया था । किन्तु अपने अभिसाक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा उसकी पुत्री के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया गया था ।

8. नारू गोपाल माझी – अभि. सा. 2 वास्तविक शिकायतकर्ता का पड़ोसी है । उसके अनुसार उसे घटना की जानकारी वास्तविक शिकायतकर्ता से प्राप्त हुई ।

9. अभि. सा. 3 भी वास्तविक शिकायतकर्ता का एक पड़ोसी है । उसके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की प्रकृति का होने के कारण उसका कोई महत्व नहीं है ।

10. अभि. सा. 5 स्वयं पीड़ित लड़की है । उसके द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य का निर्वचन संदीपन सिन्हा (अभि. सा. 4) द्वारा किया गया जो कोन्टाई स्थित मूक और बधिर विद्यालय का एक अध्यापक है । अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान पीड़ित लड़की ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन पर अपने हस्ताक्षरों को साबित किया, जिन्हें प्रदर्श 2/1 के रूप में चिन्हित किया गया है । पीड़ित लड़की द्वारा चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट पर किए गए हस्ताक्षरों को प्रदर्श-3 के रूप में चिन्हित किया गया है ।

11. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील प्रस्तुत की है

कि वास्तविक शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) ने अपीलार्थी के नाम का उल्लेख सोनाई पात्रा के रूप में किया था । तथापि, अन्वेषण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अपीलार्थी का वास्तविक नाम निमाई पात्रा है । इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए अन्वेषण प्राधिकरण को संदिग्ध व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के लिए शनाख्त परेड की व्यवस्था करानी चाहिए थी । तथापि, अन्वेषण अधिकारी ने संदिग्ध की शनाख्त परेड कराए जाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया । अतः, इस बात पर संदेह बना हुआ है कि क्या वास्तव में अपीलार्थी की ऐसे व्यक्ति के रूप में शनाख्त सही है, जिसने अपराध कारित किया है । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपराध करने वाले व्यक्ति की शनाख्त से संबंधित उक्त पहलू को विचार में नहीं लिया है । अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दर्ज किए गए किसी मामले में या इस प्रकार का अपराध करने का प्रयास किए जाने के किसी मामले में पीड़ित लड़की का एकमात्र साक्ष्य उस समय पर्याप्त है यदि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय माना जाता है । लैंगिक उत्पीड़न के किसी मामले में इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य विश्वसनीय है अथवा नहीं, चिकित्सीय साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है । वर्तमान मामले में अभिकथित रूप से अपराध तारीख 4 सितम्बर, 2009 को किया गया था । पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा तारीख 5 सितम्बर, 2009 को की गई थी । पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को मामले के विचारण के दौरान प्रदर्श-3 के रूप में चिन्हित करते हुए अभिलेख पर रखा गया था । चिकित्सा परीक्षा के समय पीड़ित लड़की ने अपीलार्थी का नाम सोनाई पात्रा बताया था । चिकित्सा अधिकारी को पीड़ित लड़की के होंठ पर एक काटे जाने का चिह्न दिखाई दिया था और इसके अतिरिक्त उसकी छाती के दाईं ओर, प्रबाहू और बाएं स्तन पर नाखूनों से आई खरोंचों के निशान मिले । उसे पीड़ित लड़की के गुप्तांगों पर किसी प्रकार की कोई क्षति या हिंसा का चिह्न दिखाई नहीं दिया ।

12. पीड़ित लड़की, अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य तथा डाक्टर - अभि. सा. 9 के साक्ष्य तथा प्रदर्श-3 को निर्दिष्ट करते हुए

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पीड़ित लड़की ने समय के भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर घटना के संबंध में भिन्न-भिन्न कहानी प्रस्तुत की है । उसने अपने माता-पिता से यह कहा कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्संग करने का प्रयास किया । अगले दिन उसने विद्वान् मजिस्ट्रेट, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया, यह कथन किया कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया था । पुनः, चिकित्सा अधिकारी को पीड़ित लड़की के शरीर पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिखाई दिया जिससे यह सुझाव प्राप्त होता हो कि उसके साथ लैंगिक मैथुन किया गया था ।

13. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि पीड़ित लड़की, (अभि. सा. 5) के अभिसाक्ष्य से यह तथ्य अभिनिश्चित हो जाता है कि वह अपनी तीन अविवाहित बहनों के साथ एक ही कक्ष में निवास कर रही थी । इस प्रकार किसी भी पुरुष के लिए, पीड़ित लड़की के कक्ष में उसकी बहनों की उपस्थिति में उसके साथ इस प्रकार का अपराध कारित करना किसी भी प्रकार संभव प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने घटनास्थल के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य में विद्यमान विसंगतियों के संबंध में भी मेरा ध्यान आकर्षित किया है । शिकायतकर्ता ने अपनी लिखित शिकायत में यह कथन किया है कि अभिकथित अपराध सायंकाल में पीड़ित लड़की के कक्ष में कारित किया गया था । किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़ित लड़की ने यह कथन किया है कि घटना से पूर्व कोई एक व्यक्ति उसे उसके घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर ले गया था और उक्त स्थान पर अपीलार्थी ने उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध किया । अतः, घटनास्थल वास्तविक शिकायतकर्ता के कक्ष से घर के बाहर स्थित किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गया ।

14. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहां घटनास्थल और अपीलार्थी की शनाख्त के संबंध में विसंगतियां विद्यमान हैं और साथ ही पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य और चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में विरोधाभास मौजूद हैं, वहां अपीलार्थी की विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि पूर्णतः अवांछनीय प्रतीत होती है ।

15. दूसरी ओर, विद्वान् प्रभारी लोक अभियोजक ने यह दलील प्रस्तुत की है कि अन्य सभी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य पर ध्यान न देकर यदि केवल पीड़ित लड़की और चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य पर ही विचार किया जाए तो भी यह न्यायालय उससे भिन्न किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता जो निष्कर्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा निकाला गया था । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई है कि पीड़ित लड़की एक भाग्यहीन मूक और बधिर लड़की है । वह न तो बोल सकती है और न ही सुन सकती है । अपने साक्ष्य के दौरान उसने अपीलार्थी की ऐसे अभियुक्त के रूप में शनाख्त की है जिसने उसके विरुद्ध लैंगिक हमले का अपराध कारित किया था । चिकित्सा अधिकारी को उसकी छाती, स्तनों, प्रबाहू और हाथ पर नाखूनों के निशान मिले । उसे उसके होंठ पर भी काटे जाने का एक निशान दिखाई दिया । हिंसा के उक्त चिह्न स्पष्ट रूप से यह सुझाव प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया था । यह सत्य है कि पीड़ित लड़की ने विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कराए गए अपने कथन में यह कहा था कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्संग किया था । पीड़ित लड़की द्वारा दिया गया यह कथन संभवतः, सत्य नहीं है किन्तु केवल इस कारणवश पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत उसके समग्र अभिसाक्ष्य, जिसे अभि. सा. 9 द्वारा तैयार की गई चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट से समर्थन प्राप्त है, को पूर्णतः अभित्यक्त नहीं किया जा सकता । तदनुसार, विद्वान् प्रभारी लोक अभियोजक ने यह दलील प्रस्तुत की है कि वर्तमान अपील में उच्च न्यायालय को कोई भिन्न मत नहीं बनाना चाहिए और अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की अभिपुष्टि करनी चाहिए ।

16. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् मैं प्रारंभ में यह उल्लेख करना चाहूंगा कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने पीड़ित लड़की के कथन को उसके द्वारा प्रस्तुत मुख्य अभिसाक्ष्य के रूप में स्वीकार करके गंभीर त्रुटि की है ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किसी साक्षी द्वारा लेखबद्ध कराया गया कथन साक्ष्य स्वरूप स्वीकार्य नहीं है किन्तु इसका उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 157 और धारा 145 के अधीन यथाउपबंधित रीति में न्यायालय में साक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी कथन की पुष्टि या उसका खंडन करने के लिए सीमित रूप से किया जा सकता है । इस धारा के अधीन दिए गए कथन का उपयोग साक्ष्य की एक सारवान् सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता । किन्तु इसका उपयोग न्यायालय में दिए गए किसी कथन की पुष्टि या उसके खंडन के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा के लिए भी किया जा सकता है ताकि यह दर्शित किया जा सके कि साक्षी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा अभिसाक्ष्य मिथ्या है किन्तु इससे यह स्थापित नहीं होता कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपने कथन में न्यायालय से बाहर जो कहा था वह सत्य है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किसी साक्षी द्वारा किए गए किसी कथन का उपयोग, उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिसाक्ष्य की अभिपुष्टि या उसे नकारने के लिए या उसकी प्रतिपरीक्षा के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है । **फूल चंद** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन पर दोषसिद्धि के प्रयोजन के लिए विश्वास अथवा उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता ।

17. वर्तमान मामले में, विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने **फूल चंद** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए अनुपात का उल्लंघन करके त्रुटि कारित की है और उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़ित लड़की के कथन को एक प्रमुख सारवान् साक्ष्य के रूप में विचार में लिया है । यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दिए गए किसी कथन के साक्ष्य संबंधी मूल्य के विस्तार क्षेत्र का नितांत उल्लंघन है और साथ ही यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के

[1] (2004) क्रिमिनल लॉ जर्नल 1904.

अधीन न्यायालय के समक्ष किसी साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुन: परीक्षा के स्थापित सिद्धांतों के भी विरुद्ध है । केवल इसी आधार पर मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है कि मैं यह अभिनिर्धारित करूं कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा विरचित आरोपों के समर्थन में पीड़ित लड़की का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है ।

18. यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय और साथ ही विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए असंख्य निर्णयों को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत स्पष्ट है कि योनि में लिंग का तनिक प्रवेश मात्र ही अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 375 के अधीन अपराध हेतु दोषी ठहराने तथा दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है ।

20. सुस्थापित विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा की जाए तो अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि किसी भी रीति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है । प्रवेशन की तो बात दूर है, किसी भी डिग्री के किंचित प्रवेशन का कोई प्रयास नहीं किया गया । चिकित्सा रिपोर्ट से यह तथ्य अभिनिश्चित हो जाता है कि पीड़ित लड़की के शरीर पर कुछ सतही क्षतियां पाई गई हैं जो किसी के नाखूनों के चिह्न हैं । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया है । चिकित्सा संबंधी साक्ष्य भी ऐसे किसी प्रयास की ओर संकेत नहीं करता है । पीड़ित लड़की को पकड़ना और उसके हाथ, छाती और स्तन पर क्षति कारित करने के कार्य को बलात्संग करने का प्रयास नहीं माना जा सकता ।

21. मैंने इस प्रश्न पर गहन विचार किया है कि क्या पीड़ित लड़की के विरुद्ध कारित किया गया ऐसा कृत्य पीड़ित लड़की पर हमले या पीड़ित लड़की के शील को भंग करने हेतु बल के प्रयोग की श्रेणी में आता है । तथापि, अन्वेषण के दौरान भिन्न-भिन्न समय बिन्दुओं पर अभियुक्त के नाम के संबंध में भिन्न-भिन्न प्रकार का वर्णन, अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की शनाख्त परेड कराने में असफल रहना और घटनास्थल के बार-बार अंतरित होने को ध्यान में रखते हुए मैं अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषी के रूप में अभिनिर्धारित नहीं कर सकता ।

22. यहां ऊपर कथित कारणों से मैं स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

23. अपील पर वाद-विवाद सुनने के पश्चात् उसे मंजूर किया जाता है, तथापि, बिना किसी लागत के ।

24. तद्नुसार, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पुरबा मेदिनीपुर स्थित दूसरा न्यायालय, कोन्टाई द्वारा 2012 के सेशन विचारण मामला सं. 6(8) में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है ।

25. अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । उसे निर्मुक्त किया जाता है और साथ ही उसके जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है ।

26. इस निर्णय की एक प्रति निचले न्यायालय के अभिलेख सहित विद्वान् विचारण न्यायालय को अग्रेषित की जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

सौमिक रॉय

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 546)

तारीख 5 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 354क और धारा 376 – पीड़ित महिला द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न तथा बलात्संग का आरोप लगाया जाना – अभिकथित रूप से पीड़ित महिला/वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा टेलीफोन के माध्यम से पुलिस को यह जानकारी दिया जाना कि उसकी कमर के एक्स-रे के दौरान अभियुक्त, जो कि नैदानिक केन्द्र में तकनीशियन के रूप में तैनात था, ने अभिकथित रूप से लैंगिक रूप से उस पर हमला किया और अपनी उंगली को उसके गुदाद्वार और योनि में प्रविष्ट किया – अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में यह कथन किया जाना कि अभिकथित घटना के समय नैदानिक केन्द्र के दो अन्य कर्मचारी एक्स-रे कक्ष में उपस्थित थे – अभियुक्त द्वारा उक्त दोनों कर्मचारियों को प्रतिरक्षा साक्षियों के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना – उक्त प्रतिरक्षा साक्षियों द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया जाना कि वे दोनों घटना के समय एक्स-रे कक्ष में उपस्थित थे और अभिकथित घटना जैसी कोई घटना वहां घटित नहीं हुई थी – अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त प्रतिरक्षा साक्षियों की प्रतिपरीक्षा न किया जाना – अभियोक्त्री द्वारा घटना के समय कोई चीख-पुकार न मचाया जाना, इसके बजाय उसके द्वारा चुपचाप घटना को घटित होने दिया जाना – उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध नैदानिक केन्द्र के प्रबंधमंडल के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत न किया जाना – इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष द्वारा पुलिस थाने में बनाई रखी गई साधारण डायरी पुस्तिका को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहना – मामले की उपरोक्त परिस्थितियों तथा सभी तथ्यों को

ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे अभियुक्त के विरुद्ध दोष साबित करने में असफल रहा है और अभियुक्त दोषमुक्ति के लिए हकदार है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 11 जनवरी, 2015 को प्रात: लगभग 8.45 बजे वास्तविक शिकायतकर्ता और उसका पति, शिकायतकर्ता की कमर का एक्स-रे कराने के लिए बाली स्थित एलएएससीओ मेडिकेयर केन्द्र गए । एक्स-रे कराए जाने से पूर्व उक्त नैदानिक केन्द्र की एक महिला कर्मचारी ने वास्तविक शिकायतकर्ता की उसके द्वारा पहने हुए वस्त्रों का उतारकर एक्स-रे गाउन पहनने में सहायता की और उसके पश्चात् वह एक्स-रे कक्ष का द्वार बंद करके घटनास्थल से चली गई । उसके पश्चात्, एक तकनीशियन ने वास्तविक शिकायतकर्ता की कमर का एक्स-रे करने के लिए उसे एक्स-रे मेज पर लिटाया । उस समय उसने उसके स्तनों को स्पर्श किया और उसके पश्चात् उसने उसे पेट के बल लिटा दिया तथा उसके पश्चात् उसने उसके गुदाद्वार में अपनी उंगली प्रविष्ट की । उस समय एक्स-रे कक्ष में वास्तविक शिकायतकर्ता और उक्त तकनीशियन के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था । एक्स-रे होने के पश्चात् जब वास्तविक शिकायतकर्ता एक्स-रे कक्ष से बाहर आई तो उसने उक्त घटना की सूचना अपने पति को दी । उसक पश्चात् उन्होंने फोन के माध्यम से अपने कुटुम्ब सदस्यों को घटनास्थल पर बुलाया और साथ ही पुलिस को भी उक्त घटना की जानकारी दी । उसके पश्चात्, पुलिस वहां आई और उन्होंने उक्त तकनीशियन को अभिरक्षा में ले लिया । तत्पश्चात् वास्तविक शिकायतकर्ता को अपीलार्थी का नाम ज्ञात हुआ । उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 345क/376 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया । इस मामले को सेशन न्यायालय को सौंपा गया । तत्पश्चात्, यह मामला विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, हावड़ा के पांचवें न्यायालय को विचारण हेतु अंतरित किया गया । अभियुक्त/अपीलार्थी ने उस समय अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया जब उसके विरुद्ध आरोप विरचित किए गए और उक्त आरोपों को उसे पढ़कर सुनाया गया तथा उनके संबंध में उसे

स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए गए । विचारण समाप्त होने पर विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर विद्यमान सभी साक्ष्यों और सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् वास्तविक शिकायतकर्ता के अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए उसके आधार पर अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय तथा दंडादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने वर्तमान अपील के माध्यम से उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी । उच्च न्यायालय ने अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेलों तथा प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले लोक अभियोजक को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन करने तथा विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा करने के पश्चात् मैं प्रारंभ में यह कहना चाहता हूं कि मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि पुलिस ने शासकीय रूप से शिकायत दर्ज किए जाने से पूर्व, घटना के पश्चात् वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा टेलीफोन के माध्यम से दी गई जानकारी के आधार पर अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया था । अपीलार्थी के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने मुझे यह बताने का प्रयास किया है कि सुसंगत साधारण डायरी पुस्तिका को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया जाना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है क्योंकि यदि साधारण डायरी पुस्तिका को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया होता तो यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट हो जाता कि उक्त टेलीफोनिक जानकारी वास्तव में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट थी जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा साधारण डायरी पुस्तिका में लेखबद्ध किया गया था । वर्तमान मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के परिशीलन और वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य से यह पाया गया है कि शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस को फोन पर अभिकथित घटना के संबंध में जानकारी दी थी और उस जानकारी के आधार पर पुलिस उक्त नैदानिक केन्द्र आई और वह अपीलार्थी को अपने साथ पुलिस थाने ले गई । वास्तविक शिकायतकर्ता की इस बिन्दु पर कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है कि क्या उसने पुलिस अधिकारी के समक्ष फोन पर ब्यौरेवार रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अथवा नहीं । अभियोजन के

पक्षकथन को केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता और उसकी पूर्णतया अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभियोजन पक्ष द्वारा सुसंगत साधारण पुस्तिका न्यायालय के समक्ष नहीं की गई थी । यदि टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त किसी जानकारी से किसी संज्ञेय अपराध को कारित किए जाने के संबंध में कोई तथ्य प्रकट होता है और जिसके परिणामस्वरूप पुलिस घटनास्थल की ओर प्रस्थान करती है तो ऐसी जानकारी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में नहीं माना जाना चाहिए । वर्तमान मामले में बाली पुलिस थाने में वर्ष 2015 के मामला सं. 6 को वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित शिकायत के आधार पर रजिस्टर किया गया था । इस प्रकार उक्त लिखित शिकायत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है और विद्वान् विचारण न्यायालय ने उक्त लिखित शिकायत को इस मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मानकर कोई गलत निर्णय नहीं दिया है । दांडिक न्यायशास्त्र में यह सुस्थापित और भलीभांति अनुसरित किए जाने वाला सिद्धांत है कि यह उत्तरदायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह सभी सुसंगत संदेहों से परे अभियुक्त के दोष को साबित करे । वर्तमान मामले में अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि वास्तविक शिकायतकर्ता का एक्स-रे किए जाने के समय दो अन्य व्यक्ति भी एक्स-रे कक्ष में मौजूद थे । उन व्यक्तियों का नाम क्रमश:, कल्पना भौमिक और प्रोसेनजीत मलिक है । उक्त साक्षियों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि एक्स-रे कक्ष में उनकी उपस्थिति में इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई थी । यह अत्यंत विस्मयकारी बात है कि अभियोजन पक्ष ने प्रतिरक्षा साक्षियों की प्रतिपरीक्षा नहीं की और न ही अभियोजन पक्ष ने अन्वेषण अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उक्त साक्षियों द्वारा पूर्व में लेखबद्ध कराए गए कथन के माध्यम से शपथपत्र पर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन का खंडन करने का प्रयास किया जिससे उनकी विश्वसनीयता के संबंध में संदेह किया जा सके । ऐसी परिस्थिति में उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी सभी सुसंगत संदेहों से परे दोषी है । अभियोजन पक्ष ने घटना की तारीख को प्रात: 8.48 बजे एलएएससीओ मेडिकेयर केन्द्र में पीड़ित महिला और अभियुक्त की

उपस्थिति को साबित किया है, तथापि, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध बलात्संग के आरोपों को साबित करने में असफल रहा है । दांडिक न्याय प्रणाली के अधीन अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अभियुक्त के आत्यंतिक दोष को साबित करे किन्तु जब न्यायालय के समक्ष दो ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को प्रस्तुत किया जाता है, जिन्होंने घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति को स्वीकार किया है और यह दावा किया है कि घटना के दिन ऐसी कोई अभिकथित घटना घटित नहीं हुई थी तथा अभियोजन पक्ष ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने और उनकी विश्वसनीयता के संबंध में संदेह उत्पन्न करने में असफल रहता है तो मामले की संपूर्ण परिस्थिति के संबंध में एक वास्तविक संदेह उत्पन्न हो जाता है कि क्या ऐसी कोई घटना वास्तव में घटित भी हुई थी अथवा नहीं । अंतिम तथ्य जो कि कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, यह है कि घटना की तारीख और समय पर पीड़ित महिला अपने पति के साथ अपनी कमर का एक्स-रे कराने के लिए नैदानिक केन्द्र गई थी । जब उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध कारित किया गया था तो उस समय उसने कोई चीख-पुकार नहीं मचाई । यहां तक कि उसने अपीलार्थी के अभिकथित कार्य के विरुद्ध कोई आक्षेप भी प्रस्तुत नहीं किया । उसने चुपचाप अपने विरुद्ध अभिकथित अपराध होने दिया । केवल उस समय जब वह एक्स-रे कक्ष से बाहर आई तब उसने अपने पति को घटना के संबंध में बताया । समय के उस प्रक्रम पर दंपत्ति के लिए यह अत्यंत प्राकृतिक और स्वाभाविक था कि वे अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त नैदानिक केन्द्र के प्रबंधमंडल के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करते । तथापि, उक्त नैदानिक केन्द्र के प्रबंधमंडल के समक्ष कोई शिकायत करने के बजाय पीड़ित महिला ने इस घटना की जानकारी अपने कुटुम्ब के सदस्यों और फिर पुलिस को उपलब्ध कराई । अभियोजन पक्ष ने उक्त नैदानिक केन्द्र के कर्मचारिवृन्द के ऐसे सदस्यों, जिनकी अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान परीक्षा की गई थी, की परीक्षा न्यायालय के समक्ष न करके घटना के पीछे के सत्य को दबाने का प्रयास किया है । उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पांचवां न्यायालय, हावड़ा द्वारा 2016 के सेशन विचारण मामला सं. 24 में अपीलार्थी के विरुद्ध

पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हैं । तद्नुसार, वर्तमान अपील को बिना किसी लागत के मंजूर किया जाता है । तद्नुसार, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पांचवां न्यायालय, हावड़ा द्वारा 2016 के सेशन विचारण मामला सं. 24 में अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 354क/376 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उसे निर्मुक्त किया जाता है तथा उसके जमानत बंधपत्र को उन्मोचित किया जाता है । (पैरा 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] (2014) 2 एस. सी. सी. 1 =
ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 187 :
ललिता कुमारी बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 14

[2003] (2003) 12 एस. सी. सी. 395 =
ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 77 :
रमाकांत राय बनाम **मदन राय और अन्य** ; 19

[2003] मनु/एस.सी./0505/2003 = (2003) 7 एस. सी. सी. 56
= ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2978 :
कृष्णन और अन्य बनाम
राज्य, पुलिस निरीक्षक के माध्यम से ; 19

[2003] मनु/एस.सी./0736/2003 =
ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 4414 :
दामोदर बनाम **राजस्थान राज्य** ; 16,18

[1994] मनु/एस. सी./0670/1994 =
1994 क्रिमिनल ला जर्नल 3067 (एस. सी.) :
रामसिन बावाजी जडेजा बनाम **गुजरात राज्य** । 15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 546.

वर्तमान अपील, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 5, हावड़ा द्वारा 2016 के सेशन विचारण मामला सं. 24 में क्रमश: तारीख 31 अगस्त, 2017 और तारीख 1 सितम्बर, 2017 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री मिलन मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मानस दास गुप्ता, बिस्वाजीत मन्ना और (सुश्री) कबिता मुखर्जी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री स्वपन बनर्जी और सुश्री पूर्णिमा घोष

न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी – वर्तमान अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 5, हावड़ा द्वारा 2016 के सेशन विचारण मामला सं. 24 में क्रमश: तारीख 31 अगस्त, 2017 और तारीख 1 सितम्बर, 2017 को पारित दोषसिद्धि के ऐसे निर्णय तथा दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 354क/376 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया तथा उसे दंड संहिता की धारा 354क के अधीन एक वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया और साथ ही उसे दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध करने के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और उस पर पांच हजार रुपया का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर उसे छह मास की अतिरिक्त अवधि का कठोर कारावास भोगना होगा ।

2. अपीलार्थी ने इस आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश को चुनौती दी है कि अभियोजन पक्ष घटना के तुरंत पश्चात् पुलिस के समक्ष किए गए कथन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है तथा वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया लिखित कथन, जिसे पुलिस द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में माना गया है, वस्तुत:, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं है और वह केवल दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 161 के अधीन उसके द्वारा किया गया कथन है

और इस स्थिति के कारण अभिकथित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन स्वीकार्य नहीं है ।

3. द्वितीयत:, पीड़ित महिला द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य में अनेक प्रकार की विसंगतियां विद्यमान हैं । यद्यपि, अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है और यदि उसके द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य विश्वसनीय तथा विसंगतियों से मुक्त है तो मात्र उसके आधार पर, सारवान् विशिष्टियों में उसकी अभिपुष्टि किए बिना अभियुक्तों की दोषसिद्धि की जा सकती है, किन्तु अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत मौखिक अभिसाक्ष्य में अनेक प्रकार की विसंगतियां विद्यमान हैं और इसलिए उसे अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए एकमात्र आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

4. तृतीयत:, अभियोक्त्री हावड़ा जिला में बाली स्थित नैदानिक केन्द्र में अपनी कमर का एक्स-रे कराने के लिए गई थी । एक्स-रे कराने के प्रयोजन हेतु उसने नैदानिक केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया गया एक गाउन पहना । अपीलार्थी उक्त नैदानिक केन्द्र के एक्स-रे विभाग में एक तकनीशियन के रूप में तैनात था । तकनीशियन के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से पीड़ित महिला को स्पर्श किया तथा एक्स-रे मेज पर उसने उसके लेटने की मुद्रा और स्थिति को ठीक किया और उसके द्वारा ऐसा किए जाने पर पीड़ित महिला को यह प्रतीत हुआ कि अपीलार्थी ने अनुचित रूप से उसे स्पर्श किया है । यह दर्शित करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि पीड़ित महिला का लैंगिक उत्पीड़न किया गया था या अपीलार्थी ने उस समय उसका शील भंग किया था जब अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से पीड़ित महिला की योनि में अपनी उंगली प्रविष्ट की ।

5. चतुर्थत:, उक्त नैदानिक केन्द्र के कुछ अन्य कर्मचारियों की भी अन्वेषण अधिकारी द्वारा परीक्षा की गई और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में उक्त कर्मचारियों को अभियोजन पक्ष के साक्षियों के रूप में उल्लिखित किया गया । तथापि, विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष उन साक्षियों की परीक्षा करने में असफल रहा । उक्त साक्षियों ने प्रतिरक्षा साक्षियों के रूप में न्यायालय के समक्ष अपना

अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया और यह कथन किया कि वे पीड़ित महिला की कमर का एक्स-रे किए जाने के समय एक्स-रे कक्ष में उपस्थित थे और अपीलार्थी ने पीड़ित महिला द्वारा अभिकथित किए गए अनुसार कोई आपराधिक कार्य नहीं किया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रभाव के साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में असफल रहे और उन्होंने अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया ।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले काउंसेल ने इस बात पर भी बल दिया कि जब किसी घटना के संबंध में दो संभावित मत/निष्कर्ष बनाए जा सकते हों तो न्यायालय को ऐसे निष्कर्ष को स्वीकार करना चाहिए जो अभियुक्त का समर्थन करता है और इस प्रकार अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए आरोप से दोषमुक्त किया जाना चाहिए । उपरोक्त कारणों से विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश को वर्तमान अपील के माध्यम से चुनौती दी जाती है ।

7. अब मैं नीचे वर्तमान मामले के प्रमुख तथ्यों का कथन करूंगा, जो निम्नानुसार हैं :–

तारीख 11 जनवरी, 2015 को प्रात: लगभग 8.45 बजे वास्तविक शिकायतकर्ता और उसका पति, शिकायतकर्ता की कमर का एक्स-रे कराने के लिए बाली स्थित एलएएससीओ मेडिकेयर केन्द्र गए । एक्स-रे कराए जाने से पूर्व उक्त नैदानिक केन्द्र की एक महिला कर्मचारी ने वास्तविक शिकायतकर्ता की उसके द्वारा पहने हुए वस्त्रों का उतारकर एक्स-रे गाउन पहनने में सहायता की और उसके पश्चात् वह एक्स-रे कक्ष का द्वार बंद करके घटनास्थल से चली गई । उसके पश्चात्, एक तकनीशियन ने वास्तविक शिकायतकर्ता की कमर का एक्स-रे करने के लिए उसे एक्स-रे मेज पर लिटाया । उस समय उसने उसके स्तनों को स्पर्श किया और उसके पश्चात् उसने उसे पेट के बल लिटा दिया तथा उसके पश्चात् उसने उसके गुदाद्वार में अपनी उंगली प्रविष्ट की । उस समय एक्स-रे कक्ष में वास्तविक शिकायतकर्ता और उक्त तकनीशियन के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था । एक्स-रे होने के पश्चात्

जब वास्तविक शिकायतकर्ता एक्स-रे कक्ष से बाहर आई तो उसने उक्त घटना की सूचना अपने पति को दी । उसक पश्चात् उन्होंने फोन के माध्यम से अपने कुटुम्ब सदस्यों को घटनास्थल पर बुलाया और साथ ही पुलिस को भी उक्त घटना की जानकारी दी । उसके पश्चात्, पुलिस वहां आई और उन्होंने उक्त तकनीशियन को अभिरक्षा में ले लिया । तत्पश्चात् वास्तविक शिकायतकर्ता को अपीलार्थी का नाम ज्ञात हुआ ।

उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 345क/376 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया ।

इस मामले को सेशन न्यायालय को सौंपा गया । तत्पश्चात्, यह मामला विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, हावड़ा के पांचवें न्यायालय को विचारण हेतु अंतरित किया गया । अभियुक्त/अपीलार्थी ने उस समय अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया जब उसके विरुद्ध आरोप विरचित किए गए और उक्त आरोपों को उसे पढ़कर सुनाया गया तथा उनके संबंध में उसे स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए गए ।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह साक्षियों की परीक्षा की । उक्त छह साक्षियों में, वास्तविक शिकायतकर्ता ने अभि. सा. 1 के रूप और उसके पति ने अभि. सा. 2 के रूप में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया । इन दोनों के अतिरिक्त, टी एल जयसवाल अस्पताल से जुड़े चिकित्सा अधिकारी ने अभि. सा. 3 के रूप में अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया । अभि. सा. 3 ने वास्तविक शिकायतकर्ता की चिकित्सा-विधिक परीक्षा की थी और अपनी इस परीक्षा के संबंध में एक लिखित रिपोर्ट तैयार की थी जिसे मामले के विचारण के दौरान प्रदर्श-2/1 के रूप में चिन्हित किया गया है । अभि. सा. 4 वास्तविक शिकायतकर्ता की एक निकट नातेदार है । अभि. सा. 5 अभिग्रहण साक्षी है तथा अभि. सा. 6 वर्ष 2015 के बाली पुलिस थाना मामला सं. 6 का अन्वेषण अधिकारी है, जिसे अभियोक्त्री द्वारा फाइल की गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है ।

8. श्री मिलन मुखर्जी, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि लिखित शिकायत से यह तथ्य सामने आता है कि एक्स-रे की प्रक्रिया पूरी होने

के पश्चात् जब वास्तविक शिकायतकर्ता एक्स-रे कक्ष से बाहर आई तो उसने अपने पति को यह सूचना दी कि तकनीशियन ने उसे एक्स-रे मेज पर लिटाया था और उसके पश्चात् उसने उसके स्तनों को स्पर्श किया तथा गुदाद्वार में उंगली प्रविष्ट की थी । तत्पश्चात् उसने दो बार उसकी योनि में उंगली प्रविष्ट की । इस घटना के संबंध में अपने पति को जानकारी देने के पश्चात् वास्तविक शिकायतकर्ता ने अपने कुटुम्ब के सदस्यों को फोन करके उक्त नैदानिक केन्द्र में बुलाया । उसके पश्चात्, उसने फोन पर ही उक्त घटना की जानकारी बाली पुलिस थाने को दी । सूचना मिलने पर पुलिस उक्त नैदानिक केन्द्र पहुंची और उन्होंने अपीलार्थी को अभिरक्षा में ले लिया तथा उसे पुलिस थाने ले गई । तत्पश्चात् वास्तविक शिकायतकर्ता को यह ज्ञात हुआ कि उक्त तकनीशियन, जिसने वास्तविक शिकायतकर्ता के प्रति अभिकथित अपराध कारित किए थे, का वास्तविक नाम सौमिक रॉय है । विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री मुखर्जी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु को दर्शित करते हुए यह दलील प्रस्तुत की है कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने सर्वप्रथम इस मामले की जानकारी फोन पर पुलिस को दी थी । उसके द्वारा की गई फोन कॉल के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस नैदानिक केन्द्र में आकर अपीलार्थी को पकड़कर पुलिस थाने ले गई । कारबार संचालन के नियमों के अनुसार, पुलिस अधिकारी का यह आबद्धकर कर्तव्य था कि वह पुलिस थाने द्वारा रखी गई साधारण डायरी पुस्तिका में वास्तविक शिकायतकर्ता से फोन के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारी को लेखबद्ध करता । उक्त साधारण डायरी पुस्तिका को मामले की विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है । अत:, न्यायालय के लिए यह सुनिश्चित करना संभव नहीं था कि क्या उक्त टेलीफोन कॉल के माध्यम से घटना के संबंध में कोई संक्षिप्त जानकारी दी गई थी या उक्त घटना के संबंध में ब्यौरेवार कथन प्रस्तुत किया गया था । यदि टेलीफोन कॉल में घटना के संबंध में ब्यौरेवार जानकारी अंतर्विष्ट थी तो ऐसी जानकारी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए और उस कथन को, जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट माना गया और जिसके आधार पर 2015 का बाली पुलिस थाना मामला सं. 6 दर्ज किया गया, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में नहीं

माना जाना चाहिए, इसके बजाय उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया कथन समझा जाना चाहिए ।

9. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने इस बात का उल्लेख किया है कि वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा टेलीफोन के माध्यम से दी गई जानकारी को घटना के संबंध में ब्यौरेवार जानकारी समझना चाहिए क्योंकि उसी जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उक्त नैदानिक केन्द्र पहुंची थी तथा उसने अपीलार्थी को अभिरक्षा में लेकर उसे पुलिस थाने स्थानांतरित किया था । इस प्रकार विद्वान् काउंसेल श्री मुखर्जी ने यह प्रतिवाद किया है कि अभियोजन पक्ष ने घटना के तुरंत पश्चात् वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा टेलीफोन के माध्यम से पुलिस को दी गई प्रथम जानकारी को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा । संबद्ध साधारण डायरी पुस्तिका को मामले के विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया और केवल इस आधार पर भी अपीलार्थी संदेह का लाभ दिए जाने के लिए हकदार है ।

10. अपीलार्थी के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री मुखर्जी द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि घटना के सुसंगत समय पर पीड़िता-वास्तविक शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला थी जिसकी आयु लगभग 41 वर्ष थी । स्थलनक्शे से यह तथ्य सुनिश्चित किया जा सकता है कि उक्त नैदानिक केन्द्र में एक कतार में अनेक कक्ष बने हुए हैं जहां अन्य रोगियों के संबंध में भिन्न-भिन्न नैदानिक संकर्म/प्रक्रियाएं की जा रही थीं । यदि यह बात सत्य होती कि अपीलार्थी ने वास्तविक शिकायतकर्ता के गुप्तांगों को अनुचित रूप से स्पर्श किया था तो उस समय यह स्वाभाविक था कि वास्तविक शिकायतकर्ता चीख-पुकार मचाती किन्तु घटना के समय वास्तविक शिकायतकर्ता ने कोई चीख-पुकार नहीं मचाई । उसने उक्त नैदानिक केन्द्र में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति को भी इस घटना की जानकारी नहीं दी । अन्वेषण अधिकारी ने उक्त नैदानिक केन्द्र के अन्य कर्मचारियों की भी परीक्षा की थी तथा उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उनके कथनों को लेखबद्ध किया था किन्तु अभियोजन पक्ष ने उक्त साक्षियों की परीक्षा नहीं की थी । तथापि, उक्त साक्षियों की परीक्षा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रति. सा. 1 तथा प्रति. सा. 2 के रूप में की गई । प्रति. सा. 1 श्रीमती कल्पना भौमिक ने

अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 11 जनवरी, 2015 को वास्तविक शिकायतकर्ता के एक्स-रे के दौरान वह अपीलार्थी और एक अन्य कर्मचारी प्रोसेनजीत मलिक के साथ पूरा समय एक्स-रे कक्ष में उपस्थित थी । एक्स-रे किए जाने के समय वास्तविक शिकायतकर्ता का पति भी एक्स-रे कक्ष में उपस्थित था । वर्तमान मामले में, प्रोसेनजीत मलिक ने प्रति. सा. 2 के रूप में अपना भी साक्ष्य प्रस्तुत किया है । घटना के सुसंगत समय पर वह एलएएससीओ मेडिकेयर केन्द्र में वरिष्ठ रेडियोग्राफर के रूप में तैनात था । अपीलार्थी घटना के सुसंगत समय पर प्रति. सा. 2 के अधीन कनिष्ठ तकनीशियन के रूप में कार्यरत था । तारीख 11 जनवरी, 2015 को प्रति. सा. 2, अपीलार्थी और एक महिला सहायक, अर्थात् कल्पना भौमिक वास्तविक शिकायतकर्ता के एक्स-रे किए जाने के समय एक्स-रे कक्ष में मौजूद थे । वास्तविक शिकायतकर्ता का पति भी एक्स-रे कक्ष में मौजूद था ।

11. अपीलार्थी के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री मुखर्जी ने यह दलील प्रस्तुत की है कि प्रति. सा. 1 और प्रति. सा. 2 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य पर विश्वास न करने का कोई कारण विद्यमान नहीं है । उनके अभिसाक्ष्य से यह तथ्य अभिनिश्चित हो जाता है कि वास्तविक शिकायतकर्ता के एक्स-रे के समय वे एक्स-रे कक्ष में मौजूद थे । इस प्रकार, अपीलार्थी के लिए यह संभव नहीं था कि वह एक्स-रे कक्ष में कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में इस प्रकार का अपराध कारित करे ।

12. यद्यपि इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जाता है फिर भी इस बात को मान भी लिया जाए कि वास्तविक शिकायतकर्ता को यह महसूस हुआ था कि अपीलार्थी ने अनुचित रूप से उसके शरीर को स्पर्श किया है या यह कि उसने उसकी योनि में उंगली प्रविष्ट की तो भी यह हो सकता है कि अपीलार्थी को वास्तविक शिकायतकर्ता की कमर का सही एक्स-रे लेने के प्रयोजन के लिए उसको एक्स-रे मेज पर सही स्थिति और मुद्रा में लिटाने में सहायता करने के लिए उसे स्पर्श करना आवश्यक था । प्रति. सा. 1 और प्रति. सा. 2 के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण मौजूद नहीं है । इस प्रकार घटना के संबंध में दो प्रकार के मत/निष्कर्ष सामने आते हैं । ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का

यह कर्तव्य है कि वह ऐसे मत/निष्कर्ष को स्वीकार करे जो अभियुक्त के पक्ष में हो क्योंकि ऐसे किसी मामले में अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार है ।

13. दूसरी ओर, विद्वान् प्रभारी लोक अभियोजक ने विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्षों का समर्थन किया है और यह दलील प्रस्तुत की है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में कोई विसंगति/त्रुटि प्रतीत नहीं होती है और इसलिए वर्तमान अपील खारिज किए जाने की दायी है ।

14. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेलों तथा प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले लोक अभियोजक को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन करने तथा विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा करने के पश्चात् मैं प्रारंभ में यह कहना चाहता हूं कि मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि पुलिस ने शासकीय रूप से शिकायत दर्ज किए जाने से पूर्व, घटना के पश्चात् वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा टेलीफोन के माध्यम से दी गई जानकारी के आधार पर अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया था । अपीलार्थी के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने मुझे यह बताने का प्रयास किया है कि सुसंगत साधारण डायरी पुस्तिका को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया जाना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है क्योंकि यदि साधारण डायरी पुस्तिका को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया होता तो यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट हो जाता कि उक्त टेलीफोनिक जानकारी वास्तव में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट थी जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा साधारण डायरी पुस्तिका में लेखबद्ध किया गया था । तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ललिता कुमारी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले ममाले में यह अभिनिर्धारित किया है कि साधारण डायरी की अनुपस्थिति प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दूषित नहीं करेगी । इसे केवल अभियोजन पक्ष की ओर से की गई एक त्रुटि के रूप में देखा जा सकता है किन्तु मामले के गुणागुण को मामले के विचारण के दौरान साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य के आधार पर अवधारित किया जाएगा ।

---

[1] (2014) 2 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 187.

15. **रामसिन बावाजी जडेजा** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि यदि टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त हुआ संदेश गूढ़ प्रकृति का है और प्रभारी अधिकारी उस जानकारी के आधार पर घटनास्थल पर अपराध की प्रकृति के संबंध में ब्यौरों का पता लगाने के लिए जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि टेलीफोन के माध्यम से उसके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समझा जाएगा और यह भी माना जाएगा कि इस प्रकार का टेलीफोनिक संदेश दिए जाने का प्रयोजन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट करना नहीं है अपितु, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से यह अनुरोध करना है कि वह घटनास्थल पर आए । दूसरी ओर, यदि टेलीफोन के माध्यम से दी गई जानकारी गूढ़ प्रकृति की नहीं है और उक्त जानकारी के आधार पर प्रभारी अधिकारी का प्रथमदृष्ट्या रूप से संज्ञेय अपराध कारित किए जाने के संबंध में समाधान हो जाता है और वह पुलिस थाने में ऐसी जानकारी को लेखबद्ध करने के पश्चात् उक्त अपराध का अन्वेषण करने के लिए घटनास्थल की ओर जाता है तो उक्त अपराध, जिसके अंतर्गत अपराध में भाग लेने वाले व्यक्ति भी है, के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन को "अन्वेषण के अनुक्रम में" पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन के रूप में माना जाएगा जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अंतर्गत आता है । उस कथन को ऐसी परिस्थिति में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं माना जा सकता । किन्तु किसी संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने के संबंध में टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारी को, ऐसी जानकारी की प्रकृति और ब्यौरों पर ध्यान न देते हुए, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में नहीं माना जा सकता ।

16. पुन:, **दामोदर** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि यदि टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त हुआ संदेश गूढ़ नहीं है और इस प्रकार प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी का किसी संज्ञेय अपराध को कारित किए जाने के संबंध में प्रथमदृष्ट्या समाधान हो गया है और

---

[1] मनु/एस. सी./0670/1994 = 1994 क्रिमिनल ला जर्नल 3067 (एस. सी.).

[2] मनु/एस.सी./0736/2003 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 4414.

वह पुलिस थाने में ऐसी जानकारी को लेखबद्ध करने के पश्चात् उक्त अपराध का अन्वेषण करने के लिए घटनास्थल की ओर जाता है तो किसी व्यक्ति द्वारा उक्त अपराध, जिसके अंतर्गत अपराध में भाग लेने वाले व्यक्ति भी है, के संबंध में किए गए कथन को अन्वेषण के अनुक्रम में पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन के रूप में माना जाएगा जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अंतर्गत आता है ।

17. वर्तमान मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के परिशीलन और वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य से यह पाया गया है कि शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस को फोन पर अभिकथित घटना के संबंध में जानकारी दी थी और उस जानकारी के आधार पर पुलिस उक्त नैदानिक केन्द्र आई और वह अपीलार्थी को अपने साथ पुलिस थाने ले गई । वास्तविक शिकायतकर्ता की इस बिन्दु पर कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है कि क्या उसने पुलिस अधिकारी के समक्ष फोन पर ब्यौरेवार रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अथवा नहीं ।

18. अभियोजन के पक्षकथन को केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता और उसकी पूर्णतया अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभियोजन पक्ष द्वारा सुसंगत साधारण पुस्तिका न्यायालय के समक्ष नहीं की गई थी । **दामोदर** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित अनुपात का अवलंब लेते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त किसी जानकारी से किसी संज्ञेय अपराध को कारित किए जाने के संबंध में कोई तथ्य प्रकट होता है और जिसके परिणामस्वरूप पुलिस घटनास्थल की ओर प्रस्थान करती है तो ऐसी जानकारी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में नहीं माना जाना चाहिए । वर्तमान मामले में बाली पुलिस थाने में वर्ष 2015 के मामला सं. 6 को वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित शिकायत के आधार पर रजिस्टर किया गया था । इस प्रकार उक्त लिखित शिकायत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है और विद्वान् विचारण न्यायालय ने उक्त लिखित शिकायत को इस मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मानकर कोई गलत निर्णय नहीं दिया है ।

19. दांडिक न्यायशास्त्र में यह सुस्थापित और भलीभांति अनुसरित किए जाने वाला सिद्धांत है कि यह उत्तरदायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह सभी सुसंगत संदेहों से परे अभियुक्त के दोष को साबित करे । वर्तमान मामले में अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि वास्तविक शिकायतकर्ता का एक्स-रे किए जाने के समय दो अन्य व्यक्ति भी एक्स-रे कक्ष में मौजूद थे । उन व्यक्तियों का नाम क्रमश:, कल्पना भौमिक (प्रति. सा. 1) और प्रोसेनजीत मलिक (प्रति. सा. 2) है । उक्त साक्षियों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि एक्स-रे कक्ष में उनकी उपस्थिति में इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई थी । यह अत्यंत विस्मयकारी बात है कि अभियोजन पक्ष ने प्रतिरक्षा साक्षियों की प्रतिपरीक्षा नहीं की और न ही अभियोजन पक्ष ने अन्वेषण अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उक्त साक्षियों द्वारा पूर्व में लेखबद्ध कराए गए कथन के माध्यम से शपथपत्र पर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन का खंडन करने का प्रयास किया जिससे उनकी विश्वसनीयता के संबंध में संदेह किया जा सके । ऐसी परिस्थिति में मैं सुरक्षित रूप से यह कह सकता हूं कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी सभी सुसंगत संदेहों से परे दोषी है । अभियोजन पक्ष ने घटना की तारीख को प्रात: 8.48 बजे एलएएससीओ मेडिकेयर केन्द्र में पीड़ित महिला और अभियुक्त की उपस्थिति को साबित किया है, तथापि, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध बलात्संग के आरोपों को साबित करने में असफल रहा है । उच्चतम न्यायालय ने **कृष्णन और अन्य** बनाम **राज्य, पुलिस निरीक्षक के माध्यम से**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि संदेहों को उस समय युक्तियुक्त माना जाएगा यदि वे किसी अमूर्त अनुमान की छाया से मुक्त हैं । विधि सत्य के अलावा किसी अन्य बात का पक्ष नहीं ले सकती तथा युक्तियुक्त संदेहों का गठन करने के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी प्रकार की भावुक प्रतिक्रिया से मुक्त हो । अभियुक्त व्यक्ति के दोषी होने के संबंध में संदेह वास्तविक और सारवान् संदेह

[1] मनु/एस.सी./0505/2003 = (2003) 7 एस. सी. सी. 56 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2978.

होने चाहिए जो किसी साक्ष्य से या उसके अभाव से उद्भूत हुए हों और जो मात्र अस्पष्ट अनुमान की प्रकृति के न हों । कोई सुसंगत संदेह काल्पनिक, तुच्छ या केवल एक संभाव्य संदेह नहीं है इसके विपरीत वह एक स्पष्ट संदेह है जो किसी तर्क और सामान्य बोध से उद्भूत हुआ है । इसे मामले के किसी साक्ष्य के माध्यम से प्रकट होना चाहिए । इसी प्रकार का सिद्धांत **रमाकांत राय** बनाम **मदन राय और अन्य**[1] वाले मामले में भी अधिकथित किया गया है ।

20. दांडिक न्याय प्रणाली के अधीन अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अभियुक्त के आत्यंतिक दोष को साबित करे किन्तु जब न्यायालय के समक्ष दो ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को प्रस्तुत किया जाता है, जिन्होंने घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति को स्वीकार किया है और यह दावा किया है कि घटना के दिन ऐसी कोई अभिकथित घटना घटित नहीं हुई थी तथा अभियोजन पक्ष ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने और उनकी विश्वसनीयता के संबंध में संदेह उत्पन्न करने में असफल रहता है तो मामले की संपूर्ण परिस्थिति के संबंध में एक वास्तविक संदेह उत्पन्न हो जाता है कि क्या ऐसी कोई घटना वास्तव में घटित भी हुई थी अथवा नहीं ।

21. अंतिम तथ्य जो कि कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, यह है कि मैंने पहले ही यह लेखबद्ध किया है कि घटना की तारीख और समय पर पीड़ित महिला अपने पति के साथ अपनी कमर का एक्स-रे कराने के लिए नैदानिक केन्द्र गई थी । जब उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध कारित किया गया था तो उस समय उसने कोई चीख-पुकार नहीं मचाई । यहां तक कि उसने अपीलार्थी के अभिकथित कार्य के विरुद्ध कोई आक्षेप भी प्रस्तुत नहीं किया । उसने चुपचाप अपने विरुद्ध अभिकथित अपराध होने दिया । केवल उस समय जब वह एक्स-रे कक्ष से बाहर आई तब उसने अपने पति को घटना के संबंध में बताया । समय के उस प्रक्रम पर दंपत्ति के लिए यह अत्यंत प्राकृतिक और स्वाभाविक था कि वे अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त नैदानिक केन्द्र के

---

[1] (2003) 12 एस. सी. सी. 395 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 77.

प्रबंधमंडल के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करते । तथापि, उक्त नैदानिक केन्द्र के प्रबंधमंडल के समक्ष कोई शिकायत करने के बजाय पीड़ित महिला ने इस घटना की जानकारी अपने कुटुम्ब के सदस्यों और फिर पुलिस को उपलब्ध कराई ।

22. अभियोजन पक्ष ने उक्त नैदानिक केन्द्र के कर्मचारिवृन्द के ऐसे सदस्यों, जिनकी अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान परीक्षा की गई थी, की परीक्षा न्यायालय के समक्ष न करके घटना के पीछे के सत्य को दबाने का प्रयास किया है ।

23. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पांचवां न्यायालय, हावड़ा द्वारा 2016 के सेशन विचारण मामला सं. 24 में अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूं ।

24. तद्नुसार, वर्तमान अपील को बिना किसी लागत के मंजूर किया जाता है ।

25. तद्नुसार, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पांचवां न्यायालय, हावड़ा द्वारा 2016 के सेशन विचारण मामला सं. 24 में अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है ।

26. अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 354क/376 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उसे निर्मुक्त किया जाता है तथा उसके जमानत बंधपत्र को उन्मोचित किया जाता है ।

27. इस निर्णय की एक प्रति, निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ विद्वान् विचारण न्यायालय को अग्रेषित की जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

अनन नायक उर्फ **पप्पू नायक**

बनाम

असम राज्य

[2021 की दांडिक अपील (जे.) सं. 36]

तारीख 10 फरवरी, 2021

न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और धारा 341 – हत्या – अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अभिकथित रूप से एक बेलचे से मृतक के सिर पर वार करके उसकी हत्या किया जाना – मृतक के अप्राप्तवय पुत्र द्वारा इस पूरी घटना को देखा जाना – मृतक के पुत्र द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में अभियुक्तों के विरुद्ध अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – चिकित्सीय साक्ष्य में डाक्टर द्वारा इस प्रभाव की राय व्यक्त किया जाना कि मृतक की मृत्यु उसके सिर पर किसी भारी और धारदार हथियार द्वारा कारित की गई क्षतियों के कारण हुई है और वह मानव वध प्रकृति की है – डाक्टर द्वारा यह राय व्यक्त किया जाना कि उक्त क्षतियां किसी बेलचे द्वारा कारित नहीं की जा सकती – उक्त प्रतिकूल राय के बावजूद चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के इस प्रभाव के अभिसाक्ष्य का समर्थन किया जाना कि मृतक के सिर पर प्रहार करके क्षतियां कारित की गई थीं – वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों को विचार में लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परिसाक्ष्य चिकित्सीय राय पर अभिभावी है और इस आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि सर्वथा उचित है ।

वर्तमान अपीलों का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 30 अप्रैल, 2014 को श्रीमती सीता लोहार नामक

एक महिला, जो मृतक स्व. दिलिप लोहार की पत्नी है, ने यह कथन करते हुए एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई कि तारीख 30 अप्रैल, 2014 को दोपहर 2.30 बजे श्री अनन नायक **उर्फ** पप्पू नायक और मंगरा नायक, जो वर्तमान अपीलों के अपीलार्थी हैं और जो दोनों माइजर पठारटोली लाइन के निवासी हैं, ने पठारटोली लाइन की सड़क पर उसके पति दिलिप लोहार से वाद-विवाद किया । इसी दौरान, अपीलार्थी मंगरा नायक ने उसके पति के हाथ को पकड़ा और अपीलार्थी अनन नायक **उर्फ** पप्पू ने एक बेलचे से उसके पति के सिर पर प्रहार किया जिससे उसका पति भूमि पर गिर गया । उसके पति की हत्या करने से पूर्व अपीलार्थियों ने उसके पति की गर्दन पर भी वार किया और इस पूरी घटना को शिकायतकर्ता के पुत्र राजीब लोहार ने भी देखा । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अन्वेषण आरंभ किया और उसके पश्चात् दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया । अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान कुल 9 (नौ) साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें मृतक का पुत्र राजीब लोहार और शिकायतकर्ता भी सम्मिलित हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के अनुक्रम में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश, डिब्रुगढ़ ने अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 302 और साथ ही धारा 341 के अधीन सिद्धदोष ठहराया और उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया, जिसके विरुद्ध वर्तमान 2 (दो) अपीलें फाइल की गई हैं । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अपीलों को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जहां तक मृतक दिलिप लोहार की मानव वध प्रकृति की मृत्यु का संबंध है तो इस तथ्य के बारे में कोई संदेह विद्यमान नहीं है । चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी यह साबित किया गया है कि मृतक की मृत्यु उसे किसी धारदार भारी काटने वाले हथियार द्वारा कारित की गई सिर की क्षतियों के परिणामस्वरूप हुई है और वह मानव वध की प्रकृति की है । उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि मृतक की मृत्यु के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है तथा उसकी हत्या का अपराध किस प्रकार कारित किया गया । अभिलेखों से यह बात स्पष्ट हो जाती

है कि इस मामले में केवल एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अर्थात् अभि. सा. 2 विद्यमान है जो मृतक का अप्राप्तवय पुत्र है । जब तारीख 26 अगस्त, 2014 को विचारण न्यायालय में उसकी परीक्षा की गई थी तो उस समय उसकी आयु लगभग 14 वर्ष थी और जिस समय तारीख 30 अप्रैल, 2014 को उक्त घटना घटित हुई थी, अर्थात् उपरोक्त तारीख से जब अभि. सा. 2 की न्यायालय द्वारा परीक्षा की गई लगभग 4 मास का समय व्यतीत हो चुका था । इस प्रकार सुरक्षित रूप से यह उपधारणा बनाई जा सकती है कि उस समय बालक साक्षी की आयु लगभग 13-14 वर्ष थी । बालक की आयु को विचार में लेते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि वह तथ्यों को सटीकता से कथन करने में समर्थ होगा । अभि. सा. 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह दोनों अपीलार्थियों से सुपरिचित है क्योंकि वे दोनों सह-ग्रामीण हैं । अभि. सा. 2 ने न्यायालय के समक्ष जो भी कथन किया है वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए उसके कथन का सारवान् रूप से दोहराया गया पाठ है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए अपने कथन में अभि. सा. 2 ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि तारीख 30 अप्रैल, 2014 को लगभग 3.30 बजे उसके पिता ने उसे उनके द्वारा लाई गई मछली सौंपी और अपने हाथ-पैर धोने के पश्चात् वह टहलने हेतु लाइन की ओर जा रहा था और वह स्वयं भी उसके पीछे-पीछे जा रहा था । इसके अतिरिक्त, उसने यह कथन किया कि थोड़ा आगे जाने पर उसने यह देखा कि अपीलार्थी मंगरा नायक ने उसके पिता के हाथ को उमेठ कर उनकी पीठ पर लगा दिया और अपीलार्थी अनन नायक ने एक बेलचे से उसके पिता के सिर और गर्दन पर वार किया । उक्त प्रहारों के परिणामस्वरूप उसके पिता भूमि पर गिर गए और वे भूमि से उठ नहीं सके । उसके पश्चात् दोनों अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गए । तत्पश्चात्, अभि. सा. 2 ने अड़ोस-पड़ोस व्यक्तियों को बुलाया । उसके पश्चात् 108 नम्बर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया गया और उसके पिता को अस्पताल ले जाया गया किन्तु रास्ते में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई । जहां तक संबद्ध न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन/अभिसाक्ष्य का संबंध है उसने उसके पिता पर

अपीलार्थियों द्वारा किए गए हमले के तथ्य को दोहराया है और यह कहा है कि जब वह अपने पिता के पीछे-पीछे अपीलार्थी मंगरा के घर की ओर जा रहा था तो दोनों अपीलार्थी, अर्थात् मंगरा नायक और अनन नायक सड़क पर उनके मार्ग में आ गए और मंगरा ने उसके पिता के हाथ को उमेठ कर उनकी पीठ पर लगा दिया और अपीलार्थी अनन ने बेलचे से उसके पिता के सिर पर तीन प्रहार किए । तीन प्रहारों के पश्चात् उसके पिता भूमि पर गिर गए और वह भी वहीं अपने पिता के समीप बैठ गया । विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में अभि. सा. 2 ने इस तथ्य को जोड़ा है कि मछली का क्रय करने हेतु उसके पिता के पास 10 (दस) रुपए कम थे और साथ ही उसने उन बातों को भी जोड़ा है जो घटना के पश्चात् घटित हुई । अभिसाक्ष्य का यह भाग अधिक महत्वपूर्ण न होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए कथन में उन बातों का उल्लेख न किया जाना हमारी राय में प्राकृतिक नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया है कि जब उसकी माता घटनास्थल पर पहुंची तो उसने अपनी माता को इस बात की जानकारी दी थी कि उसके पिता पर किस प्रकार अपीलार्थी मंगरा और अनन द्वारा हमला किया गया । किन्तु उसने उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए अपने कथन में कहे गए अनुसार घटनास्थल पर एकत्रित हुए लोगों के संबंध में भी उल्लेख किया । उसने 108 नम्बर पर कॉल करके एम्बुलेंस, जिसमें उसके पिता को अस्पताल ले जाया गया था, को बुलाए जाने वाली बात का भी उल्लेख किया । उसने अपने अभिसाक्ष्य में इस बात का भी उल्लेख किया कि पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले गई थी जहां उसके कथन को लेखबद्ध किया गया । अभि. सा. 2 द्वारा इस प्रकार जोड़ी गई बातों को मात्र अलंकरण नहीं कहा जा सकता, जैसा कि अन्य अभियोजन साक्षियों ने भी, जिसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया, पूछे जाने पर यह कथन किया था कि लड़के ने उसे यह बताया था कि उसके पिता के सिर पर बेलचे से प्रहार किए जाने के परिणामस्वरूप क्षति कारित हुई है । यद्यपि, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने इस बात से इनकार किया है कि उसने अन्वेषण के दौरान पुलिस के समक्ष यह कथन किया था कि उसकी माता के बारे में पूछताछ किए जाने पर

उसे यह ज्ञात हुआ कि अपीलार्थियों ने मृतक पर बेलचे से वार करके उसकी हत्या की है, किन्तु मामले के अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) ने यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभि. सा. 7 ने पूर्वोक्त प्रभाव का कथन उसके समक्ष किया था और उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए उसके कथन को भी प्रदर्शित किया । इस प्रकार हमारी राय में अभि. सा. 2 द्वारा उस समय जब उससे पूछताछ की गई थी, अपनी माता को घटना के संबंध में यह जानकारी दिए जाने का उल्लेख न करना कि अपीलार्थियों ने मृतक पर हमला किया था, अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विश्वसनीयता पर वस्तुतः कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगाता । घटना के तुरंत पश्चात्, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अभि. सा. 2 के कथन का परिशीलन करने पर उच्च न्यायालय ने यह पाया है कि उक्त कथन में घटना से सुसंगत और सारवान् तथ्यों को भी लेखबद्ध किया गया, अर्थात् अभि. सा. 2 द्वारा यह देखा जाना कि अपीलार्थियों ने मृतक पर एक बेलचे से हमला किया और उसके पश्चात् वे घटनास्थल से भाग गए । बालक साक्षी की प्रतिपरीक्षा से ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है कि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया अभिसाक्ष्य, साक्ष्य के सारवान् पहलुओं के संबंध में संदेह के घेरे में आता है । अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् हमारी यह राय है कि घटना के समय बालक साक्षी लगभग 13-14 वर्ष का था और वह समुचित अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समर्थ था और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य में कोई विसंगति विद्यमान नहीं है । अपने पिता के साथ घटनास्थल पर मौजूद होना प्राकृतिक प्रतीत होता है, जहां उसने यह देखा कि अपीलार्थियों ने उसके पिता पर एक बेलचे से हमला किया । यद्यपि, अभि. सा. 7 को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है किन्तु इसी प्रकार उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने मृतक को रोड पर पड़े हुए देखा था और उसने यह भी देखा था कि उसके सिर से रक्तस्राव हो रहा था । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कथन किया है कि उसने यह भी देखा था कि मृतक का पुत्र, मृतक की क्षतियों पर गमछा रखकर उन्हें ढांपने का प्रयास कर रहा था और उसके द्वारा पूछे जाने पर लड़के से उसे यह बताया कि उसके पिता को सिर

पर क्षतियां, उसके सिर पर बेलचे द्वारा प्रहार किए जाने के परिणामस्वरूप कारित हुई हैं । इस प्रकार, घटनास्थल पर लड़के, अर्थात् अभि. सा. 2 की उपस्थिति के संबंध में लड़के की माता और अभि. सा. 7, दोनों द्वारा परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । अत:, उच्च न्यायालय के विचार में, घटनास्थल पर बालक साक्षी की उपस्थिति के संबंध में संदेह नहीं किया जा सकता । निस्संदेह रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा शवपरीक्षा रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध चिकित्सीय राय के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि क्षतियां एक भारी धारदार हथियार द्वारा कारित की गई हैं और इस किस्म की क्षतियां किसी बेलचे द्वारा कारित नहीं की जा सकती जो कि अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन से भिन्न है । उच्च न्यायालय ने यह भी पाया है कि यद्यपि उक्त बेलचे का अभिग्रहण किया गया था किन्तु उसे विचारण के अनुक्रम में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि अभियोजन पक्ष की ओर त्रुटि है किन्तु हम इस त्रुटि को अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते क्योंकि अन्यथा रूप से मृत्यु के कारण को पर्याप्त रूप से प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों और चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा साबित किया गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि डाक्टर द्वारा प्रस्तुत की गई राय मात्र एक विशेषज्ञ राय है और यद्यपि उक्त राय न्यायालय द्वारा सम्यक् विचार में लिए जाने के लिए हकदार है किन्तु उक्त राय परिसाक्ष्यात्मक साक्ष्य के संबंध में तब तक अभिभावी सिद्ध नहीं हो सकती जब तक कि चिकित्सीय राय पूर्णत: इस बात से इनकार न करती हो कि इस प्रकार की क्षति किसी भी प्रकार से बेलचे द्वारा कारित नहीं की जा सकती । यह भी उल्लेखनीय है कि विशेषज्ञ राय डाक्टर द्वारा अपराध में प्रयुक्त हथियार को देखे बिना प्रस्तुत की गई है । अत:, डाक्टर द्वारा व्यक्त की गई राय साधारण प्रकृति की है जो इस संभावना से पूर्णरूपेण इनकार नहीं करती कि मृतक को कारित की गई क्षतियां बेलचे से कारित की जा सकती हैं । दुर्भाग्यवश, अभिगृहीत बेलचे की अनुपस्थिति में यह न्यायालय इस स्थिति में नहीं है कि वह निश्चित रूप से यह कथन कर सके, किन्तु यह भी सत्य है कि कोई बेलचा लंबे समय से उपयोग में लाए जाने के पश्चात् किनारों से धारदार बन सकता

है और इस प्रकार चूंकि डाक्टर द्वारा व्यक्त की गई राय यह है कि क्षतियां किसी भारी धारदार हथियार द्वारा कारित की गई थी, इसलिए चिकित्सा अधिकारी की प्रतिकूल राय के बावजूद बेलचे, जो कि एक भारी हथियार है, के अपराध में प्रयोग की संभावना से पूर्णत: इनकार नहीं किया जा सकता । मृतक के शव पर पाई गईं क्षतियां अभि. सा. 2 द्वारा अपने कथन में अपीलार्थियों द्वारा किए गए हमले के वर्णन से मेल खाती हैं, जिसमें अभि. सा. 2 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थियों ने मृतक के सिर पर वार किया था । मात्र इस संदेह के कारण कि क्या उक्त बेलचा इस प्रकार की क्षति कारित कर सकता है अथवा नहीं, संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन और बालक साक्षी के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता । वर्तमान मामले में, बालक साक्षी द्वारा यह परिसाक्ष्य दिया गया है कि अपीलार्थियों द्वारा उसके पिता के सिर पर बेलचे से प्रहार किया गया और शवपरीक्षा रिपोर्ट में भी सिर पर कारित हुई क्षतियों का उल्लेख किया गया है । यद्यपि, डाक्टर ने अपनी यह राय व्यक्त की है कि इस किस्म की क्षति किसी बेलचे से कारित नहीं की जा सकती किन्तु इससे अनिवार्य रूप से यह अभिप्रेत नहीं है कि ऐसी क्षति किसी भी प्रकार से बेलचे से कारित नहीं की जा सकती । उसने इस प्रभाव की कोई राय व्यक्त नहीं की है कि बेलचे द्वारा इस प्रकार की क्षतियां कारित किए जाने की कोई संभावना नहीं है । लंबे समय से प्रयोग में लाया जा रहा बेलचा किनारों पर धारदार हो सकता है । इस प्रकार, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि चिकित्सीय साक्ष्य से यह साबित होता है कि मृतक पिता पर कारित की गई क्षतियों को बेलचे का प्रयोग करते हुए कारित करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है । उच्च न्यायालय के मतानुसार, अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विनिर्दिष्ट और स्पष्ट कथन कि अपीलार्थी अनन नायक ने एक बेलचे से उसके पिता के सिर पर प्रहार किए थे, पर विश्वास किया जा सकता है और डाक्टर द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए कि इस किस्म की क्षति बेलचे द्वारा कारित नहीं की जा सकती, दी जाने वाली राय के बावजूद अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराने के लिए अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य का अवलंब लिया जा सकता है । तद्नुसार ऊपर विचार किए गए कारणों से उच्च न्यायालय का भी यह समाधान

हो गया कि अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302/341/34 के अधीन अपराध कारित करने के दोषी हैं और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा की गई उनकी दोषसिद्धि सही है । तद्नुसार, दांडिक अपील (जेल) सं. 36/2018 तथा दांडिक अपील (जेल) सं. 37/2018 को कोई गुण न होने के कारण खारिज किया जाता है । (पैरा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 34 35, 36 और 37)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2017] (2017) 11 एस. सी. सी. 195 =
ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 5160 :
योगेश सिंह बनाम **महाबीर सिंह** ; 19

[1983] (1983) 2 एस. सी. सी. 174 :
सोलंकी चिमनभाई उखाभाई बनाम **गुजरात राज्य** ; 35

[1975] (1975) 4 एस. सी. सी. 272 :
दत्तार सिंह बनाम **पंजाब राज्य** । 19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील (जे.) सं. 36.

वर्तमान जेल अपीलें विद्वान् सेशन न्यायाधीश, डिब्रुगढ़ द्वारा वर्ष 2014 के सेशन मामला सं. 148 में पारित तारीख 22 दिसम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अरुणांगशु धर, न्यायमित्र

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री बी. भुयान, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – अपीलार्थियों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् न्यायमित्र श्री ए. धर को सुना और साथ ही प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाली सुश्री बी. भुयान, अपर लोक अभियोजक को भी सुना ।

2. ये 2 (दो) जेल अपीलें विद्वान् सेशन न्यायाधीश, डिब्रुगढ़ द्वारा

वर्ष 2014 के सेशन मामला सं. 148 (जीआर मामला सं. 1086/2014) में पारित तारीख 22 दिसम्बर, 2017 के उस सामान्य निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थियों में से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 302/34 के अधीन दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया और साथ ही उनमें से प्रत्येक पर 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसके संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उन्हें 1 (एक) मास का कठोर कारावास भोगना होगा । अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 341/34 के अधीन भी दोषसिद्ध ठहराया गया और उन्हें 6 (छह) मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । न्यायालय द्वारा यह निदेश दिया गया कि दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

3. विचारण के अनुक्रम में मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सामने आए हैं कि तारीख 30 अप्रैल, 2014 को श्रीमती सीता लोहार नामक एक महिला, जो मृतक स्व. दिलिप लोहार की पत्नी है, ने यह कथन करते हुए एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई कि तारीख 30 अप्रैल, 2014 को दोपहर 2.30 बजे श्री अनन नायक **उर्फ** पप्पू नायक और मंगरा नायक, जो वर्तमान अपीलों के अपीलार्थी हैं और जो दोनों माइजर पठारटोली लाइन के निवासी हैं, ने पठारटोली लाइन की सड़क पर उसके पति दिलिप लोहार से वाद-विवाद किया । इसी दौरान, अपीलार्थी मंगरा नायक ने उसके पति के हाथ को पकड़ा और अपीलार्थी अनन नायक **उर्फ** पप्पू ने एक बेलचे से उसके पति के सिर पर प्रहार किया जिससे उसका पति भूमि पर गिर गया । उसके पति की हत्या करने से पूर्व अपीलार्थियों ने उसके पति की गर्दन पर भी वार किया और इस पूरी घटना को शिकायतकर्ता के पुत्र राजीब लोहार ने भी देखा । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अन्वेषण आरंभ किया और उसके पश्चात् दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया ।

4. अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान कुल 9 (नौ) साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें मृतक का पुत्र राजीब लोहार

और शिकायतकर्ता भी सम्मिलित हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के अनुक्रम में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश, डिब्रुगढ़ ने अपीलार्थियों को ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार दंड संहिता की धारा 302 और साथ ही धारा 341 के अधीन सिद्धदोष ठहराया और उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया, जिसके विरुद्ध वर्तमान 2 (दो) अपीलें फाइल की गई हैं ।

5. इस प्रक्रम पर विचारण के अनुक्रम में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा ।

6. अभि. सा. 1, श्रीमती सीता लोहार, मृतक स्व. दिलिप कुमार की पत्नी और शिकायतकर्ता ने अपने पुत्र राजीब लोहार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई है । अभि. सा. 1 ने यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि घटना के दिन चाय के बगान में कार्य पूरा करने के पश्चात् जब वह अपने घर वापस आ रही थी तो उसने देखा कि लाइन के अंदर की रोड पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति बेहोशी की अवस्था में भूमि पर पड़ा था । उसका पुत्र उसके पति के समीप बैठा था । उसने अपने पुत्र राजीब लोहार से जब यह पूछा कि उसके पिता को क्या हुआ है तो उसके पुत्र ने उसे संपूर्ण घटना की जानकारी दी और उसे यह भी बताया कि उसके पति पर बेलचे से हमला करने के पश्चात् दोनों अपीलार्थी चाय के बगान की दिशा में भाग गए थे । उसके पश्चात् किसी व्यक्ति ने 108 नम्बर डायल करके एम्बुलेंस को बुलाया और उसके पति को डिब्रुगढ़ आर्युविज्ञान महाविद्यालय ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया ।

7. अभि. सा. 2, राजीब लोहार मृतक का पुत्र है और वह इस मामले का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसने यह कथन किया है कि उसके पिता और सह-अभियुक्त एक ही ग्राम के निवासी हैं । यह घटना, घटना के दिन दोहपर लगभग् 3.00 बजे घटित हुई थी । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया कि उसके पिता एक मछली लेकर घर आए थे । चूंकि उसके पिता ने मछली की कीमत में से 10 (दस) रुपए कम का संदाय किया था, इसलिए उन्होंने घर आकर घर से 10 रुपए लिए तथा वे अपीलार्थी

मंगरा के घर गए और अभि. सा. 2 भी अपने पिता के पीछे-पीछे मंगरा के घर गया । दोनों अपीलार्थी उसके पिता को रोड पर ही मिल गए । अपीलार्थी मंगरा ने उसके पिता के हाथों को पकड़कर उसकी कमर को मोड़ दिया और अपीलार्थी अनन बेलचे से उसके पिता के सिर पर तीन प्रहार किए । इस प्रकार, प्रहार किए जाने पर उसके पिता भूमि पर गिर गए । उसके पश्चात् अभि. सा. 2 अपने पिता के पास ही बैठ गया । जब उसकी माता घटनास्थल पर पहुंची तो अभि. सा. 2 ने संपूर्ण घटना की जानकारी अपनी माता को दी । उसके पश्चात् वहां अनेक व्यक्ति एकत्रित हो गए और उसके मामा ने 108 नम्बर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया और उसके पश्चात् उसके पिता को डिब्रुगढ़ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया । पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची थी और पुलिस ने अभि. सा. 2 से घटना के संबंध में पूछाताछ भी की थी और उसके पश्चात् पुलिस उसे न्यायालय ले गई और वहां उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना कथन प्रस्तुत किया ।

8. मृतक के शव की शवपरीक्षा करने वाले डाक्टर ने अभि. सा. 3 के रूप में न्यायालय के समक्ष अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है और उसने शवपरीक्षा रिपोर्ट पर लेखबद्ध किए गए अनुसार निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

> "1. गर्दन के सब-मेंटल क्षेत्र में 7x1x3 सें. मी. आकार का छिन्न घाव विद्यमान है ।
>
> 2. गर्दन के सामने ऊपरी भाग में एक अनुप्रस्थ 9x1.5x3 सें. मी. आकार का छिन्न घाव विद्यमान है ।
>
> 3. खोपड़ी के बाईं ओर सामने की तरफ भित्तीय क्षेत्र में 8x2 सें. मी. अस्थि तक गहरा एक तिरछा छिन्न घाव विद्यमान है ।"

अभि. सा. 3 ने अपनी रिपोर्ट में यह राय अभिव्यक्त की है कि मृतक की मृत्यु का कारण सिर पर होने वाली क्षति के परिणामस्वरूप कारित हुआ कोमा है । उसके अनुसार मृतक के शरीर पर पाई गई सभी क्षतियां मृत्यु-पूर्व प्रकृति की हैं, जिन्हें किसी भारी धारदार काटने वाले

हथियार से कारित किया गया है और उक्त क्षतियां प्रकृति में मृत्यु कारित करने वाली हैं । अभि. सा. 3 ने यह राय भी अभिव्यक्त की है कि मृतक के सिर पर पाई गई क्षतियां सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थीं । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि उक्त किस्म की क्षति किसी बेलचे से कारित नहीं की जा सकती ।

9. कुछ अन्य औपचारिक साक्षियों की भी परीक्षा की गई । अभि. सा. 4, अर्जुन टांटी एक सह-ग्रामीण है जो पुलिस के साथ अपीलार्थी अनन नायक के घर गया था जहां अनन नायक ने अपने ससुर के घर से उस बेलचे की निशानदेही करके प्रस्तुत किया जिसका प्रयोग उसके द्वारा घटना में किया गया था और उसके पश्चात् पुलिस ने उक्त बेलचे का अभिग्रहण किया । अभि. सा. 4 उक्त बेलचे का अभिग्रहण साक्षी है । अभि. सा. 5 एक अन्य सह-ग्रामीण है और वह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय गया था और वहां उसने मृतक के शव को देखा था और उसने यह भी देखा था कि मृतक की गर्दन और सिर के पिछले भाग पर क्षतियां विद्यमान थीं । अभि. सा. 6, अपीलार्थी और साथ ही मृतक का एक सह-ग्रामीण है जिसने यह कथन किया है कि जब वह माइजर नतुन गांव के वार्ड सदस्य के घर में कार्य कर रहा था तो उस समय मृतक का एक अन्य पुत्र प्रीतम उसके पास आया और उसने उसे यह बताया कि उसके पिता रोड पर गिरे हुए थे । उसके पश्चात् वह घटनास्थल पर गया जहां उसने यह देखा कि मृतक भूमि पर पड़ा था और उसकी गर्दन और सिर पर क्षतियां विद्यमान थीं । उसके पश्चात् उसने एम्बुलेंस को बुलाया और मृतक को आयुर्विज्ञान महाविद्यलाय ले जाया गया ।

10. अभि. सा. 7, अर्थात् बिजय शाह एक अन्य ग्रामीण है जो मृतक और दोनों अपीलार्थियों से परिचित था । उसे जब यह ज्ञात हुआ कि उनके क्षेत्र में किसी की हत्या हुई है तो वह घटनास्थल पर पहुंचा और घटनास्थल पर पहुंचकर उसने यह देखा कि मृतक रोड पर पड़ा था और उसके सिर से रक्तस्राव हो रहा था और उसका पुत्र क्षतियों पर गमछा रखकर रक्तस्राव को रोकने का प्रयास कर रहा था । उसके द्वारा

पूछे जाने पर उक्त लड़के ने उसे यह बताया कि उसके पिता के सिर पर एक बेलचे से प्रहार किए जाने के परिणामस्वरूप क्षतियां कारित हुई हैं । तथापि, उस लड़के ने उसे उस समय यह नहीं बताया था कि उसके पिता पर किसके द्वारा हमला किया गया था । जिसके पश्चात् उक्त साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर उसने इस तथ्य से इनकार किया उसने पूछताछ के समय पुलिस के समक्ष यह कथन किया था कि उसे यह बात ज्ञात हुई थी कि अपीलार्थियों ने मृतक पर बेलचे से वार करके उसकी हत्या की है । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर उसने यह कथन किया कि मृतक के पुत्र ने उसे यह बात नहीं बताई थी कि उसके पिता पर किसने हमला किया था ।

11. अभि. सा. 8 उस ऐप यान का चालक है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पुलिस कार्मिकों के साथ एक घर ले जाया गया था और उस घर से पुलिस कार्मिकों ने एक बेलचे को बरामद किया । उसके पश्चात् अभि. सा. 8 उन सब को लेकर वापस पुलिस थाने आया था ।

12. अभि. सा. 9 इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है और वह अपीलार्थी अनन नायक के साथ उस हथियार को बरामद करने के लिए गया था जिसका प्रयोग अपीलार्थी अनन नायक द्वारा किए गए कथन के अनुसार घटना में किया गया । अभि. सा. 9 ने यह कथन किया कि अपीलार्थी अनन नायक पुलिस को अपने ससुर रुस्तम करमाकर के घर ले गया और उसके पश्चात् उसने घर के भीतर एक पलंग के नीचे से बेलचे को निकालकर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे साक्षियों की उपस्थिति में अभिगृहीत किया गया । अभि. सा. 9 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभि. सा. 7 बिजय शाह ने अपना कथन लेखबद्ध कराते समय यह कहा था कि उसने मृतक को भूमि पर गिरे हुए देखा था और उस समय उसकी गर्दन, सिर और बाएं हाथ पर क्षतियां विद्यमान थीं और उसका पुत्र जख्मों पर बैठने वाले मक्खियों को उड़ाने के लिए एक गमछा हिला रहा था और उसके द्वारा इस सारे मामले के संबंध में पूछताछ किए जाने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि अनन नायक ने बेलचे से वार करके मृतक की हत्या की है ।

13. पूर्वोक्त साक्ष्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 302 और 341 के अधीन सिद्धदोष ठहराया ।

14. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि इस घटना का केवल एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जो मृतक का अप्राप्तवय पुत्र है । अभि. सा. 2 के साक्ष्य पर पूर्णरूपेण विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पीड़ित का पुत्र होने के कारण एक हितबद्ध व्यक्ति है । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किया गया कथन न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से भिन्न है । यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि विचारण के अनुक्रम में अभि. सा. 2 ने मछली के क्रय हेतु 10/- रुपए कम होने का उल्लेख करते हुए अपना परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है और उसने यह भी कथन किया है कि मृतक घर से 10/- रुपए लेकर अपीलार्थी के घर की ओर गया था और दूसरी ओर अभि. सा. 2 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में केवल यह कहा है कि उसके पिता ने मछली उसे सौंपी और उसके पश्चात् अपने हाथ-पैर धोने के बाद जब उसके पिता टहलने हेतु लाइन की ओर गए तो वह भी उनके पीछे-पीछे गया था ।

15. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि उक्त घटना तारीख 30 अप्रैल, 2014 को घटित हुई थी जबकि अभि. सा. 2 के कथन को तारीख 5 मई, 2014 को लेखबद्ध किया गया और उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना अभिसाक्ष्य तारीख 26 अगस्त, 2014 को प्रस्तुत किया गया । अत:, इस बात की अत्यंत प्रबल संभावना है कि बालक को मामले में सुधार करने हेतु सिखाया-पढ़ाया गया है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल के अनुसार अभि. सा. 2 के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य में उल्लिखित ब्यौरे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए उसके कथन में विद्यमान नहीं हैं ।

16. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि यद्यपि अपराध हेतु प्रयुक्त किए गए हथियार के रूप में एक बेलचे के संबंध में कथन किया गया है जिसके संबंध में यह कहा गया है कि उसे अपीलार्थी अनन नायक के ससुर के घर से बरामद किया गया किन्तु उक्त बेलचे को विचारण के दौरान कभी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त, उक्त हथियार को, हथियार पर मौजूद उंगलियों के निशानों का अपीलार्थियों के उंगलियों के निशानों से मिलान करने हेतु न्यायालयिक परीक्षा हेतु भी नहीं भेजा गया और न ही अपराध में अभिकथित रूप से प्रयुक्त हथियार पर पाए गए रक्त चिन्हों को न्यायालयिक परीक्षा हेतु अग्रेषित किया गया ।

17. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल के अनुसार अपराध के लिए प्रयुक्त हथियार को न्यायालय में प्रस्तुत न किया जाना और उसकी न्यायालयिक परीक्षा न किया जाना मामले के अन्वेषण में गंभीर त्रुटियां हैं जो अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन को संदेहास्पद बनाती हैं । यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि यदि अपराध में प्रयुक्त हथियार की न्यायालयिक परीक्षा की गई होती और उस पर विद्यमान उंगलियों के निशानों तथा रक्त चिन्हों को पीड़ित और अपीलार्थियों से मिलाया गया होता तो इस मामले की सही तथ्यात्मक स्थिति सामने आ सकती थी । तथापि, ऐसा नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपीलार्थियों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने में सफल रहा है ।

18. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि यद्यपि मामले के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 2 द्वारा यह दावा किया गया है कि उसके पिता पर अपीलार्थी अनन नायक और अपीलार्थी मंगरा नायक द्वारा एक बेलचे से वार किया गया था, किन्तु शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतक के शव पर पाई गई क्षतियां इस किस्म की नहीं थी कि उन्हें एक बेलचे द्वारा कारित किया जा सके ।

19. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दत्तार सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील प्रस्तुत की है कि हत्या में प्रयुक्त हथियार की उस पर मौजूद उंगलियों के निशानों का अभियुक्त की उंगलियों के निशानों से मिलान कराने हेतु परीक्षा कराने में असफल रहना अभियोजन पक्षकथन के लिए अत्यंत घातक है ।

इसके अतिरिक्त्, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **योगेश सिंह** बनाम **महाबीर सिंह**[2] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए यह दलील प्रस्तुत की है कि किसी बालक साक्षी द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य पर विश्वास करने से पूर्व उसकी पर्याप्त रूप से अभिपुष्टि की जानी चाहिए । उसके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य का अत्यंत ध्यानपूर्वक और गहराई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि कोई बालक अन्य व्यक्तियों द्वारा उसे कही गई बातों से सुगमता से प्रभावित हो सकता है और इस प्रकार किसी बालक साक्षी को सिखाना-पढ़ाना अत्यंत सुगम है । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि यह तथ्य कि बालक साक्षी अभि. सा. 2 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए कथन तथा उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध किए गए कथन में विसंगतियां विद्यमान हैं, बालक साक्षी (अभि. सा. 2) के साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में संदेह उत्पन्न करता है ।

20. इसके अतिरिक्त, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि किसी भी अपराध को बिना किसी हेतु के कारित नहीं किया जा सकता । वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों द्वारा मृतक की हत्या करने के हेतु को साबित करने में असफल रहा है ।

21. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल और राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले अपर लोक अभियोजक को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अब हम आक्षेपित निर्णय की तथ्यात्मक परीक्षा करेंगे ।

---

[1] (1975) 4 एस. सी. सी. 272.

[2] (2017) 11 एस. सी. सी. 195 = ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 5160.

22. जहां तक मृतक दिलिप लोहार की मानव वध प्रकृति की मृत्यु का संबंध है तो इस तथ्य के बारे में कोई संदेह विद्यमान नहीं है । चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी यह साबित किया गया है कि मृतक की मृत्यु उसे किसी धारदार भारी काटने वाले हथियार द्वारा कारित की गई सिर की क्षतियों के परिणामस्वरूप हुई है और वह मानव वध की प्रकृति की है ।

23. इस न्यायालय को अब इस बात पर विचार करना है कि मृतक की मृत्यु के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है तथा उसकी हत्या का अपराध किस प्रकार कारित किया गया । अभिलेखों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस मामले में केवल एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अर्थात् अभि. सा. 2 विद्यमान है जो मृतक का अप्राप्तवय पुत्र है । जब तारीख 26 अगस्त, 2014 को विचारण न्यायालय में उसकी परीक्षा की गई थी तो उस समय उसकी आयु लगभग 14 वर्ष थी और जिस समय तारीख 30 अप्रैल, 2014 को उक्त घटना घटित हुई थी, अर्थात् उपरोक्त तारीख से जब अभि. सा. 2 की न्यायालय द्वारा परीक्षा की गई लगभग 4 मास का समय व्यतीत हो चुका था । इस प्रकार सुरक्षित रूप से यह उपधारणा बनाई जा सकती है कि उस समय बालक साक्षी की आयु लगभग 13-14 वर्ष थी । बालक की आयु को विचार में लेते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि वह तथ्यों को सटीकता से कथन करने में समर्थ होगा ।

24. अभि. सा. 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह दोनों अपीलार्थियों से सुपरिचित है क्योंकि वे दोनों सह-ग्रामीण हैं । अभि. सा. 2 ने न्यायालय के समक्ष जो भी कथन किया है वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए उसके कथन का सारवान् रूप से दोहराया गया पाठ है ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए अपने कथन में अभि. सा. 2 ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि तारीख 30 अप्रैल, 2014 को लगभग 3.30 बजे उसके पिता ने उसे उनके द्वारा लाई गई मछली सौंपी और अपने हाथ-पैर धोने के पश्चात् वह टहलने हेतु लाइन की ओर जा रहा था और वह स्वयं भी उसके पीछे-पीछे जा

रहा था । इसके अतिरिक्त, उसने यह कथन किया कि थोड़ा आगे जाने पर उसने यह देखा कि अपीलार्थी मंगरा नायक ने उसके पिता के हाथ को उमेठ कर उनकी पीठ पर लगा दिया और अपीलार्थी अनन नायक ने एक बेलचे से उसके पिता के सिर और गर्दन पर वार किया । उक्त प्रहारों के परिणामस्वरूप उसके पिता भूमि पर गिर गए और वे भूमि से उठ नहीं सके । उसके पश्चात् दोनों अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गए । तत्पश्चात्, अभि. सा. 2 ने अड़ोस-पड़ोस के व्यक्तियों को बुलाया । उसके पश्चात् 108 नम्बर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया गया और उसके पिता को अस्पताल ले जाया गया किन्तु रास्ते में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई ।

जहां तक संबद्ध न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन/अभिसाक्ष्य का संबंध है उसने उसके पिता पर अपीलार्थियों द्वारा किए गए हमले के तथ्य को दोहराया है और यह कहा है कि जब वह अपने पिता के पीछे-पीछे अपीलार्थी मंगरा के घर की ओर जा रहा था तो दोनों अपीलार्थी, अर्थात् मंगरा नायक और अनन नायक सड़क पर उनके मार्ग में आ गए और मंगरा ने उसके पिता के हाथ को उमेठ कर उनकी पीठ पर लगा दिया और अपीलार्थी अनन ने बेलचे से उसके पिता के सिर पर तीन प्रहार किए । तीन प्रहारों के पश्चात् उसके पिता भूमि पर गिर गए और वह भी वहीं अपने पिता के समीप बैठ गया ।

25. विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में अभि. सा. 2 ने इस तथ्य को जोड़ा है कि मछली का क्रय करने हेतु उसके पिता के पास 10 (दस) रुपए कम थे और साथ ही उसने उन बातों को भी जोड़ा है जो घटना के पश्चात् घटित हुई । अभिसाक्ष्य का यह भाग अधिक महत्वपूर्ण न होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए कथन में उन बातों का उल्लेख न किया जाना हमारी राय में प्राकृतिक नहीं है ।

26. इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया है कि जब उसकी माता घटनास्थल पर पहुंची तो उसने अपनी माता को इस बात की जानकारी दी थी कि उसके पिता पर किस प्रकार अपीलार्थी मंगरा और अनन द्वारा हमला किया गया । किन्तु उसने उसके द्वारा

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए अपने कथन में कहे गए अनुसार घटनास्थल पर एकत्रित हुए लोगों के संबंध में भी उल्लेख किया । उसने 108 नम्बर पर कॉल करके एम्बुलेंस, जिसमें उसके पिता को अस्पताल ले जाया गया था, को बुलाए जाने वाली बात का भी उल्लेख किया । उसने अपने अभिसाक्ष्य में इस बात का भी उल्लेख किया कि पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले गई थी जहां उसके कथन को लेखबद्ध किया गया ।

27. अभि. सा. 2 द्वारा इस प्रकार जोड़ी गई बातों को मात्र अलंकरण नहीं कहा जा सकता, जैसा कि अन्य अभियोजन साक्षियों ने भी, जिसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया, पूछे जाने पर यह कथन किया था कि लड़के (अभि. सा. 2) ने उसे यह बताया था कि उसके पिता के सिर पर बेलचे से प्रहार किए जाने के परिणामस्वरूप क्षति कारित हुई है ।

यद्यपि, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने इस बात से इनकार किया है कि उसने अन्वेषण के दौरान पुलिस के समक्ष यह कथन किया था कि उसकी माता के बारे में पूछताछ किए जाने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि अपीलार्थियों ने मृतक पर बेलचे से वार करके उसकी हत्या की है, किन्तु मामले के अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) ने यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभि. सा. 7 ने पूर्वोक्त प्रभाव का कथन उसके समक्ष किया था और उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए उसके कथन को भी प्रदर्शित किया ।

इस प्रकार हमारी राय में अभि. सा. 2 द्वारा उस समय जब उससे पूछताछ की गई थी, अपनी माता को घटना के संबंध में यह जानकारी दिए जाने का उल्लेख न करना कि अपीलार्थियों ने मृतक पर हमला किया था, अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विश्वसनीयता पर वस्तुतः कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगाता ।

घटना के तुरंत पश्चात्, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अभि. सा. 2 के कथन का परिशीलन करने पर हमने यह पाया है कि उक्त कथन में घटना से सुसंगत और सारवान् तथ्यों को

भी लेखबद्ध किया गया, अर्थात् अभि. सा. 2 द्वारा यह देखा जाना कि अपीलार्थियों ने मृतक पर एक बेलचे से हमला किया और उसके पश्चात् वे घटनास्थल से भाग गए । यह भी उल्लेखनीय है कि कथन को तारीख 5 मई, 2014 को लेखबद्ध किया गया था जब कि घटना तारीख 30 अप्रैल, 2014 को घटित हुई थी । मामला डायरी के अनुसार पुलिस ने तारीख 30 अप्रैल, 2014 से 1 मई, 2014 तक अनेक साक्षियों से पूछताछ की तथा उनकी परीक्षा की और उसके पश्चात् तारीख 5 मई, 2014 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभि. सा. 2 के कथन को लेखबद्ध किया गया । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा मत यह है कि अभि. सा. 2 के कथन को लेखबद्ध करने में कोई ऐसा असामान्य विलंब नहीं हुआ है जो उसके कथन की विश्वसनीयता के संबंध में संदेह उत्पन्न करे ।

28. प्रतिरक्षा पक्ष ने इस संबंध में अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा की थी कि क्या घटना के दिन उसका विद्यालय बंद था तो उसके उत्तर में अभि. सा. 2 ने यह कहा था कि उस दिन उसका विद्यालय बंद था । इस प्रकार, इससे स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि घटनास्थल पर अभि. सा. 2 की उपस्थिति वास्तविक थी और इस संबंध में कोई मिथ्या कहानी तैयार नहीं की गई है ।

हमने यह भी पाया है कि अभि. सा. 1, जो अभि. सा. 2 की माता है तथा मृतक की पत्नी है, ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने अपने पुत्र अभि. सा. 2 को घटनास्थल पर देखा था और उसने अपने पति को भी बेहोशी की हालत में भूमि पर पड़े हुए देखा था और साथ ही उसने यह भी देखा था कि उसका पुत्र अभि. सा. 2 उसके पति के समीप बैठा था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने भी यह कथन किया है कि घटना के दिन उसके पुत्र का विद्यालय बंद था ।

29. यद्यपि, अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात का उल्लेख किया है कि घटनास्थल के आस-पास अनेक घर विद्यमान हैं और यदि रात्रि के समय कोई घटना घटित होती है तो अड़ोस-पड़ोस के व्यक्ति बाहर आएंगे किन्तु उससे प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से

यह बात नहीं पूछी गई थी कि क्या वह उन व्यक्तियों में से किसी की पहचान कर सकता है, जो घटनास्थल पर एकत्रित हुए थे । अभि. सा. 2 ने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने इस प्रभाव का मिथ्या अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थियों ने उसके पिता पर हमला किया था और उसने मिथ्या अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा उसे उसके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा सिखाया-पढ़ाया गया है और साथ ही उसने इस बात से भी इनकार किया कि घटनास्थल पर एकत्रित होने वाले किसी भी आस-पास में निवास करने वाले व्यक्ति ने घटना को नहीं देखा था ।

बालक साक्षी (अभि. सा. 2) की प्रतिपरीक्षा से ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है कि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया अभिसाक्ष्य, साक्ष्य के सारवान् पहलुओं के संबंध में संदेह के घेरे में आता है ।

30. अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् हमारी यह राय है कि घटना के समय बालक साक्षी (अभि. सा. 2) लगभग 13-14 वर्ष का था और वह समुचित अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समर्थ था और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य में कोई विसंगति विद्यमान नहीं है । अपने पिता के साथ घटनास्थल पर मौजूद होना प्राकृतिक प्रतीत होता है, जहां उसने यह देखा कि अपीलार्थियों ने उसके पिता पर एक बेलचे से हमला किया ।

यद्यपि, अभि. सा. 7 को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है किन्तु इसी प्रकार उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने मृतक को रोड पर पड़े हुए देखा था और उसने यह भी देखा था कि उसके सिर से रक्तस्राव हो रहा था । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कथन किया है कि उसने यह भी देखा था कि मृतक का पुत्र, मृतक की क्षतियों पर गमछा रखकर उन्हें ढांपने का प्रयास कर रहा था और उसके द्वारा पूछे जाने पर लड़के ने उसे यह बताया कि उसके पिता को सिर पर क्षतियां, उसके सिर पर बेलचे द्वारा प्रहार किए जाने के परिणामस्वरूप कारित हुई हैं ।

इस प्रकार, घटनास्थल पर लड़के, अर्थात् अभि. सा. 2 की

उपस्थिति के संबंध में लड़के की माता और अभि. सा. 7, दोनों द्वारा परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया गया है ।

अतः, हमारे विचार में, घटनास्थल पर बालक साक्षी (अभि. सा. 2) की उपस्थिति के संबंध में संदेह नहीं किया जा सकता ।

31. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि तथापि, अभि. सा. 7 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस के समक्ष दिए गए अपने कथन से विचलित हो गया है कि माता से पूछे जाने पर उसे यह ज्ञात हुआ था कि अपीलार्थियों ने मृतक पर बेलचे से हमला करके उसकी हत्या की है । किन्तु अभि. सा. 7 को पक्षद्रोही साक्षी घोषित करने के पश्चात् अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान उससे पूछे गए विनिर्दिष्ट प्रश्न के उत्तर में अभि. सा. 7 ने न्यायालय के समक्ष पूर्वोक्त कथन किया था ।

पुलिस के समक्ष दिए गए अपने कथन में अभि. सा. 7 ने यह कहा कि "मैंने मृतक दिलिप लोहार को सड़क की पटरी के नीचे सड़क पर पड़े हुए देखा था और उस समय उसके सिर से रक्तस्राव हो रहा था । दिलिप लोहार के पुत्र ने क्षतियों पर गमछा रखकर उसकी क्षतियों को ढांपने का प्रयास किया था । पूछे जाने पर बालक ने मुझे यह बताया कि उसके पिता के सिर पर बेलचे से प्रहार किए जाने के परिणामस्वरूप क्षतियां कारित हुई हैं । लड़के ने मुझे यह नहीं बताया कि उसके पिता पर किस व्यक्ति ने हमला किया । पुलिस ने मुझसे पूछताछ की ।"

जहां तक पूर्वोक्त इनकार का संबंध है, इसी प्रकार का प्रश्न अभि. सा. 9 के सामने रखा गया था, जो इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है । अभि. सा. 9 ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि साक्षी बिजय शाह (अभि. सा. 7) ने उसके समक्ष किए गए कथन में यह कहा था कि "मैंने दिलिप लोहार को भूमि पर पड़े हुए देखा था और उसकी गर्दन, सिर और बाएं हाथ पर क्षतियां थीं और उसका पुत्र गमछा हिलाकर उन क्षतियों से मक्खियों को उड़ाने का प्रयास कर रहा था ।

मामले के संबंध में पूछताछ करने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि अनन नायक और मंगरा नायक ने दिलिप लोहार पर बेलचे से प्रहार कर उसकी हत्या की है ।"

हमने प्रदर्श-10 को भी देखा है और हमने प्रदर्श-10 का परिशीलन भी किया है ।

अभि. सा. 9 के हस्ताक्षर प्रदर्श-10(1) के रूप में चिन्हित है ।

यह पाया गया है कि अभि. सा. 7 ने जो कथन किया था उससे उसने उस समय इनकार किया जब उसकी प्रतिपरीक्षा की गई ।

इस प्रकार, कथन के इस तथ्यात्मक भाग के अलावा कि मृतक की हत्या किसने की है, जिसके संबंध में अभि. सा. 7 उसके द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य में उल्लेख नहीं करना चाहता था, मृतक के भूमि पर पड़े होने और साथ ही मृतक के शव के समीप बालक साक्षी को देखे जाने के अन्य तथ्यों के संबंध में स्वयं अभि. सा. 7 द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया है ।

32. इस प्रकार, हमें अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया अभिसाक्ष्य विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक प्रतीत होता है । उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाने वाले कोई तथ्य सामने नहीं आया है ।

33. निस्संदेह रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा शवपरीक्षा रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध चिकित्सीय राय के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि क्षतियां एक भारी धारदार हथियार द्वारा कारित की गई हैं और इस किस्म की क्षतियां किसी बेलचे द्वारा कारित नहीं की जा सकती जो कि अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन से भिन्न है ।

हमने यह भी पाया है कि यद्यपि उक्त बेलचे का अभिग्रहण किया

गया था किन्तु उसे विचारण के अनुक्रम में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि अभियोजन पक्ष की ओर त्रुटि है किन्तु हम इस त्रुटि को अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते क्योंकि अन्यथा रूप से मृत्यु के कारण को पर्याप्त रूप से प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों और चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा साबित किया गया है ।

34. यह भी उल्लेखनीय है कि डाक्टर द्वारा प्रस्तुत की गई राय मात्र एक विशेषज्ञ राय है और यद्यपि उक्त राय न्यायालय द्वारा सम्यक् विचार में लिए जाने के लिए हकदार है किन्तु उक्त राय परिसाक्ष्यात्मक साक्ष्य के संबंध में तब तक अभिभावी सिद्ध नहीं हो सकती जब तक कि चिकित्सीय राय पूर्णत: इस बात से इनकार न करती हो कि इस प्रकार की क्षति किसी भी प्रकार से बेलचे द्वारा कारित नहीं की जा सकती । यह भी उल्लेखनीय है कि विशेषज्ञ राय डाक्टर द्वारा अपराध में प्रयुक्त हथियार को देखे बिना प्रस्तुत की गई है । अत:, डाक्टर द्वारा व्यक्त की गई राय साधारण प्रकृति की है जो इस संभावना से पूर्णरूपेण इनकार नहीं करती कि मृतक को कारित की गई क्षतियां बेलचे से कारित की जा सकती हैं । दुर्भाग्यवश, अभिगृहीत बेलचे की अनुपस्थिति में यह न्यायालय इस स्थिति में नहीं है कि वह निश्चित रूप से यह कथन कर सके, किन्तु यह भी सत्य है कि कोई बेलचा लंबे समय से उपयोग में लाए जाने के पश्चात् किनारों से धारदार बन सकता है और इस प्रकार चूंकि डाक्टर द्वारा व्यक्त की गई राय यह है कि क्षतियां किसी भारी धारदार हथियार द्वारा कारित की गई थी, इसलिए चिकित्सा अधिकारी की प्रतिकूल राय के बावजूद बेलचे, जो कि एक भारी हथियार है, के अपराध में प्रयोग की संभावना से पूर्णत: इनकार नहीं किया जा सकता । मृतक के शव पर पाई गईं क्षतियां अभि. सा. 2 द्वारा अपने कथन में अपीलार्थियों द्वारा किए गए हमले के वर्णन से मेल खाती हैं, जिसमें अभि. सा. 2 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थियों ने मृतक के सिर पर वार किया था । मात्र इस संदेह के कारण कि क्या उक्त बेलचा इस प्रकार की क्षति कारित कर सकता है

अथवा नहीं, संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन और बालक साक्षी के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता ।

35. **सोलंकी चिमनभाई उखाभाई** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत किया गया परिसाक्ष्य तब तक चिकित्सीय साक्ष्य पर अधिमानता रखता है जब तक कि चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा दिए गए वर्णन की संभावना से पूर्णत: इनकार न कर दे ।

पूर्वोक्त मामले के पैरा 13 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :

> "13. सामान्यत:, चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य केवल पुष्टिकारक प्रकृति का है । चिकित्सीय साक्ष्य यह साबित करता है कि क्षतियां अभिकथित रीति में कारित की जा सकती थी और इसके अतिरिक्त वह कुछ साबित नहीं करता । प्रतिरक्षा पक्ष चिकित्सीय साक्ष्य का उपयोग यह साबित करने के लिए कर सकता है कि संभवत: अभिकथित रीति में क्षतियां कारित नहीं की जा सकती थी और इस प्रकार वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा सकता है । जब तक कि चिकित्सीय साक्ष्य पूर्णत: ऐसी सभी संभावनाओं से इनकार न कर दे कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अभिकथित रीति में क्षतियां कारित नहीं की जा सकती तब तक प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य को उनमें और चिकित्सीय साक्ष्य में विद्यमान अभिकथित विसंगतियों के आधार पर नकारा नहीं जा सकता ।"

36. वर्तमान मामले में, बालक साक्षी द्वारा यह परिसाक्ष्य दिया गया है कि अपीलार्थियों द्वारा उसके पिता के सिर पर बेलचे से प्रहार किया गया और शवपरीक्षा रिपोर्ट में भी सिर पर कारित हुई क्षतियों का

---

[1] (1983) 2 एस. सी. सी. 174.

उल्लेख किया गया है । यद्यपि, डाक्टर ने अपनी यह राय व्यक्त की है कि इस किस्म की क्षति किसी बेलचे से कारित नहीं की जा सकती किन्तु इससे अनिवार्य रूप से यह अभिप्रेत नहीं है कि ऐसी क्षति किसी भी प्रकार से बेलचे से कारित नहीं की जा सकती । उसने इस प्रभाव की कोई राय व्यक्त नहीं की है कि बेलचे द्वारा इस प्रकार की क्षतियां कारित किए जाने की कोई संभावना नहीं है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है लंबे समय से प्रयोग में लाया जा रहा बेलचा किनारों पर धारदार हो सकता है । इस प्रकार, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि चिकित्सीय साक्ष्य से यह साबित होता है कि मृतक पिता पर कारित की गई क्षतियों को बेलचे का प्रयोग करते हुए कारित करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है ।

हमारे मतानुसार, अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विनिर्दिष्ट और स्पष्ट कथन कि अपीलार्थी अनन नायक ने एक बेलचे से उसके पिता के सिर पर प्रहार किए थे, पर विश्वास किया जा सकता है और डाक्टर द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए कि इस किस्म की क्षति बेलचे द्वारा कारित नहीं की जा सकती, दी जाने वाली राय के बावजूद अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराने के लिए अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य का अवलंब लिया जा सकता है ।

37. तद्नुसार ऊपर विचार किए गए कारणों से हमारा भी यह समाधान हो गया है कि अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302/341/34 के अधीन अपराध कारित करने के दोषी हैं और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा की गई उनकी दोषसिद्धि सही है ।

तद्नुसार, दांडिक अपील (जेल) सं. 36/2018 तथा दांडिक अपील (जेल) सं. 37/2018 को कोई गुण न होने के कारण खारिज किया जाता है ।

अपीलें खारिज की गईं ।

पु.

हेमंत टांटी

बनाम

असम राज्य

[2018 की दांडिक अपील (जे.) सं. 100]

तारीख 17 फरवरी, 2021

न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति मीर अफजल अली

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – अभियुक्त पर हत्या का आरोप लगाया जाना – वर्तमान मामले में तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अभियुक्त द्वारा हत्या का अपराध कारित करने के संबंध में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – यद्यपि, उनमें से एक साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा इस प्रभाव का अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि अभियुक्त ने अभिकथित रूप से अपने घर के सामने मृतक से हुए झगड़े के दौरान छुरे से मृतक की छाती और उदर पर वार किया और उसके पश्चात् वह घटनास्थल से फरार हो गया – उक्त घोर उपहतियों के कारण मृतक की अस्पताल ले जाते समय मार्ग में ही मृत्यु हो जाना – शव-परीक्षा रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आना कि मृतक की मृत्यु किसी धारदार हथियार से उसे कारित की गई क्षतियों के कारण हुई है – वर्तमान मामले में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य भली-भांति स्थापित होना कि अभियुक्त ने ही मृतक पर किसी धारदार हथियार से हमला करके उसे क्षतियां कारित की जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई – तथापि, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य भी सामने आया है कि मृतक और अभियुक्त के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और मृतक स्वयं अभियुक्त के घर गया था और वहां वह उसके घर के बाहर उससे गाली गलौज कर रहा था – इस प्रकार अभियुक्त द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन मृतक पर क्षणिक आवेश में हमला किया गया, अतः, अभियुक्त की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए उसे

दंड संहिता की धारा 304 के भाग 1 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया और उसके दंडादेश को आजीवन कठोर कारावास से घटाकर सात वर्ष की अवधि का कठोर कारावास किया गया ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियोजन का पक्षकथन संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि अभियुक्त हेमंत टांटी ने तारीख 18 सितम्बर, 2016 को सायंकाल लगभग 7.30 बजे उनके एक सहग्राम निवासी गोकुल टांटी के घर के सामने मृतक गणेश कुमार के पेट में छुरा भोंककर उसे घोर उपहति कारित की । उसके पश्चात् आहत व्यक्ति, अर्थात् गणेश कुमार की, उसे हुई क्षतियों के कारण अस्पताल ले जाते समय मार्ग में मृत्यु हो गई । श्री सुखलाल कुमार द्वारा दर्ज की गई इजाहर की प्राप्ति पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन चारीदुआर पुलिस थाने का मामला स. 147/2016 को रजिस्टर किया गया । तदुपंरात, पुलिस ने इस मामले का अन्वेषण आरंभ किया । अन्वेषण पूरा हो जाने पर, अन्वेषण अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए । अपीलार्थी ने उपर्युक्त आरोपों के संबंध में दोषी न होने का अभिवाक् किया । तदुनुसार, मामले को विचारण हेतु भेजा गया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त हेमंत टांटी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध करने हेतु सिद्धदोष ठहराया और उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील फाइल की है । उच्च न्यायालय ने अपील को भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – शव-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित क्षतियों के वर्णन से इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि मृतक गणेश कुमार की हत्या हुई है जो मानववध प्रकृति की है और उसकी मृत्यु किसी धारदार हथियार द्वारा उसके शरीर पर कारित की गई क्षतियों के कारण हुई है । दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 7 ने यह कथन किया है कि घटना के दिन अभियुक्त हेमंत और मृतक

गणेश कुमार के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था और उसी प्रक्रम पर अपीलार्थी ने किसी प्रकार के हथियार या वस्तु का प्रयोग करते हुए धक्का देकर पीड़ित को भूमि पर गिरा दिया और इसके कारण पीड़ित के शरीर से रक्तस्राव होने लगा । इसके तुरंत पश्चात् अपीलार्थी घटनास्थल से फरार हो गया । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य संगत प्रतीत होता है और वह किसी भी प्रकार की विसंगतियों से मुक्त है । यद्यपि, अभि. सा. 8 को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया किन्तु फिर भी उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त साक्षी ने मोटे तौर पर अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है । अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य में कोई विरोधाभास विद्यमान नहीं है । इसके बजाय, अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य की अभि. सा. 2 और अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से सम्यक् रूप से पुष्टि होती है, जो अन्य दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । अतः, अभि. सा; 2, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य सभी संदेहो से परे यह साबित करता है कि अपीलार्थी ने ही पीड़ित को घोर उपहति कारित की जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई जो मानववध प्रकृति की है । अभि. सा. 4, अर्थात् मृतक की पत्नी के परिसाक्ष्य से यह तथ्य सामने आता है कि अभियुक्त और मृतक अच्छे मित्र थे और वे कभी-कभार एक साथ बैठकर मदिरापान भी करते थे । अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य से यह तथ्य भी सामने आया है कि घटना के दिन अभियुक्त हेमंत सायं लगभग 4.00 बजे उनके घर आया था, जब उसका पति घर पर अकेला था । उस समय अभियुक्त और मृतक के बीच किसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई थी, जिसका समाधान हो गया था । उसके पश्चात्, सायं लगभग 7.00 बजे मृतक अपने घर से बाहर गया था और उसके पश्चात् वह कभी-भी घर वापस नहीं आया । अभि. सा. 2, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शित करता है कि वर्तमान घटना अभियुक्त के घर के ठीक सामने सड़क पर घटित हुई थी और अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य से यह तथ्य भी सामने आया है कि उस समय मृतक अभियुक्त के घर के सामने उससे डांट-डपट कर रहा था । यद्यपि, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने हेतु पर्याप्त नहीं है कि क्या घटना के समय मृतक और

अभियुक्त मदिरा के नशे में थे अथवा नहीं फिर भी इस बात की संभावना से पूर्णतया इनकार नहीं किया जा सकता कि घटना के समय अभियुक्त और मृतक मदिरा के नशे में थे । अभि. सा. 2, अभि. सा. 4, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने के उपरांत उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रारंभ में सायं 4.00 बजे के लगभग अपीलार्थी और मृतक के बीच मृतक के घर पर किसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई थी, किन्तु उसका समाधान हो गया था । तथापि, उसके पश्चात् सायं लगभग 7.00 बजे मृतक पुन:, अपीलार्थी के घर गया और उसने अपीलार्थी से गाली गलौज करना आरंभ कर दिया । मृतक के इस प्रकार के आचार, जो कि अपीलार्थी के घर के सामने ही हो रहा था, से अवश्य ही अपीलार्थी पर्याप्त रूप से प्रकोपित हुआ होगा । इस प्रकार के प्रकोपन के अधीन अपीलार्थी ने अपना आपा खो दिया और क्षणिक आवेश में कार्य करते हुए उसने मृतक पर एक धारदार हथियार से हमला किया । यद्यपि, मृतक के पास कोई हथियार मौजूद नहीं था किन्तु यह घटना अपीलार्थी के घर के सामने घटित हुई, जहां मृतक स्वयं स्वैच्छिक रूप से गया था और वहां जाकर उसने अपीलार्थी से गाली गलौज किया था । अत:, उच्च न्यायालय का मत यह है कि अपीलार्थी का मृतक की मृत्यु कारित करने, जो मानववध प्रकृति की है, का कोई पूर्वतन इरादा नहीं था । इसके बजाय, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और मृतक के बीच हुए अकस्मात् झगड़े के कारण अपीलार्थी ने क्षणिक आवेश में मृतक पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त और पीड़ित के बीच किसी प्रकार की कोई पूर्वतन शत्रुता विद्यमान नहीं थी और न ही अभिलेख पर रखी सामग्री से इस बात का कोई संकेत प्राप्त होता है कि अभियुक्त ने भली-भांति सोच-विचार कर पूर्वतन इरादे से मृतक की हत्या की है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतक और अपीलार्थी मित्र थे और वे प्राय: एक साथ मदिरापान करते थे । इसके अतिरिक्त, घटना के समय अर्थात् सायंकाल में मृतक अपीलार्थी के घर गया था और उसने उसके साथ गाली गलौज किया था । इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान मामले में किसी प्रकार की कोई

पूर्वतन शत्रुता, कोई पूर्व सोच-विचार या योजना या कोई पूर्वतर हत्या का इरादा विद्यमान नहीं है । इसके बजाय, अपीलार्थी ने गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण क्षणिक आवेश में यह अपराध किया है । अतः, उच्च न्यायालय की राय में, वर्तमान मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद सं. 4 के अंतर्गत आता है और इसके लिए अपीलार्थी के लिए निम्नतर दंड अपेक्षित है । यहां ऊपर कथित कारणों से उच्च न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त किया है और इसके बजाय उच्च न्यायालय उसे दंड संहिता की धारा 304 के भाग 1 के अधीन सिद्धदोष ठहराया । परिणामतः, अपीलार्थी के दंडादेश को 7 (सात) वर्ष की अवधि के कठोर कारावास के रूप में उपांतरित करते हुए कम किया जाता है । तथापि, विद्वान् सेशन न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की रकम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है । (पैरा 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 और 31)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2012] (2012) 13 एस. सी. सी. 663 =
2013 क्रिमिनल ला जर्नल 1962 (एस. सी.) :

बुद्धि सिंह बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** । 29

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील (जे.) सं. 100.

वर्तमान अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, सोनीपुर, तेजपुर द्वारा सेशन मामला सं. 311/2016 में तारीख 26 जुलाई, 2018 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री बी. प्रसाद, न्यायमित्र

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एम. फुकन, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुमन श्याम ने दिया ।

न्या. श्याम – अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् न्यायमित्र श्री बी. प्रसाद को सुना । राज्य की ओर से उपस्थित होने

वाले श्री एम. फुकन, विद्वान् अपर लोक अभियोजक, असम को भी सुना । इत्तिलाकर्ता/प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है ।

2. कारागार से फाइल की गई वर्तमान अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, सोनीपुर, तेजपुर द्वारा सेशन मामला सं. 311/2016 में तारीख 26 जुलाई, 2018 को पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने मृतक गणेश कुमार की हत्या करने के लिए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 302 के अधीन सिद्धदोष ठहराया और उसे आजीवन कठोर कारावास भोगने हेतु दंडादिष्ट किया और साथ ही उस पर 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर उसे 2 (दो) मास का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा ।

3. अभियोजन का पक्षकथन संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि अभियुक्त हेमंत टांटी ने तारीख 18 सितम्बर, 2016 को सायंकाल लगभग 7.30 बजे उनके एक सहग्राम निवासी गोकुल टांटी के घर के सामने मृतक गणेश कुमार के पेट में छुरा भोंककर उसे घोर उपहति कारित की । उसके पश्चात् आहत व्यक्ति, अर्थात् गणेश कुमार की, उसे हुई क्षतियों के कारण अस्पताल ले जाते समय मार्ग में मृत्यु हो गई ।

4. श्री सुखलाल कुमार (अभि. सा. 3) द्वारा दर्ज की गई इजाहर की प्राप्ति पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन चारीदुआर पुलिस थाने का मामला स. 147/2016 को रजिस्टर किया गया । तदुपंरात, पुलिस ने इस मामले का अन्वेषण आरंभ किया । अन्वेषण पूरा हो जाने पर, अन्वेषण अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए । अपीलार्थी ने उपर्युक्त आरोपों के संबंध में दोषी न होने का अभिवाक् किया । तद्नुसार, मामले को विचारण हेतु भेजा गया ।

5. अभियोजन का पक्षकथन तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत

किए गए परिसाक्ष्य पर आधारित है, यद्यपि, उनमें से एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पक्षद्रोही साक्षी हो गया था । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोपों को स्थापित करने के लिए 9 साक्षियों की परीक्षा की जबकि प्रतिरक्षा पक्ष ने अपनी प्रतिरक्षा में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ।

6. डा. मृदु रूपम गोगोई (अभि. सा. 1) ने मृतक के शव की शव-परीक्षा की थी । शव-परीक्षा रिपोर्ट में दो काटे जाने संबंधी क्षतियों के विद्यमान होने का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :–

> "अधिजठरीय क्षेत्र में (2x3x6) सें. मी. की एक काटे जाने संबंधी क्षति विद्यमान है । सी बड़ी आंत शरीर से बाहर है । रक्त (अपठनीय) उदरीय गुहिका । एक अन्य काटे जाने संबंधी क्षति दाईं ओर अग्रवर्ती छाती के उपरी भाग पर विद्यमान है जो 6 इंच की है । यकृत के दाईं ओर (अपठनीय) पर (3x1x6) सें. मी. की काटे जाने संबंधी क्षति विद्यमान है ।"

डाक्टर ने शव-परीक्षा रिपोर्ट में यह राय व्यक्त की है कि मृतक की मृत्यु उस गहन क्षति के कारण हुई है जो किसी धारदार हथियार द्वारा कारित की गई और जिसके कारण हिमोपाविटुअर्स और यकृत में क्षति कारित हुई जिसके परिणामस्वरूप यकृतीय आघात हुआ ।

7. सुनील साहनी (अभि. सा. 2), वर्तमान मामले के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से एक है और उसने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि तारीख 18 सितम्बर, 2016 को सायं लगभग 7.30 बजे अभियुक्त हेमंत टांटी ने गणेश कुमार के शरीर पर छुरे से दो क्षतियां, अर्थात् एक छाती पर तथा दूसरी यकृत के पास, कारित करके उसकी हत्या की । इस घटना को देखने के पश्चात् तुरंत 108 नम्बर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया गया और आहत गणेश कुमार को कनकलता सिविल अस्पताल ले जाया गया । तथापि, अस्पताल ले जाते हुए मार्ग में ही आहत गणेश कुमार की मृत्यु हो गई । उसके पश्चात् पुलिस ने उसकी उपस्थिति में मृतक के शव की मृत्युसमीक्षा की और उसने प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर अंकित किए । उसके हस्ताक्षर प्रदर्श-2(1) के रूप में चिह्नित हैं ।

8. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने यह कथन किया कि घटना के दिन सायं लगभग 7.30 बजे अंधेरा हो गया था और उसने इस घटना को 10 फुट की दूरी के भीतर से देखा था । अभि. सा. 2 ने यह भी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घटना के समय वह अपने होटल से अपने घर वापस जा रहा था और उसी समय उसने मृतक गणेश को देखा जो उस समय अकेला था । जब वह घटनास्थल के समीप पहुंचा तो उसने यह पाया कि गणेश और अभियुक्त हेमंत सड़क पर उपताप (उत्पात) कर रहे थे । उसने उन दोनों को उपताप करने से रोका । उस समय बिरेन तुरी (अभि. सा. 7) भी वहां उसके साथ उपस्थित था । हेमंत (अभियुक्त) के साथ दो अन्य व्यक्ति भी घटनास्थल पर उपस्थित थे, जिनसे वह परिचित नहीं है । जब उसने मृतक गणेश और अभियुक्त हेमंत को उपताप करने से रोका तो उसी समय हेमंत ने गणेश के शरीर पर छुरे से वार किया जिसके परिणामस्वरूप मृतक के शरीर से रक्तस्राव होने लगा । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी उल्लेख किया कि उसने स्पष्ट रूप से हथियार को नहीं देखा था किन्तु उसे यह संदेह था कि उक्त हथियार या तो कोई 'छुरा' था अथवा एक 'दाव' था और मृतक की छाती पर जिस हथियार से क्षति कारित की गई थी वह एक छुरा था ।

9. सुखलाल कुमार (अभि. सा. 3) वर्तमान मामले का इत्तिलाकर्ता है । अभि. सा. 3 ने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वह अभियुक्त हेमंत और मृतक गणेश दोनों से परिचित था और घटना के दिन अभियुक्त हेमंत ने एक चाकू से गणेश कुमार की हत्या की थी, जिसके पश्चात् वह फरार हो गया था । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया है कि उसने इजाहर (प्रदर्श-3) को दर्ज कराया था और उक्त इजाहर पर उसके हस्ताक्षर प्रदर्श-3(1) के रूप में चिह्नित हैं ।

10. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 3 ने यह कथन किया कि इजाहर को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखबद्ध किया गया था और उसे इजाहर लिखने वाले व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं था । अभि. सा. 3 ने यह भी उल्लेख किया है कि इजाहर को पुलिस की उपस्थिति में ग्राम की जनता के निदेशानुसार लेखबद्ध किया गया था । अभि. सा. 3 द्वारा

यह भी कथन किया गया है कि गोकुल अभियुक्त का पिता है और यह पूरी घटना गोकुल के घर के सामने घटित हुई थी ।

11. मृतक की पत्नी श्रीमती बसंती कुमार की अभि. सा. 4 के रूप में परीक्षा की गई और उसने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसका पति गांवबुराह था । अभियुक्त हेमंत ने उसके पति की हत्या की है । अभि. सा. 4 ने यह भी कथन किया है कि उसके पति और अभियुक्त के बीच एक झगड़ा हुआ था, जिसके पश्चात् उसका पति घर वापस आ गया था और फिर अभियुक्त उसके घर गया । उसके पश्चात् उसका पति पुन: अपने घर से बाहर आया और उस समय अभियुक्त ने, अभियुक्त के घर के सामने उसके पति पर छुरे से वार किया । चीख-पुकार की आवाजें सुनकर वह घटनास्थल पर पहुंची और वहां उसने यह देखा कि उसका पति सड़क पर रक्त से लथपथ पड़ा था ।

12. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त और उसका पति अच्छे मित्र थे और वे कभी-कभार एक साथ मदिरापान भी करते थे । घटना के दिन अभियुक्त हेमंत सायं लगभग 4.00 बजे उनके घर आया था और उस समय उसके पति और अभियुक्त के बीच झगड़ा हुआ था, तथापि, उक्त झगड़े का समाधान हो गया था । उसके पश्चात् सायं लगभग 7.00 बजे उसका पति पुन: घर से बाहर चला गया था ।

13. श्री सुकुमार दास (अभि. सा. 5) वीडीपी सचिव था और वह स्थानीय खेलमति अदाबारी बाजार में एक दुकान का भी स्वामी है । अपने परिसाक्ष्य में अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि घटना के दिन बिरेन तुरी (अभि. सा. 7) और सुनील साहनी (अभि. सा. 2) उसकी दुकान पर आए थे और उन्होंने उसे यह सूचना दी थी कि अभियुक्त हेमंत ने गांवबुराह पर एक चाकू से हमला किया और उसके पश्चात् वह घटनास्थल से फरार हो गया । यह सूचना प्राप्त होने के तुरंत पश्चात् अभि. सा. 5 ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी तथा एम्बुलेंस को बुलाया । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 5 ने यह कथन किया कि उसने इस घटना को नहीं देखा था ।

14. लिंबु लाल माला (अभि. सा. 6) भी एक स्थानीय निवासी है, जो घटना के दिन 'हाट बाजार' में उपस्थित था । उसने चीख-पुकार की आवाज सुनी और उसके पश्चात् उसे यह सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त ने गांवबुराह गणेश कुमार पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी । यह सूचना प्राप्त होने पर वह 'खेलमति बाजार' आया और वहां उसने यह देखा कि गांवबुराह को अस्पताल ले जाया जा रहा था । अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 6 ने इस तथ्य से इनकार किया कि उसने पुलिस के समक्ष ऐसा कोई बयान प्रस्तुत किया था कि तारीख 18 सितम्बर, 2016 को अभियुक्त हेमंत ने गांवबुराह गणेश कुमार पर दाव से हमला किया था और उसकी हत्या की थी ।

15. बिरेन तुरी (अभि. सा. 7) इस घटना का एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और साथ ही वह वर्तमान मामले का एक महत्वपूर्ण साक्षी भी है । अभि. सा. 7 ने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वह हेमंत टांटी से भली-भांति परिचित था और घटना के दिन सायं लगभग 6.00 बजे वह अपने मित्र सुनील के निवास-स्थान गया था जिसका घर अभियुक्त हेमंत के घर के बिल्कुल सामने है और वहां उसने यह देखा कि अभियुक्त हेमंत और मृतक गांवबुराह किसी मामले को लेकर परस्पर झगड़ा कर रहे थे । उस समय सुनील (अभि. सा. 2), अतुल (अभि. सा. 8) और स्वयं उसने दोनों को एक-दूसरे से अलग किया तथा उन दोनों को शांत करने का प्रयास किया, जिसके पश्चात् वे दोनों अपने-अपने रास्ते चले गए । जब वह वापस आ रहा था तो उसने देखा कि मृतक गांवबुराह अभियुक्त के घर के सामने अभियुक्त हेमंत को किसी बात पर डांट लगा रहा था । उस समय हेमंत ने गांवबुराह गणेश को धक्का मारा और इसके परिणामस्वरूप वह भूमि पर गिर गया । तथापि, अभि. सा. 7 ने यह कथन किया है कि उसे यह ज्ञात नहीं था कि हेमंत ने गांवबुराह गणेश पर किस चीज से वार किया है किन्तु उसने यह कथन किया है कि मृतक पर वार करने के पश्चात् अभियुक्त हेमंत घटनास्थल से फरार हो गया था । अभि. सा. 7 ने यह भी कथन किया है कि घटना को देखकर उसने सुनील (अभि. सा. 2) से

यह अनुरोध किया था कि चूंकि गणेश के घाव से काफी अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा था इसलिए वह गांवबुराह के घाव को 'गमोसा' (पारंपरिक तौलिया) से बांध दे । अभि. सा. 7 ने वीडीपी सचिव सुकुमार दास (अभि. सा. 5) से भी यह अनुरोध किया था कि वह 108 नम्बर पर कॉल करके एम्बुलेंस और साथ ही पुलिस को भी घटनास्थल पर बुलाए । उसके कुछ समय पश्चात् घटनास्थल पर अनेक व्यक्ति एकत्रित हो गए और फिर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और वे गणेश को एक यान में बैठाकर वहां से ले गए । अभि. सा. 7 ने यह भी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त हेमंत ने गांवबुराह गणेश पर चाकू जैसे किसी हथियार से वार किया था और उस समय वह हेमंत के घर के समीप मार्ग पर मौजूद था । अभि. सा. 7 ने यह भी कथन किया है कि हेमंत ने उसे भी धक्का दिया था जिसके परिणामस्वरूप उसके दाहिने हाथ की बीच वाली अंगूली पर क्षति आई थी । उसकी जेब में एक टॉर्च मौजूद थी और जैसे ही अभियुक्त ने गणेश पर वार किया उसने तुरंत उस टॉर्च को रोशन किया और उसकी रोशनी में उसने यह देखा कि गणेश के शरीर से रक्तस्राव हो रहा था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 7 ने यह कथन किया कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि मृतक ने उस समय मदिरापान किया हुआ था जब उसका अभियुक्त से झगड़ा हो रहा था और उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि उसके हाथ में क्षति हुई है ।

16. अतुल टांटी (अभि. सा. 8) इस घटना का एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसे बाद में पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया । अपने परिसाक्ष्य में अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि घटना के समय वह अपने मित्र के साथ अभियुक्त हेमंत के घर के सामने निवास करने वाले किसी व्यक्ति के घर गया था क्योंकि उसे दुपहिया साइकिल की आवश्यकता थी । उस समय उसने देखा कि गणेश और अभियुक्त हेमंत के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था । उसने यह भी देखा कि हेमंत ने किसी वस्तु से गणेश के पेट पर वार किया और उसके पश्चात् उसे धक्का दिया । तत्पश्चात्, हेमंत ने किसी वस्तु से गणेश को धक्का दिया और फिर भी वह घटनास्थल से फरार हो गया । उसके

पश्चात् उसने वीडीपी सचिव और पुलिस को बुलाया । उसने यह देखा कि गणेश के उदर से रक्तस्राव हो रहा था । तत्पश्चात् गांवबुराह गणेश को सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी, उसे कारित क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 8 ने यह कथन किया कि उसने पुलिस के समक्ष यह बात नहीं बताई थी कि अभियुक्त हेमंत ने गांवबुराह पर एक छुरे से हमला करके उसकी हत्या की है ।

17. मुहम्मद अब्दुल कादिर (अभि. सा. 9) वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी है और उसने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि पुलिस मामला रजिस्टर किए जाने के पश्चात् घटना के अन्वेषण संबंधी कार्य को उसे सौंपा गया था । तद्नुसार, वह घटनास्थल पर गया तथा वहां उसने साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया । उसने अभियुक्त को हाहसोड़ा बगान (चाय के बगान) से गिरफ्तार किया । अभि. सा. 9 ने यह भी कथन किया है कि उसने तेजपुर सिविल अस्पताल के शवगृह में मृतक के शव को देखा था और तारीख 19 सितम्बर, 2016 को साक्षियों की उपस्थिति में उसके द्वारा मृत्युसमीक्षा की गई जिसके पश्चात् मृतक के शव को शव-परीक्षा हेतु भेजा गया । अभि. सा. 9 ने यह भी कथन किया है कि उसने अभियुक्त हेमंत टांटी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया था ।

18. अभिलेख पर लाए गए सभी साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को अभियोजन पक्ष द्वारा सभी सुसंगत संदेहों से परे स्थापित किया गया है और तद्नुसार उन्होंने अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराते हुए अन्य बातों के साथ, उसे आजीवन कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया ।

19. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को निर्दिष्ट करते हुए श्री प्रसाद, विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील प्रस्तुत की है कि किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार को नहीं देखा और न ही पुलिस द्वारा ऐसे किसी हथियार का अभिग्रहण किया गया है । ऐसी

परिस्थितियों के अधीन यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त ने किसी धारदार हथियार से मृतक के शरीर पर घोर उपहतियां कारित की हैं । वैकल्पिक रूप से श्री प्रसाद ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त और मृतक के बीच न केवल घटना के दिन पूर्व में झगड़ा हुआ था किन्तु घटना के तुरंत पूर्व भी उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था । श्री प्रसाद ने यह दलील प्रस्तुत की है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अपीलार्थी ने गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन कार्य करते हुए अपना आपा और स्व-नियंत्रण खो दिया और इसलिए वर्तमान मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद सं. 4 के परिधि क्षेत्र के अंतर्गत आता है ।

20. दूसरी ओर, श्री एम. फुकन विद्वान् अपर लोक अभियोजक, असम ने यह दलील प्रस्तुत की है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य और साथ ही शव-परीक्षा रिपोर्ट भी है, को ध्यान में रखते हुए यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि केवल अभियुक्त ने ही पीड़ित को घोर उपहति कारित की थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । तथापि, विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने निष्पक्ष रूप से यह दलील भी प्रस्तुत की है कि संभवत: अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतक द्वारा उकसाए जाने पर अपना आपा खोकर क्षणिक आवेश में उक्त कार्य किया हो ।

21. हमने, पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को विचार में लिया है और हमने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है ।

22. शव-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित क्षतियों के वर्णन से इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि मृतक गणेश कुमार की हत्या हुई है जो मानववध प्रकृति की है और उसकी मृत्यु किसी धारदार हथियार द्वारा उसके शरीर पर कारित की गई क्षतियों के कारण हुई है ।

23. दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 7 ने यह कथन किया है कि घटना के दिन अभियुक्त हेमंत और मृतक गणेश कुमार के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था और उसी प्रक्रम पर अपीलार्थी ने किसी प्रकार के हथियार या वस्तु का प्रयोग करते हुए धक्का देकर पीड़ित को भूमि पर गिरा दिया और इसके कारण पीड़ित के शरीर से रक्तस्राव होने लगा । इसके तुरंत पश्चात् अपीलार्थी घटनास्थल से फरार हो गया । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य संगत प्रतीत होता है और वह किसी भी प्रकार की विसंगतियों से मुक्त है ।

24. यद्यपि, अभि. सा. 8 को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया किन्तु फिर भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उक्त साक्षी ने मोटे तौर पर अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है । अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य में कोई विरोधाभास विद्यमान नहीं है । इसके बजाय, अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य की अभि. सा. 2 और अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से सम्यक् रूप से पुष्टि होती है, जो अन्य दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । अतः, अभि. सा; 2, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य सभी संदेहो से परे यह साबित करता है कि अपीलार्थी ने ही पीड़ित को घोर उपहति कारित की जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई जो मानववध प्रकृति की है ।

25. उपरोक्तानुसार, अभिनिर्धारित करने के पश्चात् अब हम विद्वान् न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत किए गए इस तर्क की समीक्षा करेंगे कि अपीलार्थी ने गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन कार्य किया था ।

26. अभि. सा. 4, अर्थात् मृतक की पत्नी के परिसाक्ष्य से यह तथ्य सामने आता है कि अभियुक्त और मृतक अच्छे मित्र थे और वे कभी-कभार एक साथ बैठकर मदिरापान भी करते थे । अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य से यह तथ्य भी सामने आया है कि घटना के दिन अभियुक्त हेमंत सायं लगभग 4.00 बजे उनके घर आया था, जब उसका पति घर पर अकेला था । उस समय अभियुक्त और मृतक के बीच किसी बात को

लेकर कहा-सुनी हुई थी, जिसका समाधान हो गया था । उसके पश्चात्, सायं लगभग 7.00 बजे मृतक अपने घर से बाहर गया था और उसके पश्चात् वह कभी-भी घर वापस नहीं आया ।

27. अभि. सा. 2, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शित करता है कि वर्तमान घटना अभियुक्त के घर के ठीक सामने सड़क पर घटित हुई थी और अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य से यह तथ्य भी सामने आया है कि उस समय मृतक अभियुक्त के घर के सामने उससे डांट-डपट कर रहा था । यद्यपि, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने हेतु पर्याप्त नहीं है कि क्या घटना के समय मृतक और अभियुक्त मदिरा के नशे में थे अथवा नहीं फिर भी इस बात की संभावना से पूर्णतया इनकार नहीं किया जा सकता कि घटना के समय अभियुक्त और मृतक मदिरा के नशे में थे ।

28. अभि. सा. 2, अभि. सा. 4, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रारंभ में सायं 4.00 बजे के लगभग अपीलार्थी और मृतक के बीच मृतक के घर पर किसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई थी, किन्तु उसका समाधान हो गया था । तथापि, उसके पश्चात् सायं लगभग 7.00 बजे मृतक पुनः, अपीलार्थी के घर गया और उसने अपीलार्थी से गाली गलौज करना आरंभ कर दिया । मृतक के इस प्रकार के आचार, जो कि अपीलार्थी के घर के सामने ही हो रहा था, से अवश्य ही अपीलार्थी पर्याप्त रूप से प्रकोपित हुआ होगा । इस प्रकार के प्रकोपन के अधीन अपीलार्थी ने अपना आपा खो दिया और क्षणिक आवेश में कार्य करते हुए उसने मृतक पर एक धारदार हथियार से हमला किया । यद्यपि, मृतक के पास कोई हथियार मौजूद नहीं था किन्तु यह घटना अपीलार्थी के घर के सामने घटित हुई, जहां मृतक स्वयं स्वैच्छिक रूप से गया था और वहां जाकर उसने अपीलार्थी से गाली गलौज किया था । अतः, हमारा मत यह है कि अपीलार्थी का मृतक की मृत्यु कारित करने, जो मानववध प्रकृति की है, का कोई पूर्वतन इरादा नहीं था ।

इसके बजाय, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और मृतक के बीच हुए अकस्मात् झगड़े के कारण अपीलार्थी ने क्षणिक आवेश में मृतक पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई ।

29. **बुद्धि सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से लागू करने के लिए कोई सिद्धांत अधिकथित करके उसके संबंध में कोई अनमनीय संरचना तैयार नहीं की जा सकती । यह सदैव प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होगा । गंभीर और अचानक प्रकोपन के सिद्धांत को लागू करते समय न्यायालय का प्राथमिक दायित्व यह है कि वह युक्तियुक्त विवेक वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण की समीक्षा करे और यदि इस प्रकार का गंभीर और अचानक प्रकोपन विद्यमान हो जिससे युक्तियुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हो कि क्या कारित किया गया अपराध हत्या की कोटि में आने वाला माननवध है अथवा नहीं । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह संप्रेक्षण भी किया गया है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणामस्वरूप किए गए अपराध से सामान्यत: यह अभिप्रेत होगा कि मामले की परिस्थितियों में फंसकर कोई व्यक्ति अपना आपा खो सकता है किन्तु ऐसा अस्थायी रूप से होना चाहिए और वह भी प्रकोपन के समय के आस-पास ही होना चाहिए ।

30. पूर्वोक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में लागू करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त और पीड़ित के बीच किसी प्रकार की कोई पूर्वतन शत्रुता विद्यमान नहीं थी और न ही अभिलेख पर रखी सामग्री से इस बात का कोई संकेत प्राप्त होता है कि अभियुक्त ने भली-भांति सोच-विचार कर पूर्वतन इरादे से मृतक की हत्या की है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतक और अपीलार्थी मित्र

---

[1] (2012) 13 एस. सी. सी. 663 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 1962 (एस. सी.).

थे और वे प्राय: एक साथ मदिरापान करते थे । इसके अतिरिक्त, घटना के समय अर्थात् सायंकाल में मृतक अपीलार्थी के घर गया था और उसने उसके साथ गाली गलौज किया था । इस तथ्य से हम यह स्पष्ट मत बना सकते हैं कि वर्तमान मामले में किसी प्रकार की कोई पूर्वतन शत्रुता, कोई पूर्व सोच-विचार या योजना या कोई पूर्वतर हत्या का इरादा विद्यमान नहीं है । इसके बजाय, अपीलार्थी ने गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण क्षणिक आवेश में यह अपराध किया है । अत:, हमारी राय में, वर्तमान मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद सं. 4 के अंतर्गत आता है और इसके लिए अपीलार्थी के लिए निम्नतर दंड अपेक्षित है ।

31. यहां ऊपर कथित कारणों से हम दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं और इसके बजाय हम उसे दंड संहिता की धारा 304 के भाग 1 के अधीन सिद्धदोष ठहराते हैं । परिणामत:, अपीलार्थी के दंडादेश को 7 (सात) वर्ष की अवधि के कठोर कारावास के रूप में उपांतरित करते हुए कम किया जाता है । तथापि, विद्वान् सेशन न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की रकम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है ।

अभिलेखों को वापस भेजने से पूर्व हम श्री बी. प्रसाद, विद्वान् न्यायमित्र द्वारा प्रदान की सेवाओं के लिए अभिलेख पर उनकी अनुशंसा करते हैं और यह कथन करते हैं कि उन्होंने अपील का निपटारा करने के लिए इस न्यायालय को मूल्यवान सहायता प्रदान की है और साथ ही हम रजिस्टरी को यह निदेश देते हैं कि वह उन्हें अधिसूचित दर के साथ उचित पारिश्रमिक का संदाय करें ।

तद्नुसार, अपील का निपटारा किया जाता है ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

पु.

जम्मू-कश्मीर राज्य

बनाम

रोमेश कुमार

(2011 की दांडिक अपील सं. 45)

तारीख 10 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति ताशी राबस्टेन और न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 8 और धारा 20 – अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि अभियुक्त की जांच और तलाशी के दौरान अभिकथित रूप से ज्वार के पत्तों में लपेटकर रखी गई लगभग 3.5 किलोग्राम वजन की चरस की बरामदगी और अभिग्रहण किया गया – अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों में सारवान् विसंगतियों का विद्यमान होना – अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियुक्त को पकड़े जाने के स्थल और उससे विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के स्थल के संबंध में विरोधाभासी कथन किया जाना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा एनडीपीएस अधिनियम में अंतर्विष्ट तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया के सारवान् नियमों का उल्लंघन किया जाना – सड़क पर भारी मात्रा में यातायात की मौजूदगी और आस-पास अनेक दुकानों के अवस्थित होने के बावजूद अन्वेषण अधिकारी द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को अन्वेषण में सहबद्ध किए जाने का प्रयास न किया जाना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा रासायनिक विश्लेषण हेतु तैयार किए गए नमूने और रासायनिक विश्लेषक द्वारा प्राप्त किए गए नमूने के वर्णन से यह संदेह उत्पन्न होना कि दोनों नमूने एक समान नहीं थे – मामले के इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय उचित प्रतीत होता है और उसमें किसी भी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 21 मार्च, 2008 को दोपहर लगभग 12.30 बजे उधमपुर

पुलिस थाने का थाना प्रभारी अपने कुछ कांस्टेबलों के साथ औद्योगिक संपदा धर रोड, उधमपुर के समीप स्थित मियां बाग में पैट्रोल ड्यूटी के लिए मौजूद था और उस समय अपनी जांच और जमा तलाशी के दोरान उसने यह देखा कि एक व्यक्ति मियां बाग की ओर से हाथ में प्लास्टिक का एक थैला लिए हुए आ रहा था और उस समय वह उधमपुर की ओर जा रहा था तथा पुलिस दल को देखकर उसने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया । पुलिस दल ने उसे दबोच लिया और उसके पश्चात् उसने अपना नाम रोमेश कुमार पुत्र श्री तितरू बताया । तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से चरस के 51 नग बरामद हुए जो ज्वार के पत्तों में लिपटे हुए थे तथा जिनका वजन लगभग 3.5 किलोग्राम था । थाना प्रभारी द्वारा मामला दर्ज किए जाने के लिए पुलिस थाना उधमपुर को एक डाकेट अग्रेषित किया गया और तद्नुसार प्रत्यर्थी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 53/2008 दर्ज की गई । मामले का अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक, पदम देव सिंह घटनास्थल पर पहुंचा तथा उसने बरामदगी के स्थान का स्थलनक्शा तैयार किया । उसने अभिगृहीत चरस का वजन कराया, जो 4 किलोग्राम पाया गया और उसके पश्चात् उसने चरस को सीलबंद कर दिया । उसने 80 ग्राम वजन के चरस के नमूने तैयार किए और नमूने को सीलबंद करने के पश्चात् उसने उसे 'ए' के रूप में चिह्नित किया । उसने 3.920 किलोग्राम वजन वाली चरस के मुख्य प्रपुंज को पृथक् रूप से सीलबंद किया तथा उसे 'ए-1' के रूप में चिह्नित किया । उसने कार्यपालक मजिस्ट्रेट के माध्यम से नमूने को पुन: सीलबंद किया तथा रासायनिक विश्लेषण के लिए उसे न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जम्मू को अग्रेषित किया । उसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया । अन्वेषण की अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोपों को विरचित किया गया । अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण के विकल्प को चुना । विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष

निकाला कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को साबित नहीं किया गया है और इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया तथा उसके विरुद्ध चालान को खारिज कर दिया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी राज्य ने उसे उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल करके चुनौती दी । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान अपील में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह बात सुस्पष्ट और साफ हो जाती है कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय यहां ऊपर कथित अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्य को विचार में लिया है । अभि. सा. युद्धवीर सिंह के कथन के अनुसार अभियुक्त/प्रत्यर्थी को पुलिस द्वारा धर रोड पर पेट्रोल पंप के समीप पकड़ा गया था और उससे विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी हुई थी, तथापि, अभि. सा. परषोत्तम कुमार के कथनानुसार पुलिस ने अभियुक्त का पीछा किया और इस प्रकार पीछा किए जाने के दौरान अभियुक्त ने थैले को सड़क के किनारे फेंक दिया और उसने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया किन्तु पुलिस द्वारा लगभग आधे किलोमीटर की दूरी तक उसका पीछा करने के पश्चात् उसे पकड़ लिया गया और उसके पश्चात् उसे पेट्रोल पंप के समीप लाया गया । अभि. सा. नीलम कुमार सड़क के किनारे इस प्रकार अभियुक्त द्वारा फेंके गए थैले, जिसमें विनिषिद्ध पदार्थ अंतर्विष्ट था, को घटनास्थल पर लाया । पुन: प्रेम चंद ने बरामदगी के स्थल के संबंध में विवादित कथन किया है और उसने यह कहा कि है कि अभियुक्त को पुलिस नाका लाया गया था जहां उसकी तलाशी ली गई और विनिषिद्ध पदार्थ उसके कब्जे में पाया गया, इस प्रकार सभी तीन साक्षियों ने घटनास्थल और उस स्थल, जहां से विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी की गई थी, के संबंध में भिन्न-भिन्न कहानी प्रस्तुत की है । यदि वे घटनास्थल पर उपस्थित होते और विनिषिद्ध पदार्थ की बरामगदी अभियुक्त के कब्जे से हुई होती तो बरामदगी के स्थल के संबंध में इस प्रकार के विरोधाभासी कथन सामने नहीं आते । अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने यह पाया कि थाना प्रभारी और अभियुक्त पुलिस जांच चौकी के समीप सड़क के

किनारे खड़े थे और विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी और अभिग्रहण केवल पुलिस जांच चौकी के समीप अभियुक्त से किया गया था । जहां तक बरामदगी के स्थल का संबंध है, अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों में सारवान् विसंगतियां विद्यमान हैं । अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से यह तथ्य भी सामने आया है कि घटनास्थल, जहां से बरामदगी की गई थी और अभियुक्त को पकड़ा गया था, के समीप कुछ दुकानें भी अवस्थित हैं, किन्तु अन्वेषण अधिकारी ने उक्त दुकानों के दुकानदारों में से किसी को भी अन्वेषण में सहबद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया । कहीं भी यह कथन नहीं किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने उक्त साक्षियों से संपर्क किया था किन्तु उन्होंने अन्वेषण से सहबद्ध करने से इनकार कर दिया । यह सत्य है कि स्वतंत्र साक्षी सामान्य रूप से अन्वेषण से सहबद्ध होने से कतराते हैं किन्तु अन्वेषण अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह उन्हें अन्वेषण में सहबद्ध करने के लिए प्रयास करे, किन्तु वर्तमान मामले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया । अभियुक्त के कब्जे से विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी और अभियुक्त को पकड़े जाने के स्थल के संबंध में सारवान् विसंगतियां विद्यमान हैं । विभिन्न प्रक्रियों, जैसे कि विनिषिद्ध पदार्थ का अभिग्रहण, उसे सीलबंद किया जाना, उसके नमूने लिया जाना और उक्त पदार्थ को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना आदि का कड़ाई से पालन किया जाना अपेक्षित है । विनिषिद्ध पदार्थ या उसके नमूने से छेड़छाड़ करने की किसी संभावना का विद्यमान होना मामले के लिए घातक हो सकता है और इस प्रकार के अनुमानों को दूर करने के लिए प्रत्येक संभव उपाय किया जाना चाहिए वर्तमान मामले में अन्वेषण अधिकारी ऐसे नियमों का अनुपालन करने में असफल रहा है, जिन्हें एनडीपीएस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी और अभिग्रहण की प्रक्रिया हेतु विरचित किया गया है । वर्तमान मामले में, कांस्टेबल प्रेम चंद अन्वेषण अधिकारी का अधीनस्थ कर्मचारी है । नमूने के संबंध में यह दर्शित किया गया है कि उसे सीलबंद किया गया तथा सीलबंद नमूने को उक्त कांस्टेबल प्रेम चंद के सुपुर्दनामे में रखा गया, जो न केवल अन्वेषण अधिकारी का अधीनस्थ कर्मचारी है अपितु वह उसी पुलिस थाने में उसके अधीन कार्य

कर रहा था, इसलिए जब इस प्रकार सीलबंद किए गए नमूने को किसी ऐसे अधीनस्थ कर्मचारी की अभिरक्षा में रखा जाता है जो अन्वेषण अधिकारी के नियंत्रणाधीन है, वहां ऐसे कांस्टेबल द्वारा मुहर को कब्जे में रखे जाने से यह तात्पर्यित है कि उसे वस्तुत: अन्वेषण अधिकारी के कब्जे में रखा गया, इस प्रकार ऐसे किसी परिस्थिति में जहां मुहर किसी ऐसे अधिकारी के कब्जे में जो अन्वेषण अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहा है, यह नहीं कहा जा सकता कि नमूने या मुहर के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना विद्यमान नहीं है । किन्तु इस प्रकार के मामलों में ऐसी कोई संभावना विद्यमान नहीं होनी चाहिए । अन्वेषण अधिकारी को नमूने को सीलबंद करने के पश्चात् उक्त मुहर को किसी स्वतंत्र व्यक्ति के सुपुर्दनामे के अधीन रखा जाना चाहिए था या उसे ऐसे नमूने को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहिए था जो उसका अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है और जो उक्त पुलिस थाने में तैनात नहीं है या जो सीधे उसके नियंत्रण या आदेश के अधीन कार्य नहीं कर रहा हो । यह तर्क स्वयं में ही प्रतिरक्षा पक्ष हेतु यह उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि नमूने से छेड़छाड़ किए जाने की प्रत्येक संभावना विद्यमान है और इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना सही है । अन्वेषण अधिकारी ने, जैसा कि मामले के अभिलेख और अभि. सा. पवन अबरोल सहित अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों से स्पष्ट है, ऐसे सुरक्षोपायों का उल्लंघन किया है जो अभियुक्त को रासायनिक विश्लेषण हेतु नमूना तैयार किए जाने के संबंध में उपलब्ध थे । अभि. सा. नीलम कुमार और अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि रासायनिक विश्लेषण हेतु नमूने को सीलबंद करने से पूर्व ज्वार के पत्तों को हटा लिया गया था । अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि नमूने को सफेद कपड़े में सीलबंद किए जाने से पूर्व उसे एक समाचार-पत्र के टुकड़े से लपेटा गया था, किन्तु अभि. सा. प्रेम चंद और परषोत्तम कुमार ने यह कथन किया है कि नमूने को ज्वार के पत्तों सहित सीलबंद किया गया था । अभि. सा. पवन अबरोल ने भी यह कथन किया है कि पैकेट से ज्वार के पत्तों में लिपटी हरे-काले रंग की सामग्री का एक मुड़ा-तुड़ा नग पाया गया था, जो अन्वेषण अधिकारी के कथन का विरोधाभासी है और अन्वेषण अधिकारी के द्वारा नमूना तैयार किए जाने से संबंधित

प्रस्तुत किए गए कथन और रासायनिक विश्लेषक द्वारा प्राप्त नमूने से संबंधित कथन के कारण इस संबंध में एक संदेह उत्पन्न हो गया है कि क्या रासायनिक विश्लेषक द्वारा जिस नमूने की परीक्षा की गई क्या वह वही नमूना था जिसे घटनास्थल पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा सीलबंद किया गया था । अत: यहां ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष ने मामले का उचित रूप से अन्वेषण नहीं किया है और मामले का अन्वेषण एनडीपीएस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए तथा इस संबंध में अभियुक्त को उपलब्ध सुरक्षोपायों की अनदेखी करते हुए किया गया है । उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि उच्च न्यायालय संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्विलोकन कर सकता है और वह अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकता है किन्तु वह तब तक विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि साक्ष्य पर आधारित अत्यंत ठोस कारण विद्यमान न हों जो विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को सिरे से नकारते हों और जिनके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति की गई है । यह तथ्य भी सामने उभरकर आता है कि उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों में केवल उस समय हस्तक्षेप करेंगे जहां विचारण न्यायालय ने सारवान् तथ्यों के प्रति गलत उपधारणा बनाई हो या विचारण न्यायालय उचित रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा हो । ऊपर कथित कारणों के आधार पर उच्च न्यायालय को इस अपील में कोई गुण प्रतीत नहीं होता है, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाए और जिसके द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध फाइल किए गए चालान को खारिज किया जाता है और साथ ही वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है । (पैरा 19, 20, 22 और 23)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2008] (2008) 11 एस. सी. सी. 186 =
2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 823 :
संभाजी हिन्दुराव देशमुख बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 21

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 45.

वर्तमान अपील विद्वान् विशेष न्यायाधीश, उधमपुर द्वारा 2008 की उधमपुर पुलिस थाने की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 53 में तारीख 13 अगस्त, 2010 को पारित निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री विशाल भारती, उप महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से कोई नहीं

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने दिया ।

न्या. कौल – वर्तमान अपील विद्वान् विशेष न्यायाधीश, उधमपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'विचारण न्यायालय' कहा गया है) द्वारा 2008 की उधमपुर पुलिस थाने की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 53, जो अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'एनडीपीएस अधिनियम' कहा गया है) की धारा 8/20 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दर्ज की गई थी, में तारीख 13 अगस्त, 2010 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी रोमेश कुमार को पूर्वोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया है ।

2. वर्तमान मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 21 मार्च, 2008 को दोपहर लगभग 12.30 बजे उधमपुर पुलिस थाने का थाना प्रभारी अपने कुछ कांस्टेबलों के साथ औद्योगिक संपदा धर रोड, उधमपुर के समीप स्थित मियां बाग में पैट्रोल ड्यूटी के लिए मौजूद था और उस समय अपनी जांच और जमा तलाशी के दौरान उसने यह देखा कि एक व्यक्ति मियां बाग की ओर से हाथ में प्लास्टिक का एक थैला लिए हुए आ रहा था और उस समय वह उधमपुर की ओर जा रहा था तथा पुलिस दल को देखकर उसने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया । पुलिस दल ने उसे दबोच लिया और उसके पश्चात् उसने अपना नाम रोमेश कुमार पुत्र श्री तितरू बताया । तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से चरस के 51 नग बरामद हुए जो ज्वार के पत्तों में लिपटे हुए थे तथा जिनका वजन लगभग 3.5 किलोग्राम था । थाना प्रभारी द्वारा मामला दर्ज किए जाने के लिए पुलिस थाना उधमपुर को एक डाकेट

अग्रेषित किया गया और तद्नुसार प्रत्यर्थी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 53/2008 दर्ज की गई ।

3. मामले का अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक, पदम देव सिंह घटनास्थल पर पहुंचा तथा उसने बरामदगी के स्थान का स्थलनक्शा तैयार किया । उसने अभिगृहीत चरस का वजन कराया, जो 4 किलोग्राम पाया गया और उसके पश्चात् उसने चरस को सीलबंद कर दिया । उसने 80 ग्राम वजन के चरस के नमूने तैयार किए और नमूने को सीलबंद करने के पश्चात् उसने उसे 'ए' के रूप में चिह्नित किया । उसने 3.920 किलोग्राम वजन वाली चरस के मुख्य प्रपुंज को पृथक् रूप से सीलबंद किया तथा उसे 'ए-1' के रूप में चिह्नित किया । उसने कार्यपालक मजिस्ट्रेट के माध्यम से नमूने को पुन: सीलबंद किया तथा रासायनिक विश्लेषण के लिए उसे न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जम्मू को अग्रेषित किया । उसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया । अन्वेषण की अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोपों को विरचित किया गया । अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण के विकल्प को चुना ।

4. आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने विचारण न्यायालय के समक्ष मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत किया ।

मौखिक साक्ष्य :

अभि. सा. प्रेमचंद

अभि. सा. नीलम कुमार

अभि. सा. परषोत्तम कुमार

अभि. सा. हरनाम सिंह

अभि. सा. स्वामी राज

अभि. सा. युद्धवीर सिंह

अभि. सा. अश्वनी कुमार

अभि. सा. पवन अबरोल

अभि. सा. पदम देव सिंह

दस्तावेजी साक्ष्य :

विनिषिद्ध पदार्थ का अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-1)

सील का सुपुर्दनामा (प्रदर्श पी-1-1)

मालखाना रजिस्टर में की गई प्रविष्टि (प्रदर्श पी-5)

कार्यपालक मजिस्ट्रेट का प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-7)

पैकेट को पुन: सीलबंद करने के लिए नमूना सील (प्रदर्श-7-1)

वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-6)

स्थलनक्शा (प्रदर्श पी-10)

सुपुर्दनामा (प्रदर्श-1)

5. विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को साबित नहीं किया गया है और इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया तथा उसके विरुद्ध चालान को खारिज कर दिया ।

6. राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई वर्तमान अपील के माध्यम से दोषमुक्ति के उक्त आदेश को सटीक रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि विचारण न्यायालय ने समुचित रूप से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया, यद्यपि न्यायालय के अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को साबित करने तथा इस तथ्य को साबित करने के लिए कि अभियुक्त ने ही उक्त अपराध किया है, पर्याप्त साक्ष्य मौजूद था और चूंकि अभियुक्त ने घोर अपराध किया है इसलिए उसके विरुद्ध कोई दया भावना उपदर्शित नहीं की जानी चाहिए ।

7. हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री विशाल भारती, उप महाधिवक्ता को सुना तथा हमने फाइल पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया ।

8. श्री भारती ने अपनी दलीलें प्रस्तुत करते समय अपील में लिए गए आधारों को दोहराया । उन्होंने यह भी प्रकथन किया कि विचारण न्यायालय ने अधिनियम के उपबंधों को टुकड़ों में बांटकर त्रुटि की है और साथ ही यह अभिनिर्धारित करके एक भयंकर त्रुटि कारित की है कि अभियोजन पक्ष आरोप को साबित करने में असफल रहा है । उनके अनुसार वस्तुत: अभियुक्त/प्रत्यर्थी द्वारा घोर अपराध किया गया है अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया है कि अभियुक्त द्वारा ज्वार के पत्तों में चरस को छिपाया गया था और वैज्ञानिक रिपोर्ट में इस तथ्य को स्थापित किया है कि रासायनिक परीक्षा के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गए नमूने स्वापक पदार्थ हैं और इस प्रकार इस तथ्य को साबित किया गया है कि अभियुक्त ने जानते-बुझते हुए चरस को अपने कब्जे में रखा था । प्रस्तुत किए गए सबूत को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय को अभियुक्त/प्रत्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया जाना चाहिए था जबकि उसकी दोषमुक्ति के आदेश के कारण न्याय को हानि पहुंची है ।

9. हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और साथ ही अपीलार्थी के लिए उपस्थित हुए विद्वान् काउंसेल द्वारा सामने रखे गए तर्कों पर विचार किया । हम यह आवश्यक समझते हैं कि साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए संक्षेप में उसका वर्णन किया जाना चाहिए और साथ ही राज्य के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा सामने रखे गए तर्कों और साथ ही वर्तमान अपील में अवलंब लिए गए आधारों पर भी ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

10. अभि. सा. प्रेम चंद ने यह कथन किया है कि तारीख 21 मार्च, 2008 को वह अन्य कांस्टेबलों के साथ पुलिस थाना उधमपुर के थाना प्रभारी के साथ मिंया बाग, धर रोड, उधमपुर पर जांच और तलाशी संबंधी ड्यूटी पर तैनात था । अभियुक्त अपने हाथ में एक सफेद प्लास्टिक का थैला लिए हुए उधमपुर की ओर जा रहा था । पुलिस दल

को देखकर उसने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया किन्तु पुलिस दल द्वारा उसे दबोच लिया गया । उसकी जांच किए जाने पर यह पाया गया कि सफेद प्लास्टिक के थैले में उसने ज्वार के पत्तों में चरस को छिपाकर रखा है । इस प्रकार बरामद किए गए ज्वार के पत्तों में से एक पत्ते का पृथक् रूप से अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया गया तथा उसे नमूने के रूप में सीलबंद किया गया तथा उसे रासायनिक विश्लेषण हेतु भेजा गया और उसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने शेष बचे ज्वार के पत्तों को पृथक् रूप से सीलबंद किया । पैकेटों को सीलबंद करने के लिए प्रयुक्त सील को उसके सुपर्दनामा में रखा गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि घटना के दिन उन्होंने प्रात: लगभग 10.00 बजे शासकीय जीप के माध्यम से अपनी पैट्रोलिंग ड्यूटी आरंभ की थी और वे डब्बर चौक और चबूतरा बाजार, उधमपुर से होते हुए घटनास्थल पर पहुंचे थे । तथापि, मियां बाग तक के रास्ते में उन्होंने किसी प्रकार की कोई जांच-पड़ताल आदि नहीं की थी । पुलिस दल द्वारा पकड़े गए अभियुक्त को नाका चौकी लाया गया । पुलिस जांच चौकी, पुलिस नाके से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित है । अभियुक्त को पुलिस नाके ले जाया गया था न कि पुलिस चौकी । जब अभियुक्त को पकड़ा गया था तो उस समय उससे बरामद हुए बैग की अंतर्वस्तु की संगणना या उसका वजन नहीं किया गया था । पुलिस नाके के समीप अनेक दुकानें स्थित हैं । औद्योगिक विभाग का कार्यालय भी समीप ही स्थित है । उस समय दुकानें खुली थीं और सड़क पर यातायात चल रहा था । चरस का वजन ज्वार के पत्तों सहित किया गया था । प्राप्त किए गए चरस के नमूने का भी वजन ज्वार के पत्ते सहित किया गया था । नमूने को एक सफेद कपड़े में सीलबंद किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त से चरस की बरामदगी और अभिग्रहण के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी को सहबद्ध करने का प्रयास नहीं किया ।

11. अभि. सा. नीलम कुमार, कांस्टेबल ने यह कथन किया है कि तारीख 21 मार्च, 2018 को वह पुलिस थाना उधमपुर के थाना प्रभारी के साथ मियां बाग में पैट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात था । यह देखा गया कि अभियुक्त धर रोड पर उधमपुर की ओर जा रहा था किन्तु पुलिस दल

को देखते ही वह तुरंत वापस जाने लगा । थाना प्रभारी ने अपने कांस्टेबलों को अभियुक्त को पकड़ने के लिए कहा । तदुपरांत अभियुक्त को पकड़ लिया गया और यह पाया गया कि उसके हाथ में एक प्लास्टिक का थैला मौजूद था । जांच किए जाने पर उक्त थैले में चरस पाई गई जो ज्वार के पत्तों में लिपटी हुई थी । उप निरीक्षक पदम देव सिंह मामले के अन्वेषण हेतु घटनास्थल पर आया और उसने यह पाया कि थैले में कुल 51 नग में ज्वार के पत्ते मौजूद थे जिनमें चरस को लपेटा गया था । मुख्य प्रपुंज में से चरस को अंतर्विष्ट करने वाले एक ज्वार पत्ते को रासायनिक विश्लेषण हेतु नमूने के रूप में पृथक् रूप से अभिगृहीत किया गया । शेष चरस को पृथक् रूप से सीलबंद किया गया । दोनों पैकटों को पृथक् रूप से सीलबंद किया गया था । घटना के समय पुलिस पैट्रोलिंग दल द्वारा सड़क पर आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी । पैदल चलने वाले व्यक्तियों की भी जांच की जा रही थी तथा उनकी जमा तलाशी ली जा रही थी । पुलिस चौकी के समीप भी 4/5 दुकानें तथा औद्योगिक विभाग कार्यालय अवस्थित है । अभियुक्त के संबंध में यह देखा गया कि वह लगभग 100 मीटर की दूरी पर था जब वह वापस मुड़ा और उसने भागने का प्रयास किया तभी उसने अन्य कांस्टेबलों के साथ मिलकर उसका पीछा किया तथा उसे पकड़ लिया । जब अभियुक्त को पकड़ा गया उस समय भी हाथ में प्लास्टिक का थैला पकड़ा हुआ था । रासायनिक विश्लेषण के लिए चरस के नमूने को तैयार करते समय अन्वेषण अधिकारी ने ज्वार के पत्तों को हटाया था । नमूनों को एक कागज में लपेटा गया और उसके पश्चात् उसे एक सफेद कपड़े में सीलबंद किया गया । न्यायालय में उसे दिखाए गए ज्वार के पत्तों को इस प्रकार लपेटा गया कि उसकी अंतर्वस्तु की शनाख्त नहीं की जा सकती थी । अभिग्रहण और सीलबंद किए जाने की दोनों प्रक्रियाएं अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसकी उपस्थिति में पूरी की गई थी किन्तु वह इस संबंध में कोई कथन करने में असमर्थ था कि क्या पैकेटों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे अथवा नहीं ।

12. अभि. सा. परषोत्तम सिंह ने यह कथन किया है कि वह कुछ अन्य पुलिस कांस्टेबलों और पुलिस थाना उधमपुर के थाना प्रभारी के

साथ घटना के दिन मियां बाग में पैट्रौल ड्यूटी पर तैनात था । यह देखा गया कि अभियुक्त अपने हाथ में एक थैला लिए हुए पैदल उधमुपर की ओर जा रहा था और उसने पुलिस दल को देखने के पश्चात् वहां से भागने का प्रयास किया । थाना प्रभारी द्वारा निदेश दिए जाने पर वह कुछ अन्य कांस्टेबलों के साथ अभियुक्त के पीछे दौड़ा और उन्होंने मिलकर अभियुक्त को पकड़ लिया । जांच किए जाने पर यह पाया गया कि अभियुक्त के थैले में चरस मौजूद थी, जिसे ज्वार के पत्तों में लपेट कर रखा गया था । उधमुपर पुलिस थाने के थाना प्रभारी द्वारा पुलिस थाने को एक लिखित डॉकेट अग्रेषित किया गया और लगभग 20 मिनट के पश्चात् उप निरीक्षक वजन नापने की मशीन के साथ घटनास्थल पर पहुंचा । वजन किए जाने पर ज्वार के पत्तों में लिपटे कुल 51 नगों का वजन 4 किलोग्राम पाया गया । संपूर्ण प्रपुंज चरस में से ज्वार के एक पत्ते में लिपटी चरस को अन्वेषण अधिकारी द्वारा रासायनिक परीक्षा हेतु पृथक् रूप से सीलबंद किया गया । उसने स्वयं कांस्टेबल नीलम कुमार और विशाल कुमार के साथ लगभग आधे किलोमीटर तक अभियुक्त का पीछा किया था और उसके पश्चात् उन्होंने उसे पेट्रोल पंप के समीप पकड़ा था । उस समय तक अभियुक्त ने अपने थैले को फेंक दिया था जिसे कांस्टेबल नीलम कुमार ने उठा लिया था । अन्वेषण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए दोनों पैकेटों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे ।

13. अभि. सा. हरनाम सिंह ने भी इसी प्रकार का कथन प्रस्तुत किया है । तथापि, उसने यह कथन किया है कि उसने नमूने को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में जमा किया था और उसकी रसीद प्राप्त की थी । मुहरर ने नमूना तथा पत्र उसे सौंपे जाने के समय उसके हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए थे ।

14. अभि. सा. स्वामी राज, हेड कांस्टेबल पुलिस थाना उधमपुर में मुहरर के रूप में तैनात है । तारीख 21 मार्च, 2008 को थाना प्रभारी द्वारा उसे दो पैकेट सौंपे गए थे और इस प्रभाव की एक प्रविष्टि रजिस्टर सं. 19 में क्रम सं. 120 के रूप में की गई थी । उसने संबद्ध रजिस्टर (जो प्रदर्श पी-5 के रूप में चिह्नित है) में की गई प्रविष्टि को साबित किया है । अभिगृहीत पैकेटों में एक पैकेट न्यायालय में उसे

दिखाया गया था । मालखाने में पैकेटों को जमा किए जाने के समय का रजिस्टर में उल्लेख नहीं किया गया है । नमूना चिन्ह 'ए' को पुलिस थाने की शासकीय मुहर के साथ सीलबंद किया गया । उनमें से एक पैकेट को हेड कांस्टेबल हरनाम सिंह को तारीख 29 मार्च, 2008 को सौंपा गया था, जिसे लेकर वह न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जम्मू गया था ।

15. अभि. सा. युद्धवीर सिंह, एसजीसी ने यह कथन किया है कि तारीख 21 मार्च, 2008 को वह मियां बाग में उधमपुर पुलिस थाने के थाना प्रभारी के साथ मौजूद था । पुलिस दल सड़क से गुजरने वालों यानों की जांच कर रहा था और पैदल चलने वाले व्यक्तियों की जमा तलाशी ले रहा था । अभियुक्त ने पुलिस दल को देखकर घटनास्थल से भागने का प्रयास किया किन्तु पुलिस दल ने उसका पीछा किया और उसे दबोच लिया । यह पाया गया कि अभियुक्त के हाथ में एक थैला था जिसमें चरस मौजूद थी । थाना प्रभारी ने प्रेम चंद के माध्यम से मामले को रजिस्टर करने हेतु पुलिस थाना उधमपुर में एक लिखित डॉकेट भेजा । तदुपरांत अन्वेषण अधिकारी पदम सिंह घटनास्थल पर पहुंचा और उसने ज्वार के पत्तों में लिपटे चरस के 51 नगों का अभिग्रहण किया तथा वजन किए जाने पर उनका वजन चार किलोग्राम पाया गया । प्रपुंज चरस में से चरस अंतर्विष्ट करने वाले एक ज्वार के पत्ते को रासायनिक विश्लेषण हेतु नमूने के रूप में पृथक् रूप से अभिगृहीत किया गया । अभियुक्त को एक पेट्रोल पंप के समीप पकड़ा गया था जो पुलिस नाके से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित है । बरामदगी के स्थल के आस-पास अनेक दुकानें मौजूद हैं । अन्वेषण अधिकारी दोपहर लगभग 2.00 बजे पेट्रोल पंप पहुंचा था । अभियुक्त को पुलिस जिप्सी में बिठाया गया था और उसके थैले को भी पुलिस जिप्सी में ही रखा गया था । अन्वेषण अधिकारी ने न तो किसी दुकानदार और न ही पेट्रोल पंप से किसी अन्य व्यक्ति को घटनास्थल पर बुलाया था । चरस का वजन ज्वार के पत्तों के साथ किया गया था । जिस समय चरस के अभिग्रहण और उसे सीलबंद किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय उसे किसी आवश्यक कार्य से घटनास्थल से जाना पड़ा था । उसने न्यायालय में अभिगृहीत पैकेट की ज्वार के पत्तों के माध्यम से शनाख्त की ।

16. अभि. सा. अश्वनी कुमार कार्यपालक मजिस्ट्रेट है और उसने यह कथन किया है कि एक सीलबंद पैकेट जिसे 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया था, मामले के अन्वेषण अधिकारी और उप निरीक्षक पदम देव सिंह द्वारा तारीख 22 मार्च, 2018 को पुन: सीलबंद किए जाने के प्रयोजन के लिए उसके समक्ष लाया गया था । तद्नुसार उसने पैकेट को पुन: सीलबंद किया और उसने इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र भी उसे जारी किया जो प्रदर्श पी-7 के रूप में चिह्नित है । उसके द्वारा पुन: सीलबंद किए गए पैकेट को पुलिस द्वारा पहले ही सीलबंद कर दिया गया था । पुन: सीलबंद किए जाने से पूर्व उसने पैकेट की अंतर्वस्तु की जांच करने के लिए पैकेट को नहीं खोला था ।

17. अभि. सा. पवन अबरोल वैज्ञानिक अधिकारी है और उसने चरस के अभिगृहीत नमूने की विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं कीं जैसे कि रासायनिक/सूक्ष्मदर्शी और क्रोमैटोग्राफिक परीक्षा और उसने उक्त पदार्थ की चरस के रूप में शनाख्त की । उसने इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र जारी किया जो प्रदर्श पी-6 के रूप में चिह्नित है । परीक्षा हेतु पैकेट अभि. सा. हरनाम सिंह तारीख 29 मार्च, 2008 को उसके पास लेकर आया था ।

18. अभि. सा. पदम देव सिंह ने इस मामले का अन्वेषण कार्य किया है और उसने यह कथन किया कि मामले के अन्वेषण के दौरान उसने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दांडिक अपराध करने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध मामला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 53/8 रजिस्टर की थी । उसने अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक थैले में ज्वार के पत्तों में लपेट कर रखे गए चरस के 51 नगों को बरामद किया था जिनका वजन चार किलोग्राम था । समग्र चरस में से उसने ज्वार के पत्ते में लिपटे चरस के एक नग का रासायनिक विश्लेषण हेतु नमूने के रूप में अभिग्रहण किया और ज्वार के पत्तों में लिपटे चरस के शेष 50 नगों को पृथक् रूप से एक पैकेट में अभिगृहीत करके ए-1 के रूप में चिह्नित किया गया तथा उन्हें सीलबंद करने के पश्चात् प्रेम चंद कांस्टेबल के सुपुर्दनामा के अधीन रखा गया । अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के सबूत पाए गए । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि वह मामले के अन्वेषण हेतु दोपहर लगभग 2.00 बजे

घटनास्थल पर पहुंचा था । घटनास्थल पर पहुंचकर उसने यह पाया कि पुलिस दल, मियां बाग पुलिस जांच चौकी के समीप मौजूद था और अभियुक्त सड़क के किनारे खड़ा था । जांच चौकी पर तैनात पुलिसकार्मिकों को मामले के अन्वेषण में सहबद्ध नहीं किया गया । बरामदगी का स्थल उमराहा मोड़ पर स्थित है और वहां सड़क के दोनों ओर अनेक दुकानें मौजूद हैं । इसके अतिरिक्त, सड़क पर भी काफी मात्रा में यानों का आना-जाना है । समीप के किसी भी दुकानदार को चरस के अभिग्रहण ज्ञापन का साक्षी बनने हेतु नहीं बुलाया गया था । चरस का वजन ज्वार के पत्तों के साथ किया गया था । पत्तों का पृथक् रूप से वजन नहीं किया गया था । चरस के नमूने का वजन पत्तों को हटाकर किया गया था । नमूने को एक समाचार-पत्र में लपेटा गया और उसके पश्चात् उसे एक सफेद कपड़े में सीलबंद किया गया । रासायनिक विश्लेषण के पश्चात् नमूनों को न्यायालियक विज्ञान प्रयोगशाला जम्मू से वापस प्राप्त नहीं किया गया । अभियुक्त से चरस की बरामदगी और अभिग्रहण के दौरान किसी भी आम नागरिक को सहबद्ध नहीं किया गया । अभियुक्त के हस्ताक्षरों के चरस के नमूने के पैकेट पर प्राप्त किया गया था । चरस का नमूना पुलिस थाने में तारीख 21 मार्च, 2018 से 29 मार्च, 2018 तक मुहरर के पास मौजूद रहा ।

19. वर्तमान अपील में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह बात सुस्पष्ट और साफ हो जाती है कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय यहां ऊपर कथित अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्य को विचार में लिया है । अभि. सा. युद्धवीर सिंह के कथन के अनुसार अभियुक्त/ प्रत्यर्थी को पुलिस द्वारा धर रोड पर पेट्रोल पंप के समीप पकड़ा गया था और उससे विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी हुई थी, तथापि, अभि. सा. परषोत्तम कुमार के कथनानुसार पुलिस ने अभियुक्त का पीछा किया और इस प्रकार पीछा किए जाने के दौरान अभियुक्त ने थैले को सड़क के किनारे फेंक दिया और उसने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया किन्तु पुलिस द्वारा लगभग आधे किलोमीटर की दूरी तक उसका पीछा करने के पश्चात् उसे पकड़ लिया गया और उसके पश्चात् उसे पेट्रोल पंप के समीप लाया गया । अभि. सा. नीलम कुमार सड़क के किनारे इस प्रकार अभियुक्त द्वारा फेंके गए थैले, जिसमें विनिषिद्ध पदार्थ अंतर्विष्ट

था, को घटनास्थल पर लाया । पुन: प्रेम चंद ने बरामदगी के स्थल के संबंध में विवादित कथन किया है और उसने यह कहा कि है कि अभियुक्त को पुलिस नाका लाया गया था जहां उसकी तलाशी ली गई और विनिषिद्ध पदार्थ उसके कब्जे में पाया गया, इस प्रकार सभी तीन साक्षियों ने घटनास्थल और उस स्थल, जहां से विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी की गई थी, के संबंध में भिन्न-भिन्न कहानी प्रस्तुत की है । यदि वे घटनास्थल पर उपस्थित होते और विनिषिद्ध पदार्थ की बरामगदी अभियुक्त के कब्जे से हुई होती तो बरामदगी के स्थल के संबंध में इस प्रकार के विरोधाभासी कथन सामने नहीं आते । अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने यह पाया कि थाना प्रभारी और अभियुक्त पुलिस जांच चौकी के समीप सड़क के किनारे खड़े थे और विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी और अभिग्रहण केवल पुलिस जांच चौकी के समीप अभियुक्त से किया गया था । जहां तक बरामदगी के स्थल का संबंध है, अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों में सारवान् विसंगतियां विद्यमान हैं । अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से यह तथ्य भी सामने आया है कि घटनास्थल, जहां से बरामदगी की गई थी और अभियुक्त को पकड़ा गया था, के समीप कुछ दुकानें भी अवस्थित हैं, किन्तु अन्वेषण अधिकारी ने उक्त दुकानों के दुकानदारों में से किसी को भी अन्वेषण में सहबद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया । कहीं भी यह कथन नहीं किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने उक्त साक्षियों से संपर्क किया था किन्तु उन्होंने अन्वेषण से सहबद्ध करने से इनकार कर दिया । यह सत्य है कि स्वतंत्र साक्षी सामान्य रूप से अन्वेषण से सहबद्ध होने से कतराते हैं किन्तु अन्वेषण अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह उन्हें अन्वेषण में सहबद्ध करने के लिए प्रयास करे, किन्तु वर्तमान मामले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया । अभियुक्त के कब्जे से विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी और अभियुक्त को पकड़े जाने के स्थल के संबंध में सारवान् विसंगतियां विद्यमान हैं ।

20. एनडीपीएस अधिनियम के उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि आरोप के साबित होने पर कड़ा दंड दिया जाएगा और इसे ध्यान में

रखते हुए एनडीपीएस अधिनियम के अधीन कठोर प्रकृति के दंड हेतु उपबंध किया गया है । ऐसी रीति में पारदर्शी रूप से अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है, जिससे मिथ्या रूप से फंसाए जाने की कोई संभावना मौजूद न हो । विभिन्न प्रक्रियों, जैसे कि विनिषिद्ध पदार्थ का अभिग्रहण, उसे सीलबंद किया जाना, उसके नमूने लिया जाना और उक्त पदार्थ को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना आदि का कड़ाई से पालन किया जाना अपेक्षित है । विनिषिद्ध पदार्थ या उसके नमूने से छेड़छाड़ करने की किसी संभावना का विद्यमान होना मामले के लिए घातक हो सकता है और इस प्रकार के अनुमानों को दूर करने के लिए प्रत्येक संभव उपाय किया जाना चाहिए वर्तमान मामले में अन्वेषण अधिकारी ऐसे नियमों का अनुपालन करने में असफल रहा है, जिन्हें एनडीपीएस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी और अभिग्रहण की प्रक्रिया हेतु विरचित किया गया है । वर्तमान मामले में, कांस्टेबल प्रेम चंद अन्वेषण अधिकारी का अधीनस्थ कर्मचारी है । नमूने के संबंध में यह दर्शित किया गया है कि उसे सीलबंद किया गया तथा सीलबंद नमूने को उक्त कांस्टेबल प्रेम चंद के सुपुर्दनामे में रखा गया, जो न केवल अन्वेषण अधिकारी का अधीनस्थ कर्मचारी है अपितु वह उसी पुलिस थाने में उसके अधीन कार्य कर रहा था, इसलिए जब इस प्रकार सीलबंद किए गए नमूने को किसी ऐसे अधीनस्थ कर्मचारी की अभिरक्षा में रखा जाता है जो अन्वेषण अधिकारी के नियंत्रणाधीन है, वहां ऐसे कांस्टेबल द्वारा मुहर को कब्जे में रखे जाने से यह तात्पर्यित है कि उसे वस्तुत: अन्वेषण अधिकारी के कब्जे में रखा गया, इस प्रकार ऐसे किसी परिस्थिति में जहां मुहर किसी ऐसे अधिकारी के कब्जे में जो अन्वेषण अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहा है, यह नहीं कहा जा सकता कि नमूने या मुहर के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना विद्यमान नहीं है । किन्तु इस प्रकार के मामलों में ऐसी कोई संभावना विद्यमान नहीं होनी चाहिए । अन्वेषण अधिकारी को नमूने को सीलबंद करने के पश्चात् उक्त मुहर को किसी स्वतंत्र व्यक्ति के सुपुर्दनामे के अधीन रखा जाना चाहिए था या उसे ऐसे नमूने को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहिए था जो उसका अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है और जो उक्त पुलिस थाने में तैनात नहीं है या जो सीधे उसके नियंत्रण या आदेश के अधीन कार्य नहीं कर रहा हो । यह तर्क स्वयं में ही प्रतिरक्षा पक्ष हेतु यह उपदर्शित करने

के लिए पर्याप्त आधार है कि नमूने से छेड़छाड़ किए जाने की प्रत्येक संभावना विद्यमान है और इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना सही है । अन्वेषण अधिकारी ने, जैसा कि मामले के अभिलेख और अभि. सा. पवन अबरोल सहित अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों से स्पष्ट है, ऐसे सुरक्षोपायों का उल्लंघन किया है जो अभियुक्त को रासायनिक विश्लेषण हेतु नमूना तैयार किए जाने के संबंध में उपलब्ध थे । अभि. सा. नीलम कुमार और अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि रासायनिक विश्लेषण हेतु नमूने को सीलबंद करने से पूर्व ज्वार के पत्तों को हटा लिया गया था । अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि नमूने को सफेद कपड़े में सीलबंद किए जाने से पूर्व उसे एक समाचारपत्र के टुकड़े से लपेटा गया था, किन्तु अभि. सा. प्रेम चंद और परषोत्तम कुमार ने यह कथन किया है कि नमूने को ज्वार के पत्तों सहित सीलबंद किया गया था । अभि. सा. पवन अबरोल ने भी यह कथन किया है कि पैकेट से ज्वार के पत्तों में लिपटी हरे-काले रंग की सामग्री का एक मुड़ा-तुड़ा नग पाया गया था, जो अन्वेषण अधिकारी के कथन का विरोधाभासी है और अन्वेषण अधिकारी के द्वारा नमूना तैयार किए जाने से संबंधित प्रस्तुत किए गए कथन और रासायनिक विश्लेषक द्वारा प्राप्त नमूने से संबंधित कथन के कारण इस संबंध में एक संदेह उत्पन्न हो गया है कि क्या रासायनिक विश्लेषक द्वारा जिस नमूने की परीक्षा की गई क्या वह वही नमूना था जिसे घटनास्थल पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा सीलबंद किया गया था । अत: यहां ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष ने मामले का उचित रूप से अन्वेषण नहीं किया है और मामले का अन्वेषण एनडीपीएस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए तथा इस संबंध में अभियुक्त को उपलब्ध सुरक्षोपायों की अनदेखी करते हुए किया गया है ।

21. इस विषय को विधि में भली-भांति सुस्थापित किया गया है । विचारण न्यायालयों द्वारा लेखबद्ध किए गए दोषमुक्ति के निर्णयों के संबंध में हस्तक्षेप के विस्तार क्षेत्र के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा **संभाजी हिन्दुराव देशमुख** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में विस्तार

[1] (2008) 11 एस. सी. सी. 186 = 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 823.

से चर्चा की गई है और उसके संबंध में विनिश्चय किया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया :–

"13. दोषमुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में की गई अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से संबंधित सिद्धांत भली-भांति स्थापित है । यद्यपि उच्च न्यायालय संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्विलोकन कर सकता है और वह अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकता है किन्तु वह तब तक विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि साक्ष्य पर आधारित अत्यंत ठोस कारण विद्यमान न हों जो विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को सिरे से नकारते हों और जिनके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति की गई है । उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को सम्यक् महत्व देना होगा यदि उन्हें अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने के पश्चात् निकाला गया है । उच्च न्यायालय केवल उस समय दोषमुक्ति के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों में उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप करेगा जहां विचारण न्यायालय सारवान् तथ्यों के संबंध में त्रुटिपूर्ण उपधारणा बनाता है या उचित रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन करने में असफल रहता है । यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से दो मत संभव हैं, पहला जो अभियुक्त के पक्ष में है और दूसरा जो अभियुक्त के विरुद्ध हैं तो उच्च न्यायालय से यह अपेक्षित नहीं है कि वह केवल इस कारण से दोषमुक्ति के निर्णय को उलट दे क्योंकि उसने विचारण के समय उस मत को अपनाया होता जो अभियुक्त के विरुद्ध हैं । वस्तुतः, यह तथ्य कि दो विरोधी मत संभव हैं, इस बात को स्पष्ट करता है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अभियुक्त के दोष को साबित नहीं किया है और इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त संदेह के लाभ के लिए हकदार है । [गणेश भावन पटेल **बनाम** महराष्ट्र राज्य (1978) 4 एस. सी. सी. 371 = (1979) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 135, बाबू **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (1983) 2 एस. सी. सी. 21 = ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 308 =

(1983) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 332, अवधेश **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (1988) 2 एस. सी. सी. 557 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1158 = (1988) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 361, थानेदार सिंह **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (2002) 1 एस. सी. सी. 487 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 175 = (2002) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 153 और राजस्थान राज्य **बनाम** राजा राम (2003) 8 एस. सी. सी. 180 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3601 = (2003) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1965]"

22. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि उच्च न्यायालय संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्विलोकन कर सकता है और वह अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकता है किन्तु वह तब तक विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि साक्ष्य पर आधारित अत्यंत ठोस कारण विद्यमान न हों जो विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को सिरे से नकारते हों और जिनके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति की गई है । यह तथ्य भी सामने उभरकर आता है कि उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों में केवल उस समय हस्तक्षेप करेंगे जहां विचारण न्यायालय ने सारवान् तथ्यों के प्रति गलत उपधारणा बनाई हो या विचारण न्यायालय उचित रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा हो ।

23. ऊपर कथित कारणों के आधार पर हमें इस अपील में कोई गुण प्रतीत नहीं होता है, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाए और जिसके द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध फाइल किए गए चालान को खारिज किया जाता है और साथ ही वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है ।

24. विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित इस निर्णय के एक प्रति निचले न्यायालय को भेजी जाए ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

शेख मगन उर्फ **मो. एस. के. मगन**

बनाम

बिहार राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 912)

तारीख 12 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति बिरेन्द्र कुमार

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 366क और धारा 376 – एक अप्राप्तवय लड़की का व्यपहरण और उससे बलात्संग किया जाना – पीड़िता के पिता/इत्तिलाकर्ता द्वारा इस प्रभाव की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना कि दो अभियुक्तों ने उससे सह-ग्रामीणों की उपस्थिति में उसकी पुत्री का उसके घर से व्यपहरण किया है – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में 9 दिन का विलंब होना, जिसके संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया जाना कि इत्तिलाकर्ता स्वयं अपने स्तर पर अपनी पुत्री की तलाश कर रहा था – वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय द्वारा मुख्यत: अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को सिद्धदोष ठहराया जाना – अभियोक्त्री के कथन में अनेक विसंगतियों और विरोधाभासों का विद्यमान होना – इत्तिलाकर्ता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया जाना कि उसकी पुत्री का व्यपहरण उसके घर से हुआ है जबकि अभियोक्त्री द्वारा अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया जाना कि उसका व्यपहरण उस समय हुआ था जब वह अपने विद्यालय जा रही थी – अभियोक्त्री के अप्राप्तवय होने के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाना – अभियोक्त्री द्वारा उस समय कोई विरोध दर्शित न किया जाना या कोई चीख-पुकार न मचाया जाना जब अभिकथित रूप से अभियुक्त उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा था और न ही अभियोक्त्री द्वारा उन घरों के सह-निवासियों से कोई शिकायत किया जाना, जिनमें अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से उसे रखा गया था – इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के संबंध में कोई अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध न होना,

यहां तक कि चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा भी उसके परिसाक्ष्य का समर्थन न किया जाना – इस प्रकार किसी निर्णायक और अकाट्य साक्ष्य की अनुपस्थिति में अभियुक्तों की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 10 फरवरी, 2010 को जब इत्तिलाकर्ता और उसकी पत्नी उनके गांव स्थित घर में मौजूद नहीं थे, तब उसका सह-ग्रामीण शेख मगन और सह-ग्रामीण मोहम्मद निषाद (वर्तमान अपील के अपीलार्थी) बलपूर्वक उसकी बेटी को मोटरसाइकिल पर उठाकर ले गए । सह-ग्रामीण मोहम्मद कलीम तथा मोहम्मद अंसार इस व्यपहरण की घटना के साक्षी थे और अपीलार्थियों के इस कृत्य का विरोध करने पर अपीलार्थियों ने उन्हें अभिकथित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी । इसके पश्चात्, इत्तिलाकर्ता अपने स्तर पर पीड़ित की खोजबीन करता रहा । इसलिए तारीख 19 फरवरी, 2010 को नौ दिनों की देरी के पश्चात् मामले की सूचना पुलिस को दी गई । पूर्वोक्त कथन के आधार पर ऊपर उल्लिखित पुलिस थाने में मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया और पुलिस ने अन्वेषण के उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत किया । अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् करते हुए विचारण का दावा किया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराते हुए उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले की अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप का पूर्ण रूप से समर्थन किया है और अभियोक्त्री के साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अनेकों निर्णयों के माध्यम से यह सुस्थापित किया गया है कि न्यायालय को इस तथ्य के संबंध में सदैव सचेत रहना चाहिए कि कोई स्वाभिमानी महिला अपने सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक कथन करने के लिए सामने नहीं आएगी । विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि बलात्संग के आरोप को साबित करने के लिए साक्षियों की बहुलता विधि की आवश्यकता नहीं है । वर्तमान मामले की अभियोक्त्री पूर्णत: विश्वसनीय है । यह सुस्थापित

विधि है कि लैंगिक हमले की पीड़िता का साक्ष्य किसी आहत साक्षी के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के समतुल्य माना जाता है । बलात्संग के प्रत्येक मामले में अभिपुष्टिकारक साक्ष्य न्यायिक विश्वसनीयता का अनिवार्य घटक नहीं है । न्यायालय किसी अभियोक्त्री के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अपने न्यायिक विवेक का समाधान करने के लिए उसके कथन के संबंध में किसी आश्वासन की अपेक्षा कर सकता है । वर्तमान मामले में पीड़िता ने यह कथन नहीं किया है कि ग्रामीणों की उपस्थिति में उसका व्यपहरण किया गया था । उसके अनुसार, उसका व्यपहरण तब किया गया था जब वह अपने विद्यालय जा रही थी । जबकि उसके पिता ने पुलिस को यह इत्तिला दी थी कि पीड़िता का व्यपहरण ग्रामीणों की उपस्थिति में घर से किया गया । एक समय पर पीड़िता ने यह कथन किया कि तारीख 10 फरवरी, 2010 से तारीख 18 फरवरी, 2010 तक जब वह गांव तुलसीपुर में थी तब अपीलार्थी मगन ने प्रत्येक दिन उसके साथ संसर्ग किया था । साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि तुलसीपुर स्थित घर में निवास करने वाले लोगों ने उस गांव का नाम तुलसीपुर बताया था । उसके पश्चात्, अपीलार्थी मगन उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर तुलसीपुर से ग्राम मोरडीहा ले गया तथा वहां पीड़िता को झोपड़ीनुमा कक्ष में रखा गया । अपीलार्थी मगन ने यह तथ्य प्रकट किया कि उस घर में निवास करने वाले लोग उसके नातेदार थे । उस घर में एक वृद्ध महिला समेत एक पुरुष, दो महिलाओं के अतिरिक्त कुछ बालक भी निवास कर रहे थे । यहां पीड़िता ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 10 फरवरी, 2010 से लेकर तारीख 10 फरवरी, 2010 तक वह मोरडीहा गांव में रही । यहां मोरडीहा स्थित घर में निवास करने वाले व्यक्तियों से उसकी बातचीत होती थी । इसके पश्चात् पीड़िता ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने उसे वहां पर अपनी पत्नी के रूप में रखा था और जब अपीलार्थी मगन उसे तारीख 19 फरवरी, 2010 को विवाह के उद्देश्य से कहलगांव लाया तो उस समय उन दोनों ने साथ ही एक झोपड़ीनुमा कक्ष में निवास किया, लेकिन पीड़िता मगन की निद्रा की अवस्था का लाभ उठाते हुए वहां से भाग निकली और वह कहलगांव पुलिस थाने पहुंची । तथापि, तारीख 20 फरवरी, 2010 तक पुलिस द्वारा पीड़िता का कथन लेखबद्ध नहीं किया गया और उस तारीख को रसलपुर उप पुलिस थाने को सूचित करने के

पश्चात् पीड़िता को रसलपुर पुलिस को सौंप दिया गया । इस प्रकार पीड़िता के द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि वह अपने व्यपहरण और बलात्संग के संबंध में कुछ सारवान् तथ्यों को छिपा रही है क्योंकि पीड़िता ने अपीलार्थी मगन के साथ विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते समय कभी कोई विरोध या चीख-पुकार नहीं मचाई और न ही उसने उस समय कोई विरोध दर्शित किया जब वह स्वेच्छापूर्वक मगन के साथ विवाह करने के लिए पैदल कहलगांव जा रही थी । पीड़िता को ग्राम तुलसीपुर या मोरडीहा में जिस घर में रखा गया था उसके निवासियों की न तो पुलिस ने परीक्षा की और न ही उन्हें पीड़िता के दावे के प्रति आश्वासन प्राप्त करने हेतु विचारण के दौरान प्रस्तुत किया । जब इत्तिलाकर्ता को अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि तारीख 10 फरवरी, 2010 को अपीलार्थियों के द्वारा पीड़िता का व्यपहरण कर लिया गया है और अपीलार्थियों के कुटुम्ब के सदस्यों ने इत्तिलाकर्ता की सहायता करने में असमर्थता दर्शित की और उसकी बजाय उन्होंने उसकी शिकायत का विरोध किया तो इत्तिलाकर्ता को तुरंत ही पुलिस को मामले की सूचना देनी चाहिए थी तथा इत्तिलाकर्ता द्वारा अपने स्तर पर पीड़िता की खोजबीन के बहाने हुई देरी, मंत्रणा और मामला गढ़े जाने की संभावनाओं के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न करती है जो अभियोजन के पक्षकथन की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है । इसके अतिरिक्त, इत्तिलाकर्ता के कथन की अभिपुष्टि उन साक्षियों द्वारा नहीं की गई है जिनसे इत्तिलाकर्ता को घटना के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी । इस प्रकार, तथ्यात्मक परिदृश्य की समग्रता यह है कि वर्तमान मामले की अभियोक्त्री ऊपर निर्दिष्ट किए गए अनुसार उसके द्वारा तात्विक विशिष्टियों में किए गए परिवर्तनों और विरोधाभासी कथनों के कारण पूर्ण रूप से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है । चिकित्सीय साक्ष्य सहित किसी भी साक्ष्य से उसके परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि नहीं होती है । प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में नामित साक्षियों या किसी अन्य साक्षी के द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अभिपुष्टि नहीं किए जाने के कारण अभियोजन का पक्षकथन कमजोर हो जाता है । इस बात का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि पीड़िता कहलगांव पुलिस थाने के द्वारा पीड़िता के कथन को लेखबद्ध क्यों नहीं किया गया, हालांकि पीड़िता तारीख 19

फरवरी, 2010 को कहलगांव पुलिस थाने के समक्ष स्वयं पेश हुई थी तथा उसके द्वारा वहां मौजूद पुलिस अधिकारी को घटना के बारे में बताने का दावा किया गया है । वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री एक 'विश्वस्त साक्षी' की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होती है । पीड़िता के परिसाक्ष्य की सावधानीपूर्वक और गहन संवीक्षा से इस संभावना से पूर्ण रूप से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह इस मामले में सहमतिजन्य पक्षकार नहीं थी । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि पीड़िता सहमति देने के लिए कानूनी आयु सीमा से कम आयु की थी । वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष पीड़िता की सही आयु साबित करने में विफल रहा है । इसलिए पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है । ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार अभियोजन के पक्षकथन में मौजूद अन्य कमियां अभियोजन पक्ष के विरुद्ध संदेह उत्पन्न करती हैं । अतः, अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं । इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । तद्नुसार दोनों अपीलें मंजूर की जाती हैं । अपीलार्थी शेख मगन **उर्फ** मोहम्मद एस. के. मगन, जो कि अभिरक्षा में है, को तुरंत निर्मुक्त किया जाए । अपीलार्थी मोहम्मद निसार को उसके जमानत पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है । (पैरा 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 14)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2020] (2020) 3 एस. सी. सी. 443 =
ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 985 :
संतोष प्रसाद उर्फ **संतोष कुमार** बनाम **बिहार राज्य** ; 5, 12

[2016] (2016) 1 एस. सी. सी. 696 =
2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6029 :
मध्य प्रदेश राज्य बनाम **मुन्ना** उर्फ **शंभू नाथ** ; 12

[2012] (2012) 8 एस. सी. सी. 21 =
ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3157 :
राय संदीप बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली)** ; 11

[2008] (2008) 15 एस. सी. सी. 133 =
ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 858 :
राजू बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 7

[1996] (1996) 2 एस. सी. सी. 384 =
ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1393 :
पंजाब राज्य बनाम **गुरमीत सिंह ।** 7

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 912.

वर्तमान अपील तारीख 12 मार्च, 2021 को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-I भागलपुर द्वारा वर्ष 2010 के सेशन विचारण सं. 1054/2011 के सेशन विचारण सं. 785 में पारित तारीख 31 जनवरी, 2017 के दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 8 फरवरी, 2017 को पारित दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री राजीव रंजन सिंह और श्री ज्योति रंजन झा

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री आभा सिंह, एपीपी और श्री अभय कुमार, एपीपी

न्यायमूर्ति बिरेन्द्र कुमार – वर्तमान अपील में ऊपर नामित अपीलार्थियों ने भारतीय दंड संहिता संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 366क और 376 के अधीन अपराधों के लिए कहलगांव (रसलपुर) पुलिस थाने के वर्ष 2010 के मामला सं. 57 से उद्भूत होने वाले वर्ष 2010 के सेशन विचारण सं. 1054/2011 के सेशन विचारण सं. 785 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-I भागलपुर के समक्ष विचारण का सामना किया ।

तारीख 31 जनवरी, 2017 को पारित आक्षेपित निर्णय तथा तारीख 8 फरवरी, 2017 को पारित दंडादेश के द्वारा दोनों अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 366क के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध 5 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया तथा उन पर 2,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया

गया । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अपीलार्थियों को दो माह के अतिरिक्त कारावास को भोगने का निदेश दिया गया ।

अपीलार्थी शेख मगन को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए भी दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध सात वर्ष के कठोर कारावास को भोगने का दंडादेश पारित किया गया तथा उस पर 5,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उसे तीन माह के अतिरिक्त कारावास को भोगने का आदेश दिया गया । शेख मगन के विरुद्ध पारित दंडादेशों के संबंध में यह आदेश जारी किया गया कि वे एक साथ चलेंगे ।

2. पीड़िता के पिता मोहम्मद रहीम के द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में प्रकट किए गए अनुसार अभियोजन का मामला यह है कि तारीख 10 फरवरी, 2010 को जब इत्तिलाकर्ता और उसकी पत्नी उनके गांव स्थित घर में मौजूद नहीं थे, तब उसका सह-ग्रामीण शेख मगन और सह-ग्रामीण मोहम्मद निषाद (वर्तमान अपील के अपीलार्थी) बलपूर्वक उसकी बेटी को मोटरसाइकिल पर उठाकर ले गए । सह-ग्रामीण मोहम्मद कलीम (अभि. सा. 1) तथा मोहम्मद अंसार (अभि. सा. 2) इस व्यपहरण की घटना के साक्षी थे और अपीलार्थियों के इस कृत्य का विरोध करने पर अपीलार्थियों ने उन्हें अभिकथित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी । इसके पश्चात्, इत्तिलाकर्ता अपने स्तर पर पीड़ित की खोजबीन करता रहा । इसलिए तारीख 19 फरवरी, 2010 को नौ दिनों की देरी के पश्चात् मामले की सूचना पुलिस को दी गई ।

3. पूर्वोक्त कथन के आधार पर ऊपर उल्लिखित पुलिस थाने में मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया और पुलिस ने अन्वेषण के उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल सात साक्षियों की परीक्षा की । मोहम्मद कलीम (अभि. सा. 1) और मोहम्मद अंसार (अभि. सा. 2) को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया तथा पूर्वोक्त साक्षियों का ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 161 के अधीन उनके द्वारा महेश कुमार (अभि. सा. 6) के समक्ष दिए गए कथन की ओर आकर्षित किया गया । तथापि, अभि. सा. 6 का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित नहीं किया

गया कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने उसके समक्ष इस प्रकार कथन किया था ।

अभि. सा. 3 बीबी सहाना पीड़िता की माता है । उसके द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया गया कि उसे अपनी पुत्री के व्यपहरण की सूचना मोहम्मद कलीम (अभि. सा. 1) और मोहम्मद अंसार (अभि. सा. 2) से प्राप्त हुई । इसी प्रकार का कथन मोहम्मद रहीम (अभि. सा. 4) के द्वारा किया गया है जो वर्तमान मामले में इत्तिलाकर्ता है और पीड़ित लड़की के पिता भी है । अभि. सा. 23 और अभि. सा. 4 पूर्ण रूप से अनुश्रुत साक्षी हैं क्योंकि इस बात की अभिपुष्टि नहीं हो पाई कि उन्होंने घटना के बारे में किससे सुना था क्योंकि न तो अभि. सा. 1 और न ही अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि उन्होंने व्यपहरण के बारे में अभि. सा. 3 या अभि. सा. 4 को बताया था और न ही पीड़िता अभि. सा. 5 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसने जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ था उसके बारे में अपने माता-पिता को बताया था । इस प्रकार अभियोजन का पक्षकथन पीड़ित लड़की (अभि. सा. 5) के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित है ।

महेश कुमार (अभि. सा. 6) वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी है तथा अभि. सा. 7 डा. पुष्प सुधा ने पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षा की थी । अभि. सा. 6 ने सामान्य रूप से उसके द्वारा किए गए अन्वेषण का समर्थन किया है । डा. पुष्प सुधा (अभि. सा. 7) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे पीड़िता के गुप्तांगों के भीतर या फिर उसके बाहर लैंगिक हमले या हिंसा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया । पीड़िता के जननांगों के आस-पास तथा पीड़िता के वस्त्रों पर कोई बाह्य बाल नहीं पाया गया । योनिक लेप की विकृतिजन्य रिपोर्ट में किसी भी शुक्राणु की उपस्थिति नहीं पाई गई । किसी अन्य चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम बताई गई है । साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पीड़िता की परीक्षा घटना घटित होने के पांच दिनों के बाद की गई थी ।

4. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से भी तीन साक्षियों को पेश किया गया । प्रति. सा. 1 शेख मकबूल तथा प्रति. सा. 2 शेख मंगला द्वारा यह

अभिसाक्ष्य दिया गया है कि वे अपीलार्थी मगन और वर्तमान मामले के इत्तिलाकर्ता के साथ एनटीपीसी बाढ़ में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे । इत्तिलाकर्ता द्वारा उपरोक्त साक्षियों के साथ-साथ अपीलार्थी मगन को भी मजदूरी का भुगतान नहीं करने का विवाद विद्यमान था और इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या मामला दर्ज कराया गया । अभि. सा. 3 मोहम्मद ताहिर हुसैन के द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया गया है कि वह कभी भी पीड़ित लड़की का शिक्षक नहीं रहा था जैसा कि पीड़िता द्वारा दावा किया गया है ।

5. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह अभिवाक् किया कि पीड़िता के द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य भ्रमयुक्त है तथा पीड़िता के आचरण से पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह भी निर्दोष नहीं है । इसलिए अभिपुष्टि के अभाव में दोषसिद्धि को वर्तमान मामले की पीड़िता के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित या फिर कायम नहीं रखा जा सकता है । उच्चतम न्यायालय के द्वारा **संतोष प्रसाद** उर्फ **संतोष कुमार** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है । विद्वान् काउंसेल के द्वारा यह भी प्रतिवाद किया गया कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के समक्ष रखी गई प्रतिरक्षा से यह तथ्य प्रकट होता है कि दोनों कुटुम्बों के मध्य कुछ भूमि के क्रय संबंधी सम्पत्ति का विवाद विद्यमान था जबकि प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों ने कथन किया है कि मजदूरी का भुगतान नहीं करने के कारण अपीलार्थी और इत्तिलाकर्ता के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ था और इस कारणवश उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के मामले में पूर्वोक्त कमियों पर विचार नहीं किया था ।

6. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया कि अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप का पूर्ण रूप से समर्थन किया है और अभियोक्त्री के साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अनेकों निर्णयों के माध्यम से यह सुस्थापित किया गया है

---

[1] (2020) 3 एस. सी. सी. 443 = ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 985.

कि न्यायालय को इस तथ्य के संबंध में सदैव सचेत रहना चाहिए कि कोई स्वाभिमानी महिला अपने सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक कथन करने के लिए सामने नहीं आएगी । विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि बलात्संग के आरोप को साबित करने के लिए साक्षियों की बहुलता विधि की आवश्यकता नहीं है । वर्तमान मामले की अभियोक्त्री पूर्णत: विश्वसनीय है ।

7. यह सुस्थापित विधि है कि लैंगिक हमले की पीड़िता का साक्ष्य किसी आहत साक्षी के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के समतुल्य माना जाता है । बलात्संग के प्रत्येक मामले में अभिपुष्टिकारक साक्ष्य न्यायिक विश्वसनीयता का अनिवार्य घटक नहीं है । न्यायालय किसी अभियोक्त्री के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अपने न्यायिक विवेक का समाधान करने के लिए उसके कथन के संबंध में किसी आश्वासन की अपेक्षा कर सकता है क्योंकि पीड़ित लड़की एक ऐसी साक्षी है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के परिणाम के संबंध में हितबद्ध है । यहां **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

तथापि, ऐसे किसी मामले में जहां अभियोक्त्री द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य, अंतर्निहित तथा तात्विक असंभाव्यता से ग्रस्त है और उसके आचरण से यह उपदर्शित होता है कि मामले में किसी तात्विक तथ्य को छिपाया गया है वहां न्यायालय आश्वासन प्राप्त करने के लिए अभिपुष्टि की वांछा कर सकता है ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए ।

राजू बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि बलात्संग किसी पीड़िता के लिए सर्वाधिक व्यथा और अपमान का कारण बनता है, लेकिन साथ ही बलात्संग का कोई मिथ्या आरोप अभियुक्त को भी उतनी ही व्यथा, अपमान और क्षति पहुंच

---

[1] (1996) 2 एस. सी. सी. 384 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1393.

[2] (2008) 15 एस. सी. सी. 133 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 858.

सकती है । अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभावना से भी बचाया जाना चाहिए ।

8. वर्तमान मामले में पीड़िता ने यह कथन नहीं किया है कि ग्रामीणों की उपस्थिति में उसका व्यपहरण किया गया था । उसके अनुसार, उसका व्यपहरण तब किया गया था जब वह अपने विद्यालय जा रही थी । जबकि उसके पिता ने पुलिस को यह इत्तिला दी थी कि पीड़िता का व्यपहरण ग्रामीणों की उपस्थिति में घर से किया गया । एक समय पर पीड़िता ने यह कथन किया कि तारीख 10 फरवरी, 2010 से तारीख 18 फरवरी, 2010 तक जब वह गांव तुलसीपुर में थी तब अपीलार्थी मगन ने प्रत्येक दिन उसके साथ संसर्ग किया था । साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि तुलसीपुर स्थित घर में निवास करने वाले लोगों ने उस गांव का नाम तुलसीपुर बताया था । उस घर में एक वृद्ध महिला के अतिरिक्त दो-चार और व्यक्ति निवास कर रहे थे । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़िता ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी मगन उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर तुलसीपुर से ग्राम मोरडीहा ले गया तथा वहां पीड़िता को झोपड़ीनुमा कक्ष में रखा गया । अपीलार्थी मगन ने यह तथ्य प्रकट किया कि उस घर में निवास करने वाले लोग उसके नातेदार थे । उस घर में एक वृद्ध महिला समेत एक पुरुष, दो महिलाओं के अतिरिक्त कुछ बालक भी निवास कर रहे थे । यहां पीड़िता ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 10 फरवरी, 2010 से लेकर तारीख 10 फरवरी, 2010 तक वह मोरडीहा गांव में रही । यहां मोरडीहा स्थित घर में निवास करने वाले व्यक्तियों से उसकी बातचीत होती थी । इसके पश्चात् पीड़िता ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने उसे वहां पर अपनी पत्नी के रूप में रखा था और जब अपीलार्थी मगन उसे तारीख 19 फरवरी, 2010 को विवाह के उद्देश्य से कहलगांव लाया तो उस समय उन दोनों ने साथ ही एक झोपड़ीनुमा कक्ष में निवास किया, लेकिन पीड़िता मगन की निद्रा की अवस्था का लाभ उठाते हुए वहां से भाग निकली और वह कहलगांव पुलिस थाने पहुंची । तथापि, तारीख 20 फरवरी, तक पुलिस द्वारा पीड़िता का कथन लेखबद्ध नहीं किया गया और उस तारीख को रसलपुर उप पुलिस थाने को सूचित करने के पश्चात् पीड़िता को रसलपुर पुलिस को सौंप दिया गया ।

9. इस प्रकार पीड़िता के द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि वह अपने व्यपहरण और बलात्संग के संबंध में कुछ सारवान् तथ्यों को छिपा रही है क्योंकि पीड़िता ने अपीलार्थी मगन के साथ विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते समय कभी कोई विरोध या चीख-पुकार नहीं मचाई और न ही उसने उस समय कोई विरोध दर्शित किया जब वह स्वेच्छापूर्वक मगन के साथ विवाह करने के लिए पैदल कहलगांव जा रही थी ।

पीड़िता को ग्राम तुलसीपुर या मोरडीहा में जिस घर में रखा गया था उसके निवासियों की न तो पुलिस ने परीक्षा की और न ही उन्हें पीड़िता के दावे के प्रति आश्वासन प्राप्त करने हेतु विचारण के दौरान प्रस्तुत किया ।

10. जब इत्तिलाकर्ता को अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि तारीख 10 फरवरी, 2010 को अपीलार्थियों के द्वारा पीडिता का व्यपहरण कर लिया गया है और अपीलार्थियों के कुटुम्ब के सदस्यों ने इत्तिलाकर्ता की सहायता करने में असमर्थता दर्शित की और उसकी बजाय उन्होंने उसकी शिकायत का विरोध किया तो इत्तिलाकर्ता को तुरंत ही पुलिस को मामले की सूचना देनी चाहिए थी तथा इत्तिलाकर्ता द्वारा अपने स्तर पर पीड़िता की खोजबीन के बहाने हुई देरी, मंत्रणा और मामला गढ़े जाने की संभावनाओं के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न करती है जो अभियोजन के पक्षकथन की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है । इसके अतिरिक्त, इत्तिलाकर्ता के कथन की अभिपुष्टि उन साक्षियों द्वारा नहीं की गई है जिनसे इत्तिलाकर्ता को घटना के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी ।

इस प्रकार, तथ्यात्मक परिदृश्य की समग्रता यह है कि वर्तमान मामले की अभियोक्त्री ऊपर निर्दिष्ट किए गए अनुसार उसके द्वारा तात्विक विशिष्टियों में किए गए परिवर्तनों और विरोधाभासी कथनों के कारण पूर्ण रूप से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है । चिकित्सीय साक्ष्य सहित किसी भी साक्ष्य से उसके परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि नहीं होती है । प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में नामित साक्षियों या किसी अन्य साक्षी के द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अभिपुष्टि नहीं किए जाने के कारण अभियोजन

का पक्षकथन कमजोर हो जाता है । इस बात का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि पीड़िता कहलगांव पुलिस थाने के द्वारा पीड़िता के कथन को लेखबद्ध क्यों नहीं किया गया, हालांकि पीड़िता तारीख 19 फरवरी, 2010 को कहलगांव पुलिस थाने के समक्ष स्वयं पेश हुई थी तथा उसके द्वारा वहां मौजूद पुलिस अधिकारी को घटना के बारे में बताने का दावा किया गया है ।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राय संदीप** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर विश्वास करने से पूर्व न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि अभियोक्त्री एक 'विश्वस्त साक्षी' है । निर्णय के पैरा-22 को यहां नीचे उद्धृत किया जा रहा है :–

> "22. हमारी सुविचारित राय में 'विश्वस्त साक्षी' बहुत उच्च कोटि के साथ-साथ क्षमतावान होना चाहिए तथा इसलिए उसका बयान भी अकाट्य होना चाहिए । इस प्रकार के साक्षी के बयान पर विचार करने वाले न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसे स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए । ऐसे किसी साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए साक्षी की प्रास्थिति महत्वहीन है और केवल ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए कथन की सत्यता ही सुसंगत है । यह तथ्य अत्यंत संगत है कि उक्त साक्षी का कथन आरंभ से अंत तक, अर्थात् जब साक्षी ने अपना प्रारंभिक कथन प्रस्तुत किया तब से अंततोगत्वा न्यायालय के समक्ष अपना कथन प्रस्तुत करने तक पूर्णतया संगत बना रहा । यह अभियुक्त के संबंध में अभियोजन के पक्षकथन से स्वाभाविक और सुसंगत होना चाहिए । इस प्रकार के साक्षी के बयान में किसी भी प्रकार का छल-कपट नहीं होना चाहिए । साक्षी को किसी भी प्रकार की प्रतिपरीक्षा का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए चाहे वह कितनी भी विस्तृत और कठिन क्यों न हो और किसी भी परिस्थिति में घटना में शामिल व्यक्तियों और साथ ही घटना की

[1] (2012) 8 एस. सी. सी. 21 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3157.

श्रृंखला के विषय में किसी भी संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए । इस प्रकार के बयान में अन्य सहायक सामग्री में से प्रत्येक और हर एक के साथ सह-संबंध होना चाहिए, उदाहरण के रूप में की गई बरामदगियां, प्रयुक्त हथियार, अपराध करने की रीति, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ राय । उक्त बयान को प्रत्येक अन्य साक्षी के बयान से निरंतर मेल खाना चाहिए । यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू परीक्षण के सदृश होना चाहिए जहां अभियुक्त को उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई कड़ी अनुपस्थित नहीं होनी चाहिए । केवल यदि ऐसे साक्षी का बयान उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू होने वाले अन्य सभी समतुल्य परीक्षणों को उत्तीर्ण करता है तो यह माना जा सकता है कि ऐसे साक्षी को 'विश्वस्त साक्षी' के रूप में देखा जा सकता है जिसका बयान न्यायालय द्वारा बिना किसी अभिपुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है जिसके आधार पर दोषियों को दंडित किया जा सकता है और अधिक स्पष्टता के लिए उक्त साक्षी का अपराध के सारभूत भाग पर बयान अविकल रहना चाहिए जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और तात्विक वस्तुएं, तात्विक विशिष्टियों में उक्त बयान से समरूप होनी चाहिए, जिससे अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अपराधी को अभिकथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए अन्य समर्थनकारी सामग्री की समीक्षा करने के लिए मूल बयान का अवलंब लेने हेतु समर्थ हो सके ।"

12. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मेरे विचार में अभियोक्त्री एक 'विश्वस्त साक्षी' की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होती है । पीड़िता के परिसाक्ष्य की सावधानीपूर्वक और गहन संवीक्षा से इस संभावना से पूर्ण रूप से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह इस मामले में सहमतिजन्य पक्षकार नहीं थी । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि पीड़िता सहमति देने के लिए कानूनी आयु सीमा से

कम आयु की थी । **मध्य प्रदेश** बनाम **मुन्ना** उर्फ **शंभू नाथ**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पीड़िता की अनुमानित आयु संबंधी साक्ष्य पीड़िता की सही आयु के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा । वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष पीड़िता की सही आयु साबित करने में विफल रहा है । इसलिए पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है । ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार अभियोजन के पक्षकथन में मौजूद अन्य कमियां अभियोजन पक्ष के विरुद्ध संदेह उत्पन्न करती हैं । अतः, अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं ।

विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन के पक्षकथन मामले में मौजूद उपरोक्त कमियों की अनदेखी की है । **संतोष प्रसाद** (उपरोक्त) वाले मामले में निर्णित अनुपात वर्तमान मामले को पूर्ण रूप से समाविष्ट करता है क्योंकि मामले के तथ्य और परिस्थितियां **संतोष प्रसाद** (उपरोक्त) वाले मामले के तत्समान हैं ।

13. इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । तद्नुसार दोनों अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

14. अपीलार्थी शेख मगन **उर्फ** मोहम्मद एस. के. मगन, जो कि अभिरक्षा में है, को तुरंत निर्मुक्त किया जाए । अपीलार्थी मोहम्मद निसार को उसके जमानत पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है ।

अपील मंजूर की जाती है ।

जा./पु.

---

[1] (2016) 1 एस. सी. सी. 696 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6029.

संसद् के अधिनियम

[1][महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम], 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 42)

[5 सितम्बर, 2005]

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [1][महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम], 2005 है ।

(2) इसका विस्तार[2]*** सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख[3-4] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 46 की धारा 2 द्वारा (2.10.2009 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 2007 के अधिनियम सं. 23 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।

[3] 1.4.2008 का. आ. 1684 (अ), तारीख 28.9.2007.

[4] 2.2.2006 का. आ. 87 (अ), तारीख 24.4.2006 द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवृत्त ।

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ; और विभिन्न राज्यों या किसी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है :

परन्तु यह अधिनियम उस सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र को, जिस पर इसका विस्तार है, इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर लागू होगा ।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ख) "आवेदक" से किसी गृहस्थी का प्रमुख या उसके अन्य वयस्क सदस्यों में से कोई अभिप्रेत है, जिसने स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन किया है ;

(ग) "ब्लाक" से किसी जिले के भीतर कोई सामुदायिक विकास क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह है ;

(घ) "केन्द्रीय परिषद्" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय नियोजन गारंटी परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से किसी जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सरकार का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) "गृहस्थी" से किसी कुटुम्ब के सदस्य अभिप्रेत हैं, जो एक दूसरे से रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा संबंधित हैं और सामान्यतः एक साथ निवास करते हैं तथा सम्मिलित रूप से भोजन करते हैं या एक सामान्य राशन कार्ड रखते हैं ;

(छ) "कार्यान्वयन अभिकरण" में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई विभाग, कोई जिला परिषद्, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम या गैर-सरकारी संगठन, जिसे किसी स्कीम के अधीन किए जाने वाले किसी कार्य का कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, सम्मिलित हैं ;

(ज) किसी क्षेत्र के संबंध में "न्यूनतम मजदूरी" से कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी अभिप्रेत है, जो उस क्षेत्र में लागू है ;

(झ) "राष्ट्रीय निधि" से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि अभिप्रेत है ;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ट) "अधिमानित कार्य" से कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे किसी स्कीम के अधीन पूर्विकता के आधार पर कार्यान्वयन के लिए किया जाता है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "कार्यक्रम अधिकारी" से स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ढ) "परियोजना" से आवेदकों को नियोजन उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए किसी स्कीम के अधीन किया जाने वाला कोई कार्य अभिप्रेत है ;

(ण) "ग्रामीण क्षेत्र" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी शहरी स्थानीय निकाय या किसी छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय किसी राज्य में कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(त) "स्कीम" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई स्कीम अभिप्रेत है ;

(थ) "राज्य परिषद्" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य नियोजन गारंटी परिषद् अभिप्रेत है ;

(द) "अकुशल शारीरिक कार्य" से कोई भौतिक कार्य अभिप्रेत है जिसे कोई वयस्क व्यक्ति किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के बिना करने में समर्थ है ;

(ध) "मजदूरी दर" से धारा 6 में निर्दिष्ट मजदूरी दर अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी

3. **निर्धन गृहस्थियों को ग्रामीण नियोजन की गारंटी** – (1) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में सौ दिनों से अन्यून के लिए ऐसा कार्य उपलब्ध कराएगी ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसने स्कीम के अधीन उसे दिया गया कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिए मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय दैनिक मजदूरी

का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी दशा में उस तारीख के पश्चात् जिसको ऐसा कार्य किया गया था पन्द्रह दिन के अपश्चात् किया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, किसी स्कीम के अधीन किसी गृहस्थी के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए उपधारा (1) के अधीन गारंटीकृत अवधि के परे किसी अवधि के लिए, जो समीचीन हो, कार्य सुनिश्चित करने के लिए उपबंध कर सकेगी ।

अध्याय 3

नियोजन गारंटी स्कीमें और बेकारी भत्ता

4. **ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियोजन गारंटी स्कीमें** – (1) धारा 3 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, स्कीम के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन और स्कीम में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, किसी वित्तीय वर्ष में सौ दिनों से अन्यून का गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बनाएगी :

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसी स्कीम को अधिसूचित किए जाने तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वार्षिक कार्रवाई योजना या भावी योजना या राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्य कार्यक्रम, जो ऐसी अधिसूचना से ठीक पूर्व संबंधित क्षेत्र में प्रवृत्त है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्कीम हेतु कार्रवाई योजना समझा जाएगा ।

(2) राज्य सरकार, कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में, जिनमें से एक ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में जिसको ऐसी स्कीम लागू होगी, परिचालित जन भाषा में होगा, उसके द्वारा बनाई गई स्कीम का सार प्रकाशित करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम बातों के लिए उपबंध करेगी ।

5. **गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए शर्तें** – (1) राज्य सरकार अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए स्कीम में शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन नियोजित व्यक्ति ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाओं से कम नहीं हैं ।

6. **मजदूरी दर** – (1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर साठ रुपए प्रतिदिन से कम की दर पर नहीं होगी ।

(2) किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई मजदूरी दर नियत किए जाने के समय तक, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 3 के

अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी उस क्षेत्र को लागू मजदूरी दर समझी जाएगी ।

7. **बेकारी भत्ते का संदाय** – (1) यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को, नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह इस धारा के अनुसार एक दैनिक बेकारी भत्ते का हकदार होगा ।

(2) पात्रता के ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं तथा इस अधिनियम और स्कीमों और राज्य सरकार की आर्थिक क्षमता के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन संदेय बेकारी भत्ता किसी गृहस्थी के आवेदकों को गृहस्थी की हकदारी के अधीन रहते हुए, ऐसी दर से जो राज्य परिषद् के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदत्त किया जाएगा :

परन्तु यह कि कोई ऐसी दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर के एक चौथाई से कम नहीं होगी और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के एक बटा दो से अन्यून नहीं होगी ।

(3) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी गृहस्थी को बेकारी भत्ते का संदाय करने का राज्य सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा जैसे ही –

(क) आवेदक को, ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा या तो स्वयं कार्य के लिए रिपोर्ट करने या उसकी गृहस्थी के कम से कम एक वयस्क सदस्य को तैनात करने के लिए निदेशित किया जाता है ; या

(ख) वह अवधि जिसके लिए नियोजन चाहा गया है, समाप्त

हो जाती है और आवेदक की गृहस्थी का कोई सदस्य नियोजन के लिए नहीं आता है ; या

(ग) आवेदक की गृहस्थी के वयस्क सदस्यों ने उस वित्तीय वर्ष के भीतर कुल मिलाकर कम से कम सौ दिनों का कार्य प्राप्त कर लिया है ; या

(घ) आवेदक की गृहस्थी ने मजदूरी और बेकारी भत्ता, दोनों को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के सौ दिनों की मजदूरी के बराबर है ।

(4) गृहस्थी के किसी आवेदक को संयुक्त रूप से संदेय बेकारी भत्ता कार्यक्रम अधिकारी या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा (जिसके अन्तर्गत जिला मध्यवर्ती या ग्राम स्तर की पंचायत है), जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, मंजूर और संवितरित किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन बेकारी भत्ते का प्रत्येक संदाय, उस तारीख से जिसको वह संदाय के लिए शोध्य हो जाता है, पन्द्रह दिन के अपश्चात् किया जाएगा या प्रस्तावित किया जाएगा ।

(6) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया विहित कर सकेगी ।

8. **कतिपय परिस्थितियों में बेकारी भत्ते का संवितरण न करना** – (1) यदि कार्यक्रम अधिकारी, अपने नियंत्रण के परे किसी कारण से बेकारी भत्ते का समय पर या बिल्कुल संवितरण करने की स्थिति में नहीं है, तो वह जिला कार्यक्रम समन्वयक को मामले की रिपोर्ट करेगा और अपने सूचना पट्ट पर और ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर तथा ऐसे अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जो वह आवश्यक समझे, संप्रदर्शित की जाने वाली किसी सूचना में ऐसे कारणों की घोषणा करेगा ।

(2) बेकारी भत्ते का संदाय न करने या विलंब से संदाय के प्रत्येक मामले की जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट में, ऐसे संदाय न करने या विलंब से संदाय के कारणों सहित, रिपोर्ट की जाएगी ।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट किए गए बेकारी भत्ते का संबंधित गृहस्थी को यथासंभव शीघ्रता से संदाय करने के सभी उपाय करेगी ।

9. **कतिपय परिस्थितियों में बेकारी भत्ता प्राप्त करने के हक से वंचित रहना** – कोई आवेदक जो –

(क) किसी स्कीम के अधीन अपनी गृहस्थी को उपलब्ध नियोजन स्वीकार नहीं करता है ; या

(ख) कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है ; या

(ग) संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण से कोई अनुज्ञा प्राप्त किए बिना एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी मास में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है,

तो वह तीन मास की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय बेकारी भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं होगा किन्तु किसी भी समय स्कीम के अधीन नियोजन चाहने का हकदार होगा ।

अध्याय 4

कार्यान्वित और मानीटर करने वाले प्राधिकारी

10. **केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद्** – (1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय रोजगार

गारंटी परिषद् के नाम से एक परिषद् इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए गठित की जाएगी ।

(2) केन्द्रीय परिषद् का मुख्यालय दिल्ली में होगा ।

(3) केन्द्रीय परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष ;

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों के, जिनके अन्तर्गत योजना आयोग भी है, भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति के उतनी संख्या से अनधिक में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, प्रतिनिधि ;

(ग) राज्य सरकारों के उतनी संख्या से अनधिक में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, प्रतिनिधि ;

(घ) पंचायती राज्य संस्थाओं, कर्मकार संगठनों और असुविधाग्रस्त समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंद्रह से अनधिक गैर-सरकारी सदस्य :

परन्तु यह कि ऐसे गैर-सरकारी सदस्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से नामनिर्देशित जिला पंचायतों के दो अध्यक्ष सम्मिलित होंगे :

परन्तु यह और कि इस खंड के अधीन नामनिर्देशित एक-तिहाई से अन्यून गैर-सरकारी सदस्य महिलाएं होंगी :

परन्तु यह भी कि गैर-सरकारी सदस्यों के एक-तिहाई से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के होंगे ;

(ङ) राज्यों के उतनी संख्या में प्रतिनिधि होंगे, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियमों द्वारा अवधारित करे ;

(च) भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून की पंक्ति का एक सदस्य सचिव ।

(4) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे तथा केन्द्रीय परिषद् की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

11. **केन्द्रीय परिषद् के कृत्य और कर्तव्य** – (1) केन्द्रीय परिषद् निम्नलिखित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करेगी, अर्थात् :–

(क) केन्द्रीय मूल्यांकन और मानीटरी प्रणाली स्थापित करना ;

(ख) इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

(ग) समय-समय पर मानीटरी और प्रतितोष तंत्र का पुनर्विलोकन करना तथा अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीमों के संबंध में जानकारी के विस्तृत संभव प्रसार का संवर्धन करना ;

(ङ) इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना ;

(च) इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् के समक्ष रखे जाने के लिए वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना ;

(छ) कोई अन्य कर्तव्य और कृत्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

(2) केन्द्रीय परिषद् को इस अधिनियम के अधीन बनाई गई विभिन्न स्कीमों का मूल्यांकन करने की शक्ति होगी और उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़े संगृहीत करेगी या संगृहीत कराएगी ।

12. **राज्य रोजगार गारंटी परिषद्** – (1) राज्य स्तर पर, इस अधिनियम के कार्यान्वयन का नियमित रूप से मानीटर और पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य सरकार ..... (राज्य का नाम) राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के नाम से एक राज्य परिषद् का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में गैर-सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं, कर्मकार संगठनों और असुविधाग्रस्त समूहों से नामनिर्दिष्ट पंद्रह से अनधिक गैर-सरकारी सदस्य होंगे :

परन्तु इस खंड के अधीन नामनिर्देशित गैर-सरकारी सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून सदस्य महिलाएं होंगी :

परन्तु यह और कि गैर-सरकारी सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के होंगे ।

(2) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए राज्य परिषद् का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे तथा राज्य परिषद् की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिनके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) राज्य परिषद् के कर्तव्यों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

(क) स्कीम और राज्य में उसके कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ख) अधिमानित कार्यों का अवधारण करना ;

(ग) समय-समय पर मानीटरी और प्रतितोष तंत्र का पुनर्विलोकन करना तथा अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना ;

(घ) इस अधिनियम और इसके अधीन स्कीमों के संबंध में जानकारी के विस्तृत संभव प्रसार का समर्थन करना ;

(ङ) राज्य में इस अधिनियम और स्कीमों के कार्यान्वयन को मानीटर करना तथा ऐसे कार्यान्वयन का केन्द्रीय परिषद् के साथ समन्वय करना ;

(च) राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना ;

(छ) कोई अन्य कर्तव्य और कृत्य जो उसे केन्द्रीय परिषद् और राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किया जाए ।

(4) राज्य परिषद् को, राज्य में प्रचलित स्कीमों का मूल्यांकन करने तथा उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़े संगृहीत करवाने की शक्ति होगी ।

13. **स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए प्रधान प्राधिकारी** – (1) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतें, प्रधान प्राधिकारी होंगी ।

(2) जिला स्तर पर पंचायतों के निम्नलिखित कृत्य होंगे –

(क) स्कीम के अधीन किसी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के ब्लाक अनुसार शेल्फ को अंतिम रूप देना और उसका अनुमोदन करना ;

(ख) ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और उन्हें मानीटर करना ; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं ।

(3) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के निम्नलिखित कृत्य होंगे –

(क) अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को भेजने के लिए ब्लाक योजना का अनुमोदन करना ;

(ख) ग्राम पंचायत स्तर और ब्लाक स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और मानीटर करना ; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं ।

(4) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने में पंचायत की सहायता करेगा ।

14. **जिला कार्यक्रम समन्वयक** – (1) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या जिले के कलक्टर या समुचित पंक्ति के किसी अन्य जिला स्तर के अधिकारी को, जिसका राज्य सरकार विनिश्चय करे, जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा ।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक के निम्नलिखित कृत्य होंगे –

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में जिला पंचायत की सहायता करना ;

(ख) ब्लाक द्वारा तैयार की गई योजनाओं और जिला स्तर पर पंचायत द्वारा अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं के शेल्फ में सम्मिलित करने के लिए अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का समेकन करना ;

(ग) आवश्यक मंजूरी और प्रशासनिक अनापत्ति, जहां कहीं आवश्यक हो, प्रदान करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदकों को इस अधिनियम के अधीन उनकी हकदारी के अनुसार नियोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अपनी अधिकारिता के भीतर कृत्य कर रहे कार्यक्रम अधिकारियों और कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ समन्वय करना ;

(ङ) कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन, मानीटर और पर्यवेक्षण करना ;

(च) चल रहे कार्य का नियतकालिक निरीक्षण करना ; और

(छ) आवेदकों की शिकायतों को दूर करना ।

(4) राज्य सरकार, ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्यायोजन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित हों ।

(5) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कार्यक्रम अधिकारी और जिले के भीतर कृत्य कर रहे राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों तथा निकायों के सभी अन्य अधिकारी, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाई गई स्कीमों के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने में जिला कार्यक्रम समन्वयक की सहायता करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(6) जिला कार्यक्रम समन्वयक, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम बजट प्रत्येक वर्ष के दिसंबर मास में तैयार करेगा जिसमें जिले में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए पूर्वानुमानित मांग और स्कीम के अंतर्गत आने वाले कार्यों में श्रमिकों को लगाने की योजना के ब्यौरे होंगे और उसे जिला पंचायत की स्थायी समिति को प्रस्तुत करेगा ।

15. **कार्यक्रम अधिकारी** – (1) मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो ब्लाक विकास अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, ऐसी अर्हताओं और अनुभव के साथ जैसी कि

राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी ।

(2) कार्यक्रम अधिकारी, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करेगा ।

(3) कार्यक्रम अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में परियोजनाओं से उद्भूत नियोजन अवसरों के साथ नियोजन की मांग का मेल करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों और मध्यवर्ती पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का समेकन करके अपनी अधिकारिता के अधीन ब्लाक के लिए एक योजना तैयार करेगा ।

(5) कार्यक्रम अधिकारी के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

(क) ब्लाक के भीतर ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं को मानीटर करना ;

(ख) पात्र गृहस्थियों को बेकारी भत्ता मंजूर करना और उसका संदाय सुनिश्चित करना ;

(ग) ब्लाक के भीतर स्कीम के किसी कार्यक्रम के अधीन नियोजित सभी श्रमिकों को मजदूरी का तुरंत और उचित संदाय सुनिश्चित करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यों की नियमित सामाजिक संपरीक्षा की जा रही है और यह कि सामाजिक संपरीक्षा में उठाए गए आक्षेपों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ;

(ङ) सभी शिकायतों को तत्परता से निपटाना जो ब्लाक के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हों ; और

(च) कोई अन्य कार्य करना जो जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए ।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक के निदेशन, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन कृत्य करेगा ।

(7) राज्य सरकार, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि किसी कार्यक्रम अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किया जाएगा ।

16. **ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व** – (1) ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार किसी स्कीम के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए ली जाने वाली परियोजना की पहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी ।

(2) कोई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी स्कीम के अधीन किसी परियोजना को जिसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मंजूर किया जाए, ले सकेगी ।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और वार्ड सभाओं की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् एक विकास योजना तैयार करेगी और स्कीम के अधीन जब कभी कार्य की मांग उत्पन्न होती है, किए जाने वाले संभव कार्यों का एक शेल्फ रखेगी ।

(4) ग्राम पंचायत, परियोजनाओं के विकास के लिए जिसके अंतर्गत उस वर्ष के प्रारंभ से जिसमें इसे निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है, की संवीक्षा और प्रारंभिक पूर्वानुमोदन के लिए कार्यक्रम अधिकारी को विभिन्न कार्यों के बीच अग्रता का क्रम सम्मिलित है, अपने प्रस्तावों को अग्रेषित करेगी ।

(5) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली किसी स्कीम के अधीन उसकी लागत के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत कार्य को आबंटित करेगा ।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, प्रत्येक ग्राम पंचायत को निम्नलिखित का प्रदाय करेगा, –

(क) उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले स्वीकृत कार्य के लिए मस्टर रोल ; और

(ख) ग्राम पंचायत के निवासियों को अन्यत्र उपलब्ध नियोजन के अवसरों की एक सूची ।

(7) ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच नियोजन के अवसरों का आबंटन करेगी तथा कार्य के लिए उनसे रिपोर्ट करने के लिए कहेगी ।

(8) किसी स्कीम के अधीन किसी ग्राम पंचायत द्वारा आरंभ किया गया कार्य अपेक्षित तकनीकी मानकों और मापमानों को पूरा करेगा ।

17. **ग्राम सभा द्वारा कार्य की सामाजिक संपरीक्षा** – (1) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन को मानीटर करेगी ।

(2) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर आरंभ की गई स्कीम के अधीन सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक संपरीक्षा करेगी ।

(3) ग्राम पंचायत, सभी सुसंगत दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत मस्टर रोल, बिल, वाउचर माप पुस्तिकाएं, मंजूरी आदेशों की प्रतियां और अन्य संबंधित लेखा बहियां और कागजपत्र भी हैं, सामाजिक संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी ।

18. **स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व** – राज्य सरकार जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारियों को ऐसे अनिवार्य कर्मचारिवृन्द और तकनीकी सहायता, जो स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगी ।

19. **शिकायत दूर करने हेतु तंत्र** – राज्य सरकार स्कीम के कार्यान्वयन की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी शिकायत के निपटान के लिए, नियमों द्वारा ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर शिकायत दूर करने हेतु समुचित तंत्र अवधारित करेगी और ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए प्रक्रिया अधिकथित करेगी ।

अध्याय 5

राष्ट्रीय और राज्य रोजगार गारंटी निधियों की स्थापना और संपरीक्षा

20. **राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि** – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशि, जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय निधि के लिए आवश्यक समझे, जमा कर सकेगी ।

(3) राष्ट्रीय निधि के खाते में जमा रकम का ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, उपयोग किया जाएगा ।

21. **राज्य रोजगार गारंटी निधि** – (1) राज्य सरकार, स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, राज्य रोजगार गारंटी निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगी ।

(2) राज्य निधि के खाते में जमा रकम, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए, व्यय की जाएगी ।

(3) राज्य निधि, राज्य सरकार की ओर से ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, धारित और

प्रशासित की जाएगी ।

22. **वित्तपोषण पैटर्न** – (1) ऐसे नियमों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी, अर्थात् :–

(क) स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए मजदूरी के संदाय के लिए अपेक्षित रकम ;

(ख) स्कीम की सामग्री लागत के तीन चौथाई तक रकम, जिसके अंतर्गत अनुसूची 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों को मजदूरी का संदाय भी है ;

(ग) स्कीम की कुल लागत का ऐसा प्रतिशत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्चों के प्रति अवधारित किया जाए, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारियों और उनके सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते, केन्द्रीय परिषद् के प्रशासनिक खर्च, अनुसूची 2 के अधीन दी जाने वाली सुविधाएं और ऐसी अन्य मद भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं ।

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी, अर्थात् :–

(क) स्कीम के अंतर्गत संदेय बेकारी भत्ते की लागत ;

(ख) स्कीम की सामग्री लागत का एक चौथाई, जिसके अंतर्गत अनुसूची 2 के अधीन रहते हुए कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी का संदाय भी है ;

(ग) राज्य परिषद् के प्रशासनिक खर्च ।

23. **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व** – (1) जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिले के सभी कार्यान्वयन अभिकरण, किसी स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए उनके व्ययन पर रखी गई निधि के उचित उपयोग और प्रबंध के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में श्रमिकों के नियोजन और उपगत व्यय की समुचित बहियां और लेखा रखने की रीति विहित कर सकेगी ।

(3) राज्य सरकार, नियमों द्वारा, स्कीमों और स्कीमों के अधीन कार्यक्रमों के उचित निष्पादन के लिए और स्कीमों के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और दायित्व सुनिश्चित करने के लिए, की जाने वाली व्यवस्थाओं को अवधारित कर सकेगी ।

(4) नकद रूप में मजदूरी और बेकारी भत्ते के सभी संदाय, सीधे संबद्ध व्यक्ति को और पूर्व घोषित तारीखों पर समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में किए जाएंगे ।

(5) यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित कोई विवाद या शिकायत उत्पन्न होती है तो वह मामला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा ।

(6) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत की उसके द्वारा रखे शिकायत रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और विवादों तथा शिकायतों को उनकी प्राप्ति से सात दिन के भीतर निपटाएगा और यदि वे ऐसे मामले से संबंधित हैं जिसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सुलझाया जाना है तो वह उसे शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए, ऐसे प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

24. **लेखाओं की संपरीक्षा** – (1) केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, स्कीमों के लेखाओं की सभी स्तरों पर संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्थाएं विहित कर सकेगी ।

(2) स्कीम के लेखा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, रखे जाएंगे ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

25. **अननुपालन के लिए शास्ति** – जो कोई इस अधिनियम के

उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

26. **प्रत्यायोजित करने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम और स्कीम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी ।

27. **केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, किसी स्कीम के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त निधियों को जारी करने या अनुचित उपयोग के संबंध में किसी शिकायत की प्राप्ति पर, यदि प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि कोई मामला बनता है तो उसके द्वारा पदाभिहित किसी अभिकरण द्वारा की गई शिकायत का अन्वेषण करा सकेगी, और यदि आवश्यक हो तो स्कीम की निधियों के निर्मोचन को रोकने का आदेश कर सकेगी और उचित कालावधि के भीतर इसके उचित कार्यान्वयन के लिए समुचित उपचारी उपाय कर सकेगी ।

28. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना** – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में

अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां कोई ऐसी राज्य अधिनियमिति विद्यमान है या इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ग्रामीण गृहस्थी में अर्धकुशल शारीरिक कार्य के लिए नियोजन गारंटी का उपबंध करने के लिए अधिनियमित की जाती है, जिसके अधीन गृहस्थी की हकदारी उससे कम नहीं है और नियोजन की शर्तें उससे न्यूनतर नहीं हैं, जिनकी इस अधिनियम के अधीन गारंटी दी गई है, वहां राज्य सरकार को अपनी निजी अधिनियमिति को कार्यान्वित करने का विकल्प होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता, संबद्ध राज्य सरकार को ऐसी रीति से संदत्त की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी, जो उससे अधिक न होगी, जिसे वह राज्य इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करने का तब हकदार होता जब इस अधिनियम के अधीन बनाई गई कोई स्कीम कार्यान्वित की जानी होती ।

29. **अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति** – (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि, यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

30. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण** – (1) जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक है या समझा जाता है, किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों या स्कीमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

31. **केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की संख्या ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशनों (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) का समय, स्थान और उनकी प्रक्रिया ;

(ग) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निधि का उपयोग किया जाएगा ;

(घ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन कतिपय मदों की लागत को पूरा करने के लिए वित्त पोषण पैटर्न से संबंधित नियम ;

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत, केन्द्रीय सरकार द्वारा, नियमों द्वारा, उपबंध किया जाना है ।

32. **राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) वे निबंधन और शर्तें जिन पर धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन बेकारी भत्ते के लिए पात्रता अवधारित की जा सकेगी ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया ;

(ग) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए राज्य परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और राज्य परिषद् के अधिवेशनों (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) का समय, स्थान और उनकी प्रक्रिया ;

(घ) ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर शिकायत प्रतितोष तंत्र और धारा 19 के अधीन ऐसे मामले में अनुसरण की जाने की प्रक्रिया ;

(ङ) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय निधि का उपयोग किया जाएगा ;

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन राज्य निधि को प्रशासित कर सकेगा और वह रीति जिसमें वह राज्य निधि को धारित करेगा ;

(छ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन श्रमिकों के नियोजन के बही खाते और व्यय रखे जाने की रीति ;

(ज) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन स्कीमों के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रबंध ;

(झ) वह प्ररूप और रीति जिसमें स्कीम के लेखाओं को धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन रखा जाएगा ;

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा, नियमों द्वारा, उपबंध किया जाना है ।

33. **नियमों और स्कीमों का रखा जाना** – (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या बनाई गई प्रत्येक स्कीम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के, जहां दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक ही सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी ।

34. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, बना सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची 1

[धारा 4 (3) देखिए]

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं

[1][1. धारा 4 के अधीन सभी राज्यों द्वारा, अधिसूचित स्कीम का संक्षिप्त नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम' होगा और उक्त स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42)' का उल्लेख होगा ।

1क. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को, इसमें इसके पश्चात् 'महात्मा गांधी एनआरईजीएस' कहा जाएगा और स्कीम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के प्रति किसी संदर्भ को 'महात्मा गांधी नरेगा' कहा जाएगा ।]

[2][1ख. स्कीम का केंद्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों पर होगा और उसका पूर्विकता क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा और वार्ड सभा के अधिवेशनों में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) जल संरक्षण और जल शस्य संचय, जिसके अंतर्गत कन्टूर खाइयां, कन्टूर बंध, गोलश्म चेक, गबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध और झरनों का विकास भी है ;

(ii) सूखारोधी, जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण भी हैं ;

(iii) सिंचाई नहरें जिसके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं ;

---

[1] का. आ. 1860 (अ), तारीख 30.7.2010 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(iv) पैरा 1ग में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बंधन और भूमि विकास का उपबंध ;

(v) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है ;

(vi) भूमि विकास ;

(vii) जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का सन्निर्माण ;

(viii) सभी मौसमों में पहुंच को उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सड़कें भी हैं ;

(ix) ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण ;

(x) एनएडीईपी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लिक्विड बायो-मेन्योर जैसे कृषि संबंधी संकर्म ;

(xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी संकर्म ;

(xii) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मतस्य पालन जैसे मत्सय संबंधी संकर्म ;

(xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म ;

(xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म ;

(xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म ;

(xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित किया जाए ।]

[1][1ग. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधिव्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमांत कृषकों की या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हिताधिकारियों के स्वामित्वाधीन भूमि या गृह संपदा पर अनुज्ञात किए जाएंगे ।

1घ. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में निर्दिष्ट संकर्मों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) पैरा 1ग में निर्दिष्ट गृहस्थियों के पास जॉब कार्ड होगा ; और

(ख) हिताधिकारी, उनकी भूमि या गृह संपदा पर की जाने वाली परियोजना पर कार्य करेंगे ।]

[2]* * * *

2. टिकाऊ आस्तियों का सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों के लिए आधार को सुदृढ़ करना स्कीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा ।

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] का. आ. 1860 (अ), तारीख 30.7.2010 द्वारा लोप किया गया ।

[1][3. स्कीम के अधीन किए गए कार्य ग्रामीण क्षेत्र में होंगे और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होंगे, अर्थात् :–

(क) प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष पहचान सं. दी जाएगी ;

(ख) सभी कार्य ऐसे कर्मकारों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिनके पास जॉब कार्ड है और जिन्होंने कार्य की मांग की है ;

(ग) 18 वर्ष से कम की आयु के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम परियोजनाओं के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ;

[2][(घ) प्रत्येक मस्टर रोल की विशिष्ट पहचान संख्या होगी और उसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उसमें ऐसी अनिवार्य जानकारी अंतर्विष्ट होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ;]

(ङ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और समुचित रूप से संख्यांकित मस्टर रोल कार्य स्थल पर रखी जाएगी और ऐसी मस्टर रोल जो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और समुचित रूप से संख्यांकित नहीं है, उसे अप्राधिकृत समझा जाएगा और कार्य स्थल पर नहीं रखी जाएगी ;

(च) कर्मकार अपनी उपस्थिति और कार्य स्थल पर मस्टर रोल में उपार्जित मजदूरी की रकम को प्रति हस्ताक्षरित करेंगे ;

(छ) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा विहित मस्टर रोलों के विस्तृत अभिलेख रजिस्टरों में रखे जाएंगे ;

(ज) जब कार्य प्रगति पर है, कर्मकार उस कार्य में लगे हैं सप्ताह में कम से कम एक बार उनके कार्य स्थल के सभी बिलों और वाउचरों का सत्यापन और प्रमाणन करने के लिए साप्ताहिक

---

[1] का. आ. 3000 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

चक्रानुक्रम के आधार पर उनमें से कम से कम पांच कर्मकारों का चयन किया जाएगा ;

(झ) अनुमोदन या कार्य आदेश की एक प्रति कार्य स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ;

(ञ) कार्य का मापमान कार्य स्थल के भारसाधक अर्हित तकनीकी कार्मिक द्वारा रखी गई मापमान पुस्तकों में अभिलिखित किया जाएगा ;

(ट) प्रत्येक कार्य और प्रत्येक कर्मकार के मापमान अभिलेख सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ;

(ठ) प्रत्येक कार्य स्थल पर एक नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाना चाहिए और भारत सरकार द्वारा विहित रीति में नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए ;

(ड) कोई व्यक्ति सभी कार्य घंटों के दौरान कार्य स्थल पर मांग किए जाने पर मस्टर रोलों के प्रति पहुंच रखने के लिए योग्य होगा ; और

(ढ) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार स्थापित की गई सतर्कता और मानीटरी समिति सभी कार्यों और उस पर उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच करेगी जो भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में कार्य रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी ।]

[1]* * * *

[2][5. राज्य सरकार, स्कीम के भाग के रूप में, स्कीम के अधीन सृजित लोक आस्तियों के उचित रखरखाव की व्यवस्था करेगी ।]

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा लोप किया गया ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1]* * * *

[2][7. राज्य सरकार मजदूरी को कार्य की मात्रा से संबद्ध करेगी और राज्य परिषद् के परामर्श से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार संदत्त की जाएगी ।]

[3][8. (1) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि [4][विश्राम के एक घंटे सहित] नौ घंटे के लिए काम करने वाला कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके ।

(2) किसी वयस्क कर्मकार के कार्य दिवस, जिसके अन्तर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस में बारह घंटे से अधिक न हों ।]

[5][8क. किसी समूह में कार्य करने वाले किन्हीं पुरुष और स्त्री कर्मकारों द्वारा किए गए औसत कार्य आधारित दरों की सूची नियत करने के लिए आधार होगा ताकि दरों की अनुसूची में लिंग आधारित कोई विभेद न हो ।]

9. कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं की सामग्री संघटक की लागत, जिसके अंतर्गत कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है, [4][प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर] कुल परियोजना लागत के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

10. कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन करता है, यह निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा कि वह ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रकार का कार्य करे ।

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा लोप किया गया ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] का. आ. 88 (अ), तारीख 14.1.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

[5] का. आ. 88 (अ), तारीख 14.1.2008 द्वारा अंतःस्थापित ।

11. स्कीम में उसके अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी ठेकेदार को लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

12. यथाव्यवहार्य, स्कीम के अधीन वित्त पोषित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके पूरा किया जाएगा, मशीन का नहीं ।

[1][13. प्रत्येक स्कीम में, कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित रीति में पर्याप्त उपबंध होंगे :–

(क) पूर्व सक्रिय प्रकटन :

(i) प्रत्येक कार्य स्थल पर पूर्व सक्रिय प्रकटन नागरिकता सूचना बोर्ड के माध्यम से, उपस्थिति के संबंध में मस्टर रोल जानकारी का, पढ़े जाना, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य दिवस के अंत में कर्मकारों की उपस्थिति में किया गया कार्य और संदत्त मजदूरी के माध्यम से किया जाएगा, मापन पुस्तक में मापमान कर्मकारों के समक्ष कार्य के मापमान के दौरान पढ़ा जाएगा ;

(ii) ग्राम पंचायत और ब्लाक कार्यक्रम कार्यालय पर पूर्व सक्रिय प्रकटन बोर्डों पर जानकारी के संप्रदर्शन के माध्यम से किया जाएगा और इसके अंतर्गत नियोजन के उपबंधों से संबंधित जानकारी, प्राप्त निधियां और व्यय अनुमोदित परियोजनाओं के शेल्फ होंगे ; और

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में कोई जानकारी जनता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वेबसाइट के माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा विहित की जाए तथा नि:शुल्क डाउनलोड की जाए, उपलब्ध कराई जाएगी :

[2]* * * *

---

[1] का. आ. 3000 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] का. आ. 1484 (अ), तारीख 30.6.2011 द्वारा लोप किया गया ।

14. किसी स्कीम के अधीन किए जा रहे संकर्म का, कार्य की उचित क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए और साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य के पूरा किए जाने के लिए संदत्त मजदूरी, किए गए कार्य क्वालिटी और मात्रा के अनुरूप है, नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए उपबंध किए जाएंगे ।

15. स्कीम को कार्यान्वित करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत, अपनी अधिकारिता के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों तथा उपलब्धियों सहित वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति, जनता को मांग पर और ऐसी फीस के संदाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, उपलब्ध कराई जाएगी ।

[1][16. स्कीम से संबंधित सभी खातों और अभिलेखों को सार्वजनिक संवीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा । यदि कोई व्यक्ति इसकी प्रति या इससे संबद्ध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मांग किए जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर और स्कीम में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात् ऐसी प्रतियां या सार उपलब्ध कराए जा सकते हैं ।]

17. प्रत्येक स्कीम या किसी स्कीम के अधीन परियोजना के मस्टर रोल की एक प्रति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस का संदाय करने के पश्चात्, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

अनुसूची 2

[धारा 5 देखिए]

किसी स्कीम के अधीन गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के लिए शर्तें और श्रमिकों की न्यूनतम हकदारियां

1. प्रत्येक गृहस्थी के वयस्क सदस्य, जो –

[1] का. आ. 3000 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और

(ii) अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं,

उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात् ग्राम पंचायत कहा गया है) को, जिसकी अधिकारिता में वे निवास करते हैं, अपने नाम, आयु और गृहस्थी के पते, जॉब कार्ड जारी करने के लिए अपनी गृहस्थी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

[1][2. (1) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, गृहस्थी को रजिस्टर करे और गृहस्थी के रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों के निम्नलिखित आवश्यक ब्यौरों वाला एक जॉब कार्ड जारी करें, अर्थात् :–

(i) जॉब कार्ड संख्या ;

(ii) गृहस्थी के सदस्य-वार कार्य की मांग और आबंटन ;

(iii) किए गए कार्य का वर्णन ;

(iv) कार्य करने की तारीखें और दिन ;

(v) उस मस्टर रोल का संख्यांक, जिसके द्वारा मजदूरी संदत्त की गई ;

(vi) संदत्त मजदूरी की रकम ;

(vii) बेकारी भत्ता, यदि कोई संदत्त किया गया हो ;

(viii) डाक महसूल लेखा/बैंक खाता संख्या ;

(ix) बीमा पॉलिसी संख्या ; और

(x) मतदाता फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, यदि कोई हो, संख्या ।

[2][(xi) आधार संख्या, यदि जारी की गई हो ।]

---

[1] का. आ. 802 (अ), तारीख 2.4.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) जॉब कार्ड पर सभी प्रविष्टियां प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित होंगी ;

(3) उपपैरा (1) के अधीन जारी जॉब कार्ड पर गृहस्थी के केवल उन्हीं रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों के फोटो होंगे, जिनको जॉब कार्ड जारी किया गया है ।

(4) गृहस्थी के ऐसे रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों, जिनका वह जॉब कार्ड हो, से भिन्न किसी व्यक्ति का फोटो, नाम या ब्यौरे जॉब कार्ड पर चिपकाए या अभिलिखित नहीं किए जाएंगे ।

(5) सभी जॉब कार्ड उन जॉब कार्डधारकों की अभिरक्षा में रहेंगे, जिनके वे हैं ।]

3. पैरा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण ऐसी अवधि के लिए जो स्कीम में अधिकथित की जाए किन्तु किसी भी मामले में पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किया जाएगा, और इसे समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा ।

4. रजिस्ट्रीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम जॉब कार्ड में है, स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा ।

5. किसी गृहस्थी के सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार, उतने दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए प्रत्येक आवेदक अनुरोध करे, किसी वित्तीय वर्ष में प्रति गृहस्थी अधिकतम एक सौ दिनों के अधीन रहते हुए, नियोजन के हकदार होंगे ।

6. कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित होगा करेगा कि पैरा 5 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदक को, स्कीम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर या उस तारीख से, जिससे वह अग्रिम आवेदन की दशा में कार्य चाहता है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, अकुशल शारीरिक कार्य दिया जाएगा :

परंतु यह कि महिलाओं को इस तरह पूर्विकता दी जाएगी कि कम

से कम एक-तिहाई फायदा प्राप्त करने वालों में ऐसी महिलाएं होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्होंने अनुरोध किया है ।

7. कार्य के लिए आवेदन कम से कम चौदह दिनों के निरंतर कार्य के लिए होना चाहिए ।

8. गृहस्थी की संपूर्ण हकदारी के अधीन रहते हुए नियोजन के उन दिनों की संख्या जिनके लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकेगा, या उसको वस्तुतः दिए गए नियोजन के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी ।

9. कार्य के लिए आवेदन, लिखित रूप में ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को, जैसा स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे ।

10. यथास्थिति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी वैध आवेदन स्वीकार करने और आवेदक को तारीख सहित रसीद जारी करने के लिए आबद्ध होंगे । समूह आवेदन भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

11. ऐसे आवेदकों को, जिन्हें कार्य दिया जाता है, जॉब कार्ड में दिए गए उनके पते पर उनको पत्र भेजकर और जिला, मध्यवर्ती या ग्राम स्तर पर पंचायतों में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित कर इस प्रकार लिखित रूप में सूचित किया जाएगा ।

12. जहां तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर नियोजन प्रदान किया जाएगा ।

[1][13. स्कीम के अधीन कोई नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, यदि कम से कम दस श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हो जाते हैं ।]

14. यदि नियोजन [2][पैरा 12 में विनिर्दिष्ट त्रिज्या] के बाहर प्रदान

---

[1] का. आ. 324 (अ), तारीख 6.3.2007 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किया जाता है तो यह ब्लॉक के भीतर ही प्रदान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा ।

[1][15. नियोजन की अवधि कम से कम लगातार चौदह दिन की और एक सप्ताह में छह दिन से अनधिक की होगी ।]

16. उन सभी मामलों में जहां बेकारी भत्ता संदत्त किया जाता है या संदत्त किया जाना शोध्य है वहां कार्यक्रम अधिकारी, लिखित रूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक को वे कारण सूचित करेगा कि उसके लिए आवेदकों को नियोजन प्रदान करना या नियोजन प्रदान कराना क्यों संभव नहीं था ।

17. जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य परिषद् को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्टीकरण देगा कि उन मामलों में जहां बेकारी भत्ते का संदाय अंतर्वलित है, नियोजन क्यों नहीं प्रदान किया जा सका था ।

18. स्कीम में अग्रिम आवेदन के लिए, अर्थात् ऐसे आवेदनों के लिए जो उस तारीख से जिससे नियोजन चाहा गया है, पहले प्रस्तुत किए जा सकेंगे, उपबंध किया जाएगा ।

19. स्कीम में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत करने के बारे में उपबंध किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि तत्संबंधी अवधि, जिनके लिए नियोजन चाहा गया है, अतिव्याप्त नहीं होती ।

20. ग्राम पंचायत ऐसे रजिस्टर, वाउचर और अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, तैयार करेगी और रखेगी या तैयार करवाएगी और रखवाएगी, जिसमें ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत जॉब कार्डों और जारी की गई पासबुकों की विशिष्टियां और गृहस्थी के मुखिया तथा वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और पते अंतर्विष्ट होंगे ।

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

21. ग्राम पंचायत, उसके पास रजिस्ट्रीकृत गृहस्थियों और उनके वयस्क सदस्यों के नाम और पते की सूचियां, ऐसी सूची तथा ऐसी अन्य जानकारियां संबद्ध कार्यक्रम अधिकारी को, ऐसी अवधि पर, ऐसे प्ररूप में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, भेजेगी ।

22. उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी और सूची राज्य सरकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

23. यदि ग्राम पंचायत का किसी समय समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके उसके पास रजिस्टर कराया है तो वह कार्यक्रम अधिकारी को रजिस्टर से उसका नाम काटने का निदेश दे सकेगी और आवेदक को जॉब कार्ड लौटाने का निदेश दे सकेगी :

परन्तु इस पैरा के अधीन ऐसी कार्यवाही तब तक निदेशित नहीं की जाएगी, जब तक कि आवेदक को दो स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

24. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को, उसके नियोजन के कारण और उसके क्रम में किसी दुर्घटना से कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो वह नि:शुल्क ऐसे चिकित्सीय उपचार का, जो स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है, हकदार होगा ।

25. जहां क्षतिग्रस्त कर्मकार का अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, वहां राज्य सरकार उसके अस्पताल में भर्ती होने के लिए, जिसके अंतर्गत आवास, उपचार, ओषधियां भी हैं, तथा दैनिक भत्ते के संदाय के लिए, जो संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित उस मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा, जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति के कार्य में लगे होने पर होती, व्यवस्था करेगी ।

26. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की, नियोजन

से उद्भूत दुर्घटना या उसके क्रम में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से नि:शक्त हो जाता है तो कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उसे पच्चीस हजार रुपए की दर पर या ऐसी रकम का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जाएगा और यह रकम, यथास्थिति, मृत या नि:शक्त व्यक्ति के विधिक वारिसों को संदत्त की जाएगी ।

27. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, बालकों के लिए तथा विश्राम की अवधि के लिए शेड, लघु क्षति में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किए जा रहे कार्य से संबद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

28. यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ छह वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या पांच या उससे अधिक है तो ऐसी महिलाओं में से किसी एक महिला को ऐसे बालकों की देखभाल करने के लिए तैनात करने की व्यवस्था की जाएगी ।

29. पैरा 28 के अधीन नियुक्त व्यक्ति को मजदूरी दर पर संदाय किया जाएगा ।

30. यदि स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है तो श्रमिक, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[1][31. मजदूरी का भुगतान, [2][यदि इस प्रकार छूट न दी गई हो] केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मियों के बैंकों या डाकघरों में खोले गए एकल या संयुक्त बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा ।

32. हटा दिया जाए ।]

33. यदि किसी ऐसे व्यक्ति के, जो स्कीम के अधीन नियोजित है,

---

[1] का. आ. 513 (अ), तारीख 19.2.2009 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

साथ में आने वाले बालक को दुर्घटनावश कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो ऐसा व्यक्ति बालक के लिए नि:शुल्क ऐसा चिकित्सीय उपचार जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए और उसकी मृत्यु या नि:शक्तता की दशा में, अनुग्रहपूर्वक संदाय, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा ।

34. स्कीम के अधीन प्रत्येक नियोजन की दशा में, मात्र लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

[1][35.(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 1, 3, 9 और 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सुनामी और भूकंप की प्रकृति की राष्ट्रीय विपत्तियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी के व्यापक विस्थापन की दशा में इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण गृहस्थियों के वयस्क सदस्य :–

(i) रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुरोध कर सकेंगे और अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी जॉब कार्ड प्राप्त कर सकेंगे ;

(ii) अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत के समक्ष कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन कर सकेंगे ; और

(iii) हानि या विनाश की दशा में जॉब कार्ड के पुनःरजिस्ट्रीकरण और पुनःजारी किए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

(2) सामान्य स्थिति के प्रत्यावर्तन की दशा में, इस प्रकार जारी जॉब कार्ड निवास के मूल स्थान पर पुनःपृष्ठांकित किया जाएगा और सुधार होने पर मूल जॉब कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा ।

---

[1] का. आ. 2188 (अ), तारीख 11.9.2008 द्वारा अंतःस्थापित ।

(3) इस प्रकार उपलब्ध कराए गए नियोजन के दिनों की संख्या की गणना, प्रति गृहस्थी 100 दिनों की गारंटीकृत नियोजन की संगणना करते समय की जाएगी ।]

[1][36. अधिनियम या उसमें अनुसूची के अधीन प्राप्त शिकायतों या स्वप्रेरणा और अन्यथा उपबंधित से लिए गए संज्ञान पर निम्नलिखित रीति में कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :–

(क) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत को उसके द्वारा रखे गए शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और शिकायत की अभिस्वीकृति सम्यक् रूप से संख्यांकित और तारीख सहित जारी करेगा ;

(ख) स्थल पर सत्यापन के माध्यम से जांच, निरीक्षण और निपटारा सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा ;

(ग) किसी ग्राम पंचायत द्वारा, जो उस कार्यक्रम अधिकारी की अधिकारिता के भीतर आती है शिकायतों का इसके अन्तर्गत अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतें भी हैं, उनका अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (6) के अधीन यथा विहित सात दिन के भीतर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निपटारा किया जाएगा और यदि उस दशा में जब शिकायत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हल किए जाने के विषय से संबंधित है, तो कार्यक्रम अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा और विषय को ऐसे प्राधिकारी को शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए सात दिन के भीतर निर्दिष्ट करेगा ;

(घ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सात दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करने में व्यतिक्रम होने पर अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा और अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय होगा तथा ऐसी चूक के विरुद्ध शिकायतें जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास फाइल की जाएगी ;

---

[1] का. आ. 2999 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ङ) वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होने की दशा में, जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल की गई है ;

(च) राज्य सरकार या जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या प्रतिनिर्देश से किसी शिकायत की जांच कर सकेगा और दोषी साबित होने पर, दोषी पर अधिनियम की धारा 25 के अधीन शास्ति अधिरोपित करेगा ;

(छ) यदि संबद्ध प्राधिकारी यह पाता है कि हकदारी का उल्लंघन है, तो वह व्यथित पक्षकार को सूचना देगा और पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी शिकायत के समाधान के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ज) की गई कार्यवाही के संबंध में शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा और एक पखवाड़े में एक बार विहित फार्मेट में दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगा ;

(झ) कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही क्रमशः मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखी जाएंगी ;

(ञ) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील कार्यक्रम अधिकारी को की जाएगी और वे जो कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध हैं, जिला कार्यक्रम समन्वयक को की जाएंगी तथा जो जिला कार्यक्रम समन्वयक के विरुद्ध हैं, वे राज्य आयुक्त (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम) को की जाएगी ;

(ट) खंड (ञ) के अधीन कोई अपील आदेश पारित किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर की जाएगी ; और

(ठ) उसकी प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर किसी अपील का निपटारा किया जाएगा ।]

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण) – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145.00
4.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
5.	भारत का सांविधानिक इतिहास - (103वां संशोधन तक) - श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
6.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व - डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान	2021	कीमत रु. 300/-

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in

Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः सिविल और दांडिक के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in